कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 63 अंक : 8 पृष्ठ : 52 जून 2017 मूल्य : ₹ 22

सरकार के तीन वर्ष : कृषि क्षेत्र में हासिल उपलब्धियां

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में गत तीन वर्षों में कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए जो सतत प्रयास किए गए हैं उनके उत्साहजनक व सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। सरकार किसानों के कल्याण के लिए जिस मनोयोग से काम में जुटी है, इससे किसानों के जीवन में गुणात्मक सुधार आ रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य दिया है जिसे हासिल करने के लिए कृषि मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। सरकार ने देश के विकास के लिए इन तीन वर्षों में देश के सामने नई कार्यविधि, पारदर्शी कार्यशैली के नए प्रतिमान रचे हैं। सरकार ने समयबद्ध तरीके से किसान कल्याण की योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्यों को मिशन मोड में परिवर्तित किया है। साथ ही, सुशासन के नए आयामों, नवाचारों एवं सुधारवादी दृष्टिकोण से एक आधुनिक और भविष्योन्मुख भारत की नींव रखी है। सरकार किसानों के मन में देश की कृषि उन्नति के लिए की गई नई पहलों के प्रति जागरूकता लाने में सफल हुई है। तीन वर्ष के कार्यकाल में किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन–स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने का सतत् एवं सशक्त प्रयास किया गया है।

सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र एवं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अधिक बजटीय आवंटन किया गया। यही नहीं किसान हित में जरूरत के मुताबिक मंत्रालय द्वारा बजटीय प्रावधान से भी ज्यादा खर्च किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में जहां बजटीय प्रावधान 45035 करोड़ रुपये था, संशोधित बजटीय आवंटन में यह बढ़कर 57503 करोड़ रुपये किया गया। वर्तमान सरकार द्वारा 2014–15 से 2017–18 तक कृषि क्षेत्र को कुल 1,64,415 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जोकि 2010–11 से 2013–14 के बीच किए गए आवंटन से 57.58 प्रतिशत अधिक है।

विगत तीन वर्षों के शुरुआती दो वर्षों में कम मानसून में भी किसानों को सुरक्षा एवं विश्वास का संबल सरकार द्वारा दिया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, कम लागत की जैविक खेती, राष्ट्रीय कृषि बाजार, बागवानी विकास, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, दुग्ध, मछली एवं अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार पर विशेष बल दिया गया है। सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी ज्यादा निवेश किया गया। दलहन–तिलहन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए कई नई पहलें की गई हैं। सबसे कम प्रीमियम एवं विभिन्न जोखिमों को शामिल कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को अभूतपूर्व सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। देश के सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजना उपलब्ध कराई गई तथा सूखा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलने वाले राहत मानकों को बढ़ाकर सरकार ने अर्थव्यवस्था में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है।

उपलब्धियां

- वर्ष 2016–17 में खाद्यान्न उत्पादन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस वर्ष कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि दर लगभग 4.4 प्रतिशत रही है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 27.33 करोड़ टन अनुमानित है जो वर्ष 2015–16 की तुलना में 8.67 प्रतिशत अधिक है।
- खाद्यान्न का यह उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन से भी 6.37 प्रतिशत अधिक है।

शेष कवर 3

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 63★ मासिक अंक : 8★ पृष्ठ : 52 ★ ज्येष्ठ–आषाढ़ 1939★ जून 2017

इस अंक में

कृषि विकास और किसान कल्याण से किसानों की आय दोगुनी करने की कवायद	डॉ. अशोक दलवई	5
किसानों की संपन्नता के लिए खेती का कायाकल्प जरूरी	प्रो. रमेश चंद	13
किसानों की आय बढ़ाने में गुणवत्तायुक्त बीज एवं रोपण सामग्री की भूमिका एवं आगे की राह	डॉ. जे. पी. शर्मा, डॉ. जे. एस. संधू	16
किसानों की आय बढ़ाने में ऋण का योगदान	प्रो. चरण सिंह, एस अनंत, सीएल दाधीच	20
सिंचाई योजनाओं से कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास	---	23
संगठन और तकनीक के सहारे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी	भुवन भास्कर	25
किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री की सात सूत्री कार्ययोजना	---	28
फसल बीमा: आपदाओं के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा से बढ़ेगी कृषि आय	गजेंद्र सिंह मधुसूदन	30
खेती-किसानी के वित्तपोषण के बेहतर तंत्र से बढ़ेगी आमदनी	नितिन प्रधान	36
बेहतर प्रबंधन से बदलेगी कृषि की तस्वीर	चंद्रभान यादव	38
वैश्विक होता योग	आशुतोष कुमार सिंह	44
स्वच्छता सेनानी स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में 10 नए प्रतिष्ठित स्थान शामिल	---	46
ग्रामीणों की मदद से गंगा किनारे के गांव हुए ओडीएफ	---	47
सफलता की कहानी गरीबों और महिलाओं का संबल दीनदयाल अंत्योदय योजना	---	49
कृषि क्षेत्र में महिला शक्ति और रोजगार	रत्ना श्रीवास्तव	51

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

"अगर भारत का भाग्य बदलना है तो गांव से बदलने वाला है, किसान से बदलने वाला है और कृषि क्रांति से बदलने वाला है। हम लोग सालों से पीढ़ी–दर–पीढ़ी किसानी करते आए हैं। बहुत कम किसान है जो नया प्रयोग करते हैं या कुछ नया करने का साहस करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम हमारी किसानी को आधुनिक कैसे बनाएं, टेक्नोलॉजी युक्त कैसे बनाएं, हमारी युवा पीढ़ी जो आधुनिक आविष्कार कर रही है, उन आधुनिक आविष्कारों को खेत तक कैसे पहुंचाएं। किसान के घर तक कैसे पहुंचाए।" 19 मार्च, 2016 को कृषि उन्नति मेले में व्यक्त **प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी** के ये उद्गार हमारे देश में खेती–किसानी के महत्व और उससे जुड़ी चुनौतियों को बयान करने के लिए पर्याप्त हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का कृषि क्षेत्र बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये बदलाव ढांचागत तो हैं ही, साथ ही तकनीक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं। आज का किसान अगर पढ़ा–लिखा है तो संभव ही नहीं है कि खेतीबाड़ी उसके लिए घाटे का सौदा बने चूंकि सरकार ने उसके लिए आर्थिक, ढांचागत और तकनीकी दृष्टि से भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। खेतीबाड़ी करने के लिए उसके पास अगर पर्याप्त वित्त उपलब्ध नहीं है तो **किसान क्रेडिट कार्ड** सहित तमाम योजनाएं मौजूद हैं जिनके जरिए वह बेहद कम ब्याज दर पर ऋण ले सकता है। आपदा की स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से सरकार की नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू हो चुकी है जिसके तहत वर्ष 2017–18 में 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को इस योजना के तहत लाया जाएगा। इसे अगले वित्तवर्ष में बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने की योजना है।

वर्तमान सरकार ने 2016–17 के बजट में यह घोषणा की कि वह अगले छह वर्षों में यानी वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा तभी संभव है जब किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकें और उसे अपनी फसल की उचित कीमत भी मिल सके। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक **सात सूत्री कार्ययोजना** तैयार की है जिससे **किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य** हासिल किया जा सके।

प्रधानमंत्री की सात सूत्री कार्ययोजना में पहला सूत्र **'प्रति बूंद, अधिक फसल'** के उद्देश्य को लेकर बड़े पैमाने पर निवेश के साथ सिंचाई पर ध्यान देना है। दूसरा सूत्र क्वालिटी बीजों और पोषकों की उपलब्धता है ताकि किसान अपनी सीमित भूमि से ही अधिक उत्पादकता हासिल कर सकें। भूमि की उत्पादकता को जांचने के लिए **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** भी बड़े पैमाने पर चलाई गई है ताकि किसान अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के मुताबिक खेती के लिए फसल चुन सकें। साथ ही, कृषि वैज्ञानिक बीजों हेतु नई–नई किस्में जारी कर रहे हैं जिसका किसान भाई उत्पादन बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकें।

फसल की पैदावार हासिल होने के बाद किसानों को समस्या आती है उसके भंडारण की। हमारे देश में अनाज के पर्याप्त भंडारण की सुविधाओं के अभाव के चलते कई बार उच्च उत्पादकता हासिल होने के बावजूद करोड़ों रुपये का अनाज बर्बाद हो जाता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने अपने सात सूत्री कार्यक्रम में भंडारगृह, कोल्डचेन और भंडारण सुविधाओं पर भी बड़े पैमाने पर निवेश करने की योजना बनाई है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा ताकि इसके जरिए न केवल अनाज/उपज सुरक्षित हो सके बल्कि उसका मूल्य संवर्धन भी हो। साथ ही, किसानों की आर्थिक सुरक्षा हेतु **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** के जरिए आपदा प्रबंधन का प्रयास किया जाएगा ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसान ऋण के बोझ में दबकर तनाव की स्थिति में आत्महत्या का विचार मन में न लाएं और अपने परिवार का भरण–पोषण कर सकें।

अच्छी फसल होने पर भी हमारे देश में किसान को उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती जिसका एक कारण तो भंडारण सुविधाओं का अभाव है तो दूसरा कारण बिचौलियों द्वारा बड़े पैमाने पर कमीशन लेना है। बिचौलियों के चलते अच्छी पैदावार के बावजूद किसान तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने **एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार** (ई–नाम) की स्थापना को अपनी सात सूत्री कार्ययोजना में स्थान दिया है। एक अप्रैल 2016 से शुरू ई–नाम से देश के 13 राज्यों की 417 मंडियां जुड़ चुकी हैं। इस वित्तवर्ष में 585 मंडियों को जोड़े जाने का प्रावधान है।

इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहायक गतिविधियों जैसे मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन जैसी सहायक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। संक्षेप में, सरकार प्रधानमंत्री की सात सूत्री कार्ययोजना के जरिए किसानों को खेत में सिंचाई हेतु पानी, बीज, खाद उपलब्ध कराने से लेकर उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और उसे बेचने के लिए पूरे देश में एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने की ओर बढ़ भी रही है।

कुल मिलाकर किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने हर मोर्चे पर कमर कस ली है। जिस तेजी से देश में इस समय इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि यह लक्ष्य मुश्किल जरूर है लेकिन इसे हासिल करना नामुमकिन कतई नहीं है। जरूरत है तो इस दिशा में प्रयास करने के लिए ईमानदार और कर्मठ सरकारी गैर–सरकारी संगठनों/व्यक्तियों की जोकि हमारे देश के किसानों को इन कार्यक्रमों के बारे में न केवल जागरूक करें बल्कि उन्हें इनका हिस्सा बनाने के लिए पुरजोर सहयोग करें।

चूंकि हमारे देश में ज्यादातर किसान अभी ज्यादा पढ़े–लिखे नहीं हैं और रोजी–रोटी के लिए छोटे पैमाने पर ही खेती करते है। ऐसे सरकार द्वारा उन्हें दी रही मदद और सुविधाओं की जानकारी अगर उन तक पहुंचेगी तभी वह उनका लाभ उठा सकेंगे और उनकी आय 2022 तक दोगुनी करने का प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार हो सकेगा।

कृषि विकास और किसान कल्याण से किसानों की आय दोगुनी करने की कवायद

–डॉ. अशोक दलवई

किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करना तभी संभव है, जब सभी राज्य खेती की निरंतर उच्चतर वृद्धि दर कायम करने में सक्षम हों। उत्पादन में ऊंची वृद्धि दर निश्चित रूप से एक अनिवार्य शर्त है लेकिन यह पर्याप्त शर्त नहीं है। फसल पैदावार परवर्ती खंड में सुधारों पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि किसान अपनी उपज का अधिक मूल्य और मौद्रिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो।

भारत में कृषि की निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका

खेती भारत की करीब 48 प्रतिशत आबादी की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। यह देश की खाद्य सुरक्षा की जरूरत पूरी करने के साथ ही निर्यात के लिए अतिरिक्त पैदावार भी उपलब्ध कराती है। यह खेती से इतर क्षेत्र में काम आने वाली अधिकतर उपभोक्ता वस्तुएं कृषि से प्राप्त होती हैं और उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतर कच्चा माल कृषि सृजित करती है। खेती अपने अनुषंगी क्षेत्रों के साथ, भारत में, विशेष रूप से विस्तृत ग्रामीण भू–भागों में निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता है। राष्ट्र की समग्र अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)[1] में खेती का महत्वपूर्ण योगदान है, हालांकि प्रतिशत के संदर्भ में इसकी हिस्सेदारी कम हो रही है। इससे कृषि जीडीपी (2012–13 से एग्री–जीवीए में यानी कृषि में सकल मूल्य संवर्धन)[2] के आकार में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता उजागर हुई है, ताकि इस क्षेत्र पर निर्भर किसानों की प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी में इजाफा किया जा सके।

खेतों के आकार, फसल पद्धति और राष्ट्रीय जीवीए (यानी सकल मूल्य संवर्द्धन) की दृष्टि से भारत का कृषि क्षेत्र ढांचागत बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस बात को समझना कि खेती क्षेत्र देश में सबसे बड़ा निजी उद्यम है, नीति निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़े सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए लाभदायक होगा। अतः यह तर्कसंगत है कि किसानों की निजी उद्यमशीलता को सक्षम बनाया जाए ताकि वह स्वयं उत्कृष्ट बन सके। अभी तक राष्ट्र का फोकस अधिक पैदावार

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)– किसी राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों के मात्रात्मक मापन का व्यापकतम पैमाना है। अधिक विशिष्ट संदर्भों में कहें तो जीडीपी एक निर्दिष्ट अवधि में किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है।

सकल मूल्य संवर्द्धन (जीवीए)– अर्थशास्त्र में, किसी इलाके, उद्योग या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापन होता है। राष्ट्रीय खाते में जीवीए का अर्थ है उत्पादन माइनस मध्यवर्ती उपभोग; यह राष्ट्रीय खाते के उत्पादन का एक संतुलित मद है।

सामान्य भाषा में जीवीए =जीडीपी–आयात शुल्कों सहित उत्पादों पर कर+उत्पादों पर सब्सिडी। जीवीए की धारणा भारत में जनवरी 2015 में शुरू की गई। और जीवीए की गणना कृषि सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए की जा रही है, परन्तु, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मामले में जीडीपी और जीवीए दोनों की गणना की जाती है। वर्ष 2011–12 के मूल्यों पर आधारित जीवीए अब वर्ष 2012–13 के लिए उपलब्ध है।

और खाद्य सुरक्षा हासिल करने पर रहा है, जो संतोषजनक रूप से हासिल की गई है। परन्तु, इससे अनेक मुद्दे भी पैदा हुए हैं जो स्थिरता को चुनौती देते हैं और आज हम एक तरह का कृषि संकट महसूस कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह अधिक उचित होगा कि कृषि नीति के आधार के रूप में हम किसी भी कीमत पर उत्पादन को वरीयता देने की बजाय खेती की आय पर केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाएं। किसान को ऐसी सुविधाएं देनी होंगी कि वह अपने खेती उद्यम को लाभ के आधार पर संचालित कर सके।

परन्तु, एक सच्चे स्व–उद्यम के रूप में खेती की प्रोन्नति को संसाधनों की स्थिरता और लोगों के समावेशन के संदर्भ में परिभाषित करना होगा। इस संदर्भ में स्थिरता का अर्थ है– प्राकृतिक संसाधनों का समुचित इस्तेमाल, जैव–विविधता का संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, बढ़ती आबादी की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। और, समावेशन का अर्थ है खेती पर निर्भर सभी परिवारों, चाहे वे भूमिहीन खेतिहर मज़दूर हों या फिर लघु और सीमांत किसान, सभी को समान अवसर प्रदान करना तथा उनकी निवल परिवार आय का स्तर वर्तमान की तुलना में पर्याप्त ऊंचा उठाना।

भारतीय खेती की स्थिति : का आकलन

2011 की कृषि जनगणना के अनुसार, देश में कृषि श्रमिकों की संख्या 26.3 करोड़ थी, जिनमें 11.87 करोड़ कृषक और 14.43 करोड़ खेतिहर मज़दूर शामिल थे। कुल कृषि श्रमिकों की संख्या के प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो उनकी भागीदारी क्रमशः 45.1 प्रतिशत और 54.9 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में, 1951 में कृषि श्रमिकों की संख्या 9.72 करोड़ थी, जिनमें 6.99 करोड़ कृषक (71.9 प्रतिशत) और 2.73 करोड़ (28.1 प्रतिशत) खेतिहर मज़दूर शामिल थे। इससे यह स्पष्ट है कि 1951 की तुलना में 2011 में न केवल कृषि श्रमिकों की कुल संख्या में इजाफा हुआ है, बल्कि कुल कृषकों की संख्या की तुलना में खेतिहर मज़दूरों की संख्या भी बढ़ी है। इन आंकड़ों को देखकर यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि 1951 में कृषि पर निर्भर लोगों का प्रतिशत 80 था जो 2011 तक आते–आते 48 प्रतिशत रह गया है। परन्तु, पूर्ण संख्या के संदर्भ में रोज़गार, आय और आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है।

वर्तमान मूल्यों पर, कृषि जीडीपी (खेती, वानिकी और लकड़ी उद्योग और मत्स्य उद्योग सहित) का आकार वर्ष 2013–14 में रुपये 19,06,348 करोड़ (रु. 1.90 मिलियन करोड़) था। वानिकी और लकड़ी उद्योग को छोड़ कर कृषि–जीडीपी (केवल खेती फसलों, बागवानी पशुपालन और डेरी तथा मत्स्य उद्योग सहित) का आकार 14,95,591 करोड़ रुपये (यानी 1.49 मिलियन करोड़ रुपये) मूल्यांकित किया गया।

2011–12 के मूल्यों पर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के समग्र सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) के हिस्से के रूप में कृषि क्षेत्र का जीवीए घट रहा है। 2012–13 में यह 17.8 प्रतिशत था, जो 2013–14 में घटकर 17.5 प्रतिशत और 2014–15 में 16.3 प्रतिशत तथा 2015–16 में और भी घट कर 15.3 प्रतिशत दर्ज हुआ। 2015–16 का 15.3 प्रतिशत कृषि–जीवीए में करीब आधी (50 प्रतिशत) आबादी की हिस्सेदारी थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसानों की क्रय शक्ति वांछित स्तर से कम थी। देश में परिवारों (खेती और गैर–खेती) की कुल आय के आधार पर 2011–12 में गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले किसान 22.5 प्रतिशत थे। स्वाभाविक है कि यह ऐसी स्थिति है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इन आंकड़ों में राज्यवार अंतराल भी बहुत अधिक था। उसी वर्ष में पंजाब, केरल और हरियाणा में गरीबी की रेखा से नीचे किसानों की आबादी का प्रतिशत क्रमशः 0.5, 3.2 और 4.3 था। लेकिन, इसके विपरीत झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और ओडिसा में गरीबी रेखा से नीचे के किसानों का प्रतिशत क्रमशः 45.3, 35.1, 33.0 और 32.1 था।

तालिका–1 क : 2003 में विभिन्न स्रोतों से औसत मासिक आय (रु.) की तुलना में 2013 में विभिन्न स्रोतों से औसत मासिक आय (रु) का अनुपात।

प्रमुख राज्य	दिहाड़ी से आय	खेती से निवल आय	पशुपालन से निवल आय	गैर–कृषि व्यापार से निवल आय	कुल आय
पंजाब	1.56	1.80	2.39	0.68	1.67
हरियाणा	1.20	1.85	--*	0.57	1.93
राजस्थान	1.36	1.60	3.99	1.63	1.63
उत्तर प्रदेश	1.00	1.38	3.76	0.99	1.31
बिहार	1.28	0.80	0.44	0.55	0.83
असम	0.69	1.15	2.45	0.51	1.02
पश्चिम बंगाल	1.18	0.62	1.44	0.76	0.91
झारखंड	1.09	0.78	5.88	0.56	1.13
ओडिसा	1.41	1.79	33.35	1.54	2.08
छत्तीसगढ़	1.25	2.05	1.58	0.00	1.57
मध्य प्रदेश	1.17	1.48	--*	0.59	1.75
गुजरात	1.34	1.18	1.84	1.30	1.36
महाराष्ट्र	1.29	1.54	1.82	1.49	1.47
आंध्र प्रदेश	1.59	1.56	3.61	1.07	1.64
कर्नाटक	1.27	1.66	1.92	1.49	1.52
केरल	1.21	1.43	1.58	1.62	1.36
तमिलनाडु	1.24	1.16	3.93	2.43	1.48
अखिल भारत	1.22	1.32	3.21	1.00	1.34

नोट : संगतता के लिए लेखकों ने सीपीआई–एएल का इस्तेमाल करते हुए 2003 की आय को 2013 के मूल्यों के अनुसार समायोजित किया, ताकि तुलना न्यूनतम संदर्भ की बजाए वास्तविक संदर्भ में की जा सके। *लेखकों ने इस अनुपात का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि दोनों वर्षों में इस स्रोत से निवल आय नकारात्मक थी।
स्रोत : यूनिट–लेवल डाटा से लेखकों की गणना।

तालिका–1 ख : 2003 में विभिन्न स्रोतों से औसत मासिक आय (रु.) की तुलना में 2013 में विभिन्न स्रोतों से औसत मासिक आय (रु.) का अनुपात

धारित भूमि का आकार	दिहाड़ी से आय	खेती से निवल आय	पशुपालन से निवल आय	गैर–कृषि व्यापार से निवल आय	कुल आय
<0.01	1.01	0.34	3.40	0.63	1.13
0.01-0.40	1.07	1.09	2.78	0.67	1.10
0.41-1.00	1.26	1.40	2.61	1.08	1.38
1.01-2.00	1.23	1.50	3.31	1.61	1.52
2.01-4.00	1.26	1.54	5.39	1.23	1.59
4.01-10.00	1.81	1.76	7.88	1.33	1.85
>10.00	1.23	2.06	3.58	1.32	2.02
सभी श्रेणियां	1.22	1.32	3.21	1.00	1.34

(स्रोत : यूनिट लेवल डेटा से लेखकों की गणनाएं)

क्या किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है? और इसमें क्या चुनौतियां हैं?

किसानों की क्रयशक्ति औसत मासिक आय पर निर्भर करती है। किसानों की औसत मासिक आय के आंकड़े 2003 में कराए गए कृषक स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (जिसे यहां बाद में 2003 का सर्वेक्षण कहा जाएगा) और 2013 में कराए गए कृषक परिवार स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (जिसे यहां बाद में 2013 का सर्वेक्षण कहा जाएगा) से उपलब्ध होते हैं। 2003 और 2013 पर आधारित इन दो सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तुलना से किसानों की औसत मासिक आय में परिवर्तन का पता चलता है। एस. चन्द्रशेखर और निरूपम महरोत्रा ने अपने आलेख **''डब्लिंग ऑफ फार्मर्स इंकम बाई 2022–व्हट वुड इट टेक?''[3]** में वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2013 में विभिन्न राज्यों में किसानों की वास्तविक (न्यूनतम से विपरीत)[4] आय में परिवर्तनों को दर्शाया है, जो यूनिट–स्तरीय डाटा से उनकी स्वयं की गणना पर आधारित है। तालिका–1 क देखें।

तालिका–1क में देखा जा सकता है कि इन दो सर्वेक्षण अवधियों के बीच ओडिसा एकमात्र राज्य है, जो किसानों की वास्तविक आय को दोगुनी से अधिक करने में सक्षम रहा। कुछ अन्य राज्य जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक भी किसानों की वास्तविक आय में महत्वपूर्ण इजाफा करने में सफल रहे। यहां यह बात समझने की है कि आय में परिवर्तन न्यूनतम आय के विपरीत वास्तविक आय के संदर्भ में मूल्यांकित किए गए। वास्तविक आय का अर्थ है, महंगाई जैसे समुचित मुद्रास्फीतिकारक डिफ्लेटरों का इस्तेमाल करके न्यूनतम आय को कम करने के बाद लगाए गए अनुमान। इससे निर्दिष्ट अवधि में किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने की व्यवहार्यता का पता चलता है।

एस चन्द्रशेखर और निरूपम महरोत्रा ने अपने उसी आलेख (पैरा 3.1 में वर्णित) में स्वयं की डाटा गणना के आधार पर 2003 में विभिन्न स्रोतों से औसत मासिक आय की तुलना में 2013 में विभिन्न स्रोतों से औसत मासिक आय का अनुपात भी दर्शाया है। तालिका–1ख देखें।

तालिका–1ख में दर्शाया गया है कि किसानों की आय 4 (चार) अलग–अलग स्रोतों से आती है और इससे पता चलता है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए किस तरह के क्षेत्रवार उपायों की आवश्यकता होगी। तालिका–1ख में दर्शायी गई खेती से निवल आय में कृषि और बागवानी से होने वाली आय शामिल है।

इस तालिका से इस तथ्य का भी पता चलता है कि छोटे आकार के खेत रखने वाले किसानों की तुलना में बड़े आकार के खेत रखने वाले किसानों की औसत मासिक आय में अधिक बदलाव हुए हैं। इससे पता चलता है कि खेत के आकार और किसान की मासिक आय के बीच सकारात्मक सह–संबंध है।

आकार समूह के अनुसार भूमि धारिता का औसत आकार समय के साथ–साथ विपरीत स्थिति में बदलता रहा है। 2010–11 की कृषि

तालिका–2 क

(आंकड़े हेक्टेयर में)

क्र. सं.	आकार समूह	औसत खेत का आकार
1	सीमांत किसान	1.39
2	लघु किसान	1.42
3	अर्ध–मझोले किसान	2.71
4	मझोले किसान	5.76
5	बड़े किसान	17.38
6	सभी किसान	1.15

तालिका–2 ख

क्र सं	औसत मासिक आय का स्रोत	प्रतिशत
1	खेती (कृषि और बागवानी)	47.9
2	पशुपालन से आय	11.9
3	वेतन से आय	32.2
4	गैर–कृषि व्यापार से आय	8.0
	कुल	100.00

इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू), अप्रैल 30, 2016 अंक 18, पृष्ठ 10 से 13

वास्तविक आय महंगाई समायोजित करने के बाद व्यक्तियों या राष्ट्रों की आय होती है। इसकी गणना न्यूनतम आय में से महंगाई घटाने के बाद की जाती है। वास्तविक अंतरों, जैसे वास्तविक आय, वास्तविक जीडीपी और वास्तविक ब्याज दर, ऐसे अंतर होते हैं, जिनका मापन भौतिक इकाइयों में किया जाता है, जबकि न्यूनतम अंतर जैसे न्यूनतम आय, न्यूनतम जीडीपी और न्यूनतम ब्याज दर का मापन मौद्रिक इकाइयों में किया जाता है। अतः वास्तविक आय समृद्धि का अधिक उपयोगी संकेतक है, चूंकि यह उन वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा पर आधारित होता है, जो आय से खरीदी जा सकती हैं।

न्यूनतम आय मौद्रिक संदर्भ में व्यक्त आय है। इस आय का मापन वर्तमान मुद्रा (रुपया, डॉलर आदि) में किया जाता है। सरल शब्दों में, न्यूनतम आय किसी व्यक्ति के वेतन चेक पर लिखी मौद्रिक राशि होती है।

गणना के अनुसार आकार समूह द्वारा धारित भूमि का आकार इस प्रकार था :

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि सीमांत और लघु आकार श्रेणियों के अंतर्गत भूमि धारिता के आकार में कमी आई है, जो खेती की व्यवहार्यता के प्रति चुनौती की सीमा तक कम हुई है। इसके अतिरिक्त खेतों की संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ है और आज देश में कुल जोतों का करीब 86 प्रतिशत सीमांत और लघु कृषकों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार प्रचालनगत जोतों का औसत आकार, जैसाकि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, 1.15 हेक्टेयर तक नीचे आ गया है। वर्ष 1970–71 की तुलना में खेतों के औसत आकार में तीव्र गिरावट आई है।

2013 के सर्वेक्षण के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर कृषक परिवार की औरत मासिक आय रु. 6426 थी और कुल आय में विभिन्न स्रोतों का योगदान निम्नांकित अनुसार था :

इसके अतिरिक्त 2013 के सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि रु. 6,246 की औसत मासिक आय की तुलना में औसत मासिक उपभोग खर्च रु. 6,223 था। इससे परिवार का खर्च पूरा करने के लिए आय की पर्याप्तता के संदर्भ में किसान की कमजोरी का भी पता चलता है। साथ ही, ऐसी बचत में किसान की असमर्थता भी उजागर होती है, जिसका इस्तेमाल खेती में वापस निवेश के लिए किया जा सके।

किसानों की आय में परिवर्तनों का संबंध मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर के साथ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2006–07 से 2011–12) में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रही, जबकि लक्ष्य 4 प्रतिशत का था। वर्तमान में जारी 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–13 से 2017–18) के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर लक्षित से कम रही है। इसका कारण 2012–13 में इस क्षेत्र का खराब निष्पादन और 2014–15 और 2015–16 के वर्षों में लगातार दो भीषण सूखे रहे हैं। परंतु, वर्ष 2016–17 के दौरान वृद्धि में समुत्थान की स्थिति दिखाई देती है। उत्पादन के तृतीय अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2016–17 में खेती की वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत दर्ज होने की संभावना है। वर्ष के दौरान 27.2 करोड़ मीट्रिक टन अनाज और 28.7 करोड़ मीट्रिक टन फल एवं सब्जियों के उत्पादन का अनुमान है, जो वर्ष 2013–14 में हुए 2.65 मीट्रिक टन अनाज और 2.84 मीट्रिक टन फल एवं सब्जियों के उत्पादन से अधिक है। यह जरूरी है कि खेती क्षेत्र में सुदृढ़ और निरंतर वृद्धि दर बनाए रखी जाए ताकि किसानों का असंतोष दूर किया जा सके और उनकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी हो सके, ताकि वे उच्चतर जीवन–स्तर हासिल कर सकें और पूंजी निवेश की जरूरतें पूरी करने के लिए अपेक्षित बचत भी कर सकें। बचत के अभाव और अपेक्षित मात्रा में संस्थागत ऋण उपलब्ध न होने की वजह से किसान को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले विभिन्न कारणों में ऋणग्रस्तता एक महत्वपूर्ण कारण है। 2013 के सर्वेक्षण के अनुसार देश में करीब 52 प्रतिशत कृषक परिवार ऋणग्रस्त थे और प्रति कृषि परिवार औसत ऋण लगभग रु. 47,000 था।

उपरोक्त संदर्भ में भारत सरकार ने 2016–17 के बजट में घोषणा की कि वह 6 वर्ष (2016–17 से 2021–22) की अवधि में किसानों की आय दोगुनी करने के प्रति वचनबद्ध है। बजटीय घोषणा से पहले, 18 फरवरी, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री ने बरेली में एक सभा में राष्ट्र के समक्ष यह लक्ष्य हासिल करने का वादा किया था। जैसाकि तालिका–1क के आंकड़ों में देखा जा सकता है, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करना तभी संभव है, जब सभी राज्य खेती की निरंतर उच्चतर वृद्धि दर कायम करने में सक्षम हों। उत्पादन में ऊंची वृद्धि दर निश्चित रूप से एक अनिवार्य शर्त है लेकिन यह पर्याप्त शर्त नहीं है। फसल पैदावार परवर्ती खंड में सुधारों पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि किसान अपनी उपज का अधिक मूल्य और मौद्रिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो।

2004–05 के स्थिर मूल्यों के आधार पर 2005–06 से 2013–14 की अवधि के लिए, कृषि क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दरों के बारे में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार (31.10.2014 को) अनेक राज्य/संघशासित प्रदेश 4.10 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से उच्चतर औसत वृद्धि दर हासिल कर सके। इसे नीचे दर्शाया गया है।

बड़े राज्य

मध्य प्रदेश (10.345), झारखंड (9.74), छत्तीसगढ़ (8.03), गुजरात

तालिका–3 समूची अर्थव्यवस्था में जीवीए में कृषि और अनुशंगी क्षेत्रों की हिस्सेदारी

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	कृषि वानिकी और मत्स्य उद्योग	फसलें	मवेशी	वानिकी और लकड़ी उद्योग	मत्स्य उद्योग और जलजीव पालन
2011-12	18.37	12.1	4.0	1.5	0.8
2012-13	17.8	11.5	4.0	1.5	0.8
2013-14	17.5	11.3	4.0	1.4	0.8
2014-15	16.3	10.2	4.0	1.3	0.8
2015-16*	15.4	9.3	4.0	1.3	0.8

* 31.05.2016 को जारी वार्षिक राष्ट्रीय आय 2015–16 के अस्थायी अनुमानों और जीडीपी (चौथी तिमाही) के तिमाही अनुमानों के अनुसार

तालिका–4 : कृषि, मत्स्य उद्योग और वानिकी से प्रतिशत जीवीए की तुलना में मवेशी उप–क्षेत्र का जीवीए में योगदान

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	सभी क्षेत्रों से कुल जीवीए में कृषि, मत्स्य उद्योग और वानिकी (एएफएफ) के जीवीए का योगदान (प्रतिशत)		कृषि, मत्स्य उद्योग और वानिकी के जीवीए में मवेशी उप–क्षेत्र के जीवीए का योगदान (प्रतिशत)	
	वर्तमान आधार मूल्यों पर	स्थिर आधार मूल्यों पर	वर्तमान आधार मूल्यों पर	स्थिर आधार मूल्यों पर
2011-12	18.37	18.37	21.52	21.52
2012-13	18.04	17.72	22.01	22.36
2013-14	17.95	17.22	21.58	22.75

(स्रोत : स्टेटिस्टिकल ईयरबुक, इंडिया 2016, एमओएसपीआई)

(6.20), राजस्थान (5.91), महाराष्ट्र (5.90), बिहार (5.11), आंध्र प्रदेश (4.48) और तमिलनाडु (4.45)।

छोटे राज्य/संघशासित प्रदेश

पुडुचेरी (9.90), मिजोरम (9.73), अरुणाचल प्रदेश (6.80) और त्रिपुरा (6.15)।

उदाहरण के लिए यदि वैश्विक स्तर पर देखें, तो चीन के कृषि क्षेत्र की वार्षिक मूल्य संवर्धित वृद्धि दर के प्रतिशत में सुसंगतता दिखाई देती है। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 के वर्षों में यह वृद्धि क्रमशः 4.17, 4.48, 2.85, 4.06 और 3.90 प्रतिशत दर्ज हुई। यह बढ़ोतरी पहले से ऊंचे कृषि–जीवीए आधार से संबंधित है, जो भारत को यह संदेश देती है कि वह भी ऐसा कर सकता है।

कृषि क्षेत्र को जैविक प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है, यह क्षेत्र अपने स्वभाव से ही जलवायु के उतार–चढ़ावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, जो इस क्षेत्र पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार की अनिश्चितताएं भी इस क्षेत्र के प्रति जोखिम पैदा करती हैं, चूंकि इस क्षेत्र की पैदावार का उतना कुशल प्रबंधन नहीं किया जा सकता, जैसाकि औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में संभव है। इसका दुष्प्रभाव किसान पर उपज और उत्पादन–परवर्ती प्रणालियों के प्रत्येक स्तर पर पड़ता है, जिससे उसकी आमदनी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। अतः किसानों को सहायता प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने परिवार की व्यय जरूरतों, मानवीय गरिमा और जीवन सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता किए बिना ऐसे जोखिमों और अनिश्चितताओं के प्रति मोल–भाव करने में सक्षम बन सकें। ऐसे बाध्यकारी कारणों और अपने लक्ष्य को अधिक प्रखर रूप में परिभाषित करने के लिए भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय को नया रूप देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का नाम दिया है। इसी प्रकार, मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और सहकारिता विभाग का नाम भी कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत कवरेज सुनिश्चित करते हुए किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही, एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करना है, जो कृषि क्षेत्र में उच्चतर वृद्धि दर में मददगार हो।

जीवीए की क्षेत्रगत और उप–क्षेत्रगत वृद्धि दरें तथा निवेश के लिए प्राथमिकताओं की पहचान

कृषि सहित किसी भी क्षेत्र में उच्चतर वृद्धि दर हासिल करने के लिए कुछ पूर्व–अपेक्षाएं होती हैं। इनमें सुविधा पहुंचाने वाला नीति फ्रेमवर्क शामिल है, जिसकी बदौलत सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में योगदान करने में सक्षम सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों से पर्याप्त निवेश जुटाया जा सके, ताकि उपयुक्त कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अंजाम दिया जा सके। यह हमेशा अनिवार्य होता है कि निवेश और उपायों के लिए उप–क्षेत्रों की वरीयता निर्धारित की जाए ताकि समूचे क्षेत्र से उच्चतर वृद्धि दर हासिल की जा सके। चूंकि, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसल क्षेत्र, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग जैसे विभिन्न उप–क्षेत्र आते हैं, इसलिए इन उप–क्षेत्रों की संघटना और उनमें से प्रत्येक के संदर्भ में विद्यमान बढ़ोतरी की संभावनाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना भी मददगार

तालिका–5 : वर्तमान और स्थिर मूल्यों (2011–12) के आधार पर सभी क्षेत्रों के समग्र जीवीए के संदर्भ में मवेशी उप–क्षेत्र और फसल उप–क्षेत्र के जीवीए के योगदान की तुलना

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	सभी क्षेत्रों से कुल जीवीए में मवेशी उप–क्षेत्र के जीवीए का योगदान		सभी क्षेत्रों से कुल जीवीए में फसल उप–क्षेत्र के जीवीए का योगदान	
	वर्तमान आधार मूल्यों पर	स्थिर आधार मूल्यों पर	वर्तमान आधार मूल्यों पर	स्थिर आधार मूल्यों पर
2011-12	3.95	3.95	12.04	12.04
2012-13	3.97	3.96	11.68	11.46
2013-14	3.88	3.92	11.77	11.1

(स्रोत : स्टेटिस्टिकल ईयरबुक, इंडिया 2016, एमओएसपीआई)

होगा, कि सभी उप–क्षेत्रों की आंतरिक लाभ दर एकसमान नहीं हो सकती।

2011–12 के मूल्यों के आधार पर समूची अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी तालिका–3 में दी गई है।

तालिका–4 और तालिका–5 में दिए गए आंकड़े वृद्धि कार्यनीति तैयार करने के लिए उपयोगी हैं।

कृषि, वानिकी और लकड़ी उद्योग के विभिन्न उप–क्षेत्रों में वृद्धि दर अंतर

जैसाकि तालिका–6 में दर्शाया गया है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न उप–क्षेत्रों में जीवीए की वृद्धि दर अलग–अलग रही है। इससे यह आवश्यकता उजागर होती है कि जीवीए में बढ़ोतरी के लिए उप–क्षेत्रगत उपाय अपेक्षित हैं।

तालिका–6 की विषय–वस्तु से वार्षिक वृद्धि दरों में उतार–चढ़ावों का पता चलता है, जो एक क्षेत्र के रूप में कृषि में परिलक्षित होते हैं। यह तालिका कृषि क्षेत्र के विभिन्न उप–क्षेत्रों के बीच वृद्धि दर अंतरों की तुलना पर भी ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए मवेशी और मत्स्य उद्योग एवं जलजीव पालन उप–क्षेत्र की वृद्धि दर फसल उप–क्षेत्र की तुलना में अधिक परिलक्षित होती है।

इसके अतिरिक्त, फसल उप–क्षेत्र के भीतर, जिसमें अनाज, दलहन और तिलहन आदि खेती फसलें शामिल हैं, बागवानी (फल और सब्जियां आदि) क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले दशक में अपेक्षाकृत ऊंची दर्ज हुई। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में बागवानी फसलों की तरफ झुकाव बढ़ा है और यह रूपांतरण जारी है। बागवानी फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि खेती फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में इस अवधि में मात्र 5 प्रतिशत वृद्धि हुई। पिछले दशक में बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र में 2.75 प्रतिशत वार्षिक और उत्पादन में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई थी। वर्ष 2016–17 के बारे में अनुमान है कि 2.42 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र से बागवानी उत्पादन 2.87 करोड़ मीट्रिक टन दर्ज होने का अनुमान है, जो देश में कृषि उत्पादन को पार कर जाएगा। कृषि उत्पादन के प्रतिशत के रूप में बागवानी उत्पादन की हिस्सेदारी फिलहाल 30 प्रतिशत है।

जहां तक खेती फसलों का संबंध है, आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि भारत में पैदावार के स्तरों में खासा इजाफा हुआ है। किंतु, अंतर–राज्य और अंतर–राष्ट्रीय तुलनाओं से पता चलता है कि देश में प्रमुख फसलों की औसत पैदावार में बढ़ोतरी की व्यापक संभावनाएं हैं। चुनी हुई फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार के क्षेत्र में भारत में हुई वृद्धि की तुलना बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों से करने पर पता चलता है कि पैदावार में व्यापक अंतराल विद्यमान है, जिन्हें भारतीय किसान के लाभ के लिए दूर किया जा सकता हे। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दिए गए 2014 के आंकड़ों के आधार पर कुछ मामलों पर निम्नांकित अनुच्छेदों में प्रकाश डाला गया है :

धान : भारत में औसत पैदावार 3.62 टन प्रति हेक्टेयर की तुलना में विश्व की औसत पैदावार 4.53 टन प्रति हेक्टेयर है। कुछ देशों में यह पैदावार बहुत अधिक है, जैसे चीन में 6.74 टन, वियतनाम में 5.75 टन, इंडोनेशिया में 5.13 टन और बांग्लादेश में 4.42 टन है।

गेहूं : भारत में औसत पैदावार 3.03 टन प्रति हेक्टेयर की तुलना में विश्व की औसत पैदावार 3.27 टन प्रति हेक्टेयर है। कुछ देशों में यह पैदावार बहुत अधिक है, जैसे फ्रांस में 7.36 टन प्रति हेक्टेयर और चीन में 5.04 टन प्रति हेक्टेयर है।

मक्का : भारत में औसत पैदावार 2.75 टन प्रति हेक्टेयर की तुलना में विश्व की औसत पैदावार 5.57 टन प्रति हेक्टेयर है। कुछ देशों में यह पैदावार बहुत अधिक है, जैसे अमेरिका में 10.73 टन प्रति हेक्टेयर, अर्जेंटीना में 6.6 टन, ब्राजील में 6.47 टन और चीन में 5.99 टन प्रति हेक्टेयर है।

समग्र दलहन : विश्व की औसत पैदावार 9.06 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की तुलना में भारत में औसत पैदावार काफी कम है, जो 6.54 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कुछ देशों में यह पैदावार बहुत अधिक है, जैसे कनाडा में 20.30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, चीन में 15.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, म्यांमा में 13.24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ब्राजील में 10.30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

देश के भीतर अंतर–राज्य की तुलना करने से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों के बीच निष्पादन में अंतर है। उदाहरण के लिए अनाज के मामले में देश की समग्र औसत पैदावार 2.10 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि कुछ राज्य बेहतर निष्पादन करते हुए अधिक पैदावार करने में सफल रहे हैं। इनमें पंजाब (4.40 टन/हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (3.8 टन/हेक्टेयर), हरियाणा (3.84 टन/हेक्टेयर), पश्चिम बंगाल (2.73 टन/हेक्टेयर) और उत्तर प्रदेश (2.47 टन/हेक्टेयर) शामिल हैं। दूसरी तरफ कुछ राज्यों का उत्पादन राष्ट्रीय औसत से बहुत

तालिका 6 : अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र और उसके उप–क्षेत्रों की जीवीए वृद्धि दर का योगदान

	जीवीए में वृद्धि दर (प्रतिशत)						
वर्ष	कुल अर्थव्यवस्था		कृषि, वानिकी और लकड़ी उद्योग तथा मत्स्य उद्योग	फसलें	मवेशी	वानिकी और लकड़ी उद्योग	मत्स्य उद्योग और जलजीव पालन
	GDP*	GVA					
2012-13	5.6	5.4	1.5	0.2	5.2	0.3	4.9
2013-14	6.6	6.3	4.2	4.2	5.6	-1.5	7.6
2014-15	7.2	7.1	-0.2	-3.2	7.3	-1.0	5.0
2015-16*	7.9	7.8	0.2	-2.2	6.5	2.0	6.7

* 31.05.2016 को जारी वार्षिक राष्ट्रीय आय 2015–16 के अस्थायी अनुमानों और जीडीपी (चौथी तिमाही) के तिमाही अनुमानों के अनुसार।

** नोट : सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अंतर्गत जीवीए, आयात

में कमी आएगी, जिससे कृषि निवेश की लागत कम होगी, जो अक्सर निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसी सड़क ढांचे से विपणन की लागत में कमी आएगी, जिससे उत्पादन प्रबंधन की सक्षमता में सुधार होगा। व्यापार करने में सुविधा बढ़ाते हुए ऐसे युक्तिसंगत सार्वजनिक निवेश के जरिए निजी क्षेत्र में निवेश को गति प्रदान की जा सकती है। अतः सरकारी निवेश का उपयोग ऐसे ढंग से करने के प्रयास किए जा सकते हैं, जिनसे निजी निवेश जुटाने में मदद मिले और इस तरह कृषि क्षेत्र में समग्र निवेश में वृद्धि हो। कार्यान्वयन के स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न ढांचागत कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटनों के इस्तेमाल से बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), ग्रामीण ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ) आदि कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल और मनरेगा जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से संसाधनों के बीच समाभिरूपता कायम करते हुए निवेश बढ़ाया जा सकता है।

नीचे है। महाराष्ट्र में यह उत्पादन 1.19 टन प्रति हेक्टेयर, कर्नाटक में 1.62 टन प्रति हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ में 1.53 टन प्रति हेक्टेयर और ओडिसा में 1.61 टन प्रति हेक्टेयर तथा राजस्थान में 1.36 टन प्रति हेक्टेयर है। निःसंदेह राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य काफी हद तक वर्षा पर आधारित होने के कारण उनकी पैदावार कम है। परंतु, कुल मिलाकर फसल अंतराल की विद्यमानता को देखते हुए कार्य निष्पादन में सुधार और पैदावार बढ़ाने की संभावनाएं तलाश की जानी चाहिए ताकि किसानों को लाभ पहुंच सके।

उप–क्षेत्रगत वृद्धि दर अतरालों और प्रमुख फसलों के मामले में उपज अंतरालों को देखते हुए फोकस और प्रयासों की वरीयता के अनुसार उच्चतर वृद्धि दरें दर्ज करने की व्यापक संभावनाएं हैं। यह स्वाभाविक है कि मवेशी, बागवानी, मत्स्य उद्योग और जलजीव पालन में अधिक संभावनाएं हैं और ये क्षेत्र बल दिए जाने योग्य हैं। साथ ही, खेती फसलों के मामले में उच्चतर पैदावार स्तर हासिल करने पर भी फोकस करना होगा। देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2030 तक, जब भारत की आबादी बढ़कर 150 करोड़ हो जाने का अनुमान है, अनाज की आवश्यकता बढ़कर 3.34 करोड़ मीट्रिक टन पर पहुंच जाएगी।

कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश में बढ़ोतरी

जन–कल्याण के लिए ढांचागत, तकनीकी विकास के जरिए ज्ञान सृजन और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के लिए सरकारी निवेश की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि विकास को बल प्रदान किया जा सके। सरकारी निवेश के अंतर्गत सरकारों द्वारा सड़क ढांचा, बाजारों के विकास, सिंचाई ढांचा, भंडारण गोदामों की स्थापना, कोल्डचेन ढांचे का निर्माण, आदि के लिए निवेश शामिल है। निवेश निजी क्षेत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी निवेश किसानों तक अधिक सक्षमता के साथ पहुंचाया जा सकता है और इसी तरह निजी क्षेत्र में निवेश से भी किसानों की क्षमता में सुधार होगा। उदाहरण के लिए, सड़क ढांचे में सुधार करने से ढुलाई की लागत

अनुसंधान अध्ययनों से पता चला है कि सार्वजनिक और निजी निवेशों के बीच परस्पर संबंध है। उदाहरण के लिए बाबा और अन्य (2010) ने अपने कार्य में हिमाचल प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उन्होंने यह पाया कि 1969–2002 की अवधि में कृषि में सरकारी क्षेत्र के निवेश और निजी क्षेत्र के निवेश के बीच एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिला। इस संबंध का न्यूनतम अनुमानित प्रभाव यह रहा कि यदि सरकारी निवेश में 10 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो निजी निवेश में 1.6 रुपये की वृद्धि होती है और इस तरह सार्वजनिक–निजी निवेश के बीच 0.3 की मूल्य सापेक्षता कायम होती है।

भारत और चीन सहित विभिन्न देशों में कराए गए अध्ययनों से पता चला है कि कम विकसित क्षेत्रों में सरकारी निवेश पर रिटर्न (लाभ) की दर ऊंची रही है। वर्तमान अध्ययनों के परिणामों से संकेत मिलता है कि अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में निवेश से धन की पूरी कीमत मिलने के अधिक अवसर रहते हैं। इस तरह जिले और राज्य में ऐसे क्षेत्रों और साथ ही ऐसे उप–क्षेत्रों, जो भी सीमांत समझे जा रहे हों, में उच्चतर निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि जीवीए की उच्चतर वृद्धि हासिल की जा सके। खेती में सरकारी निवेश की बुनियादी प्रासंगिकता दो प्रमुख तत्वों पर आधारित है :

ऐसे निवेश से कृषि क्षेत्र की समग्र सक्षमता में सुधार लाया जा सकता है; और

ऐसा निवेश गरीबी और असमानता कम करने में सहायक हो सकता है।

यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कृषि क्षेत्र में निवेश न केवल

इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाता है बल्कि गैर–कृषि क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये लाभ अग्रणी संपर्कों जैसे कृषि उत्पादन के जरिए हासिल किए जा सकते हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए निवेश बनता है। इसी तरह पश्चवर्ती सम्पर्कों से भी लाभ होते हैं, जैसे गैर–कृषि वस्तुओं और सेवाओं में बढ़ोतरी की मांग सृजित होती है।

कृषि क्षेत्र में विकास और किसानों का कल्याण

कृषि में असंतोष किसानों की कम आय से व्यक्त होता है (जिसका पता गरीबी रेखा से नीचे किसानों के उच्च प्रतिशत से चलता है) जिसके कारण किसान आत्महत्या कर लेते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि समय पर और समुचित रूप में उपाय किए जाएं, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए ऐसी धुरी पर आधारित कार्यनीति अपनानी होगी, जिसका लक्ष्य एक तरफ खेती में वृद्धि करना हो और दूसरी तरफ किसानों का कल्याण लक्षित हो। भारत सरकार की नीतियां और कार्यक्रम इस बात को ध्यान में रख कर तैयार किए गए हैं कि किसानों को सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे उत्पादन और उत्पादन–परवर्ती चेन के प्रत्येक स्तर पर विवेकपूर्ण निर्णय कर सकें। दूसरी तरफ उन्हें कल्याण उपायों के जरिए आगे बढ़ने में सक्षम भी बनाया जाना चाहिए। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के अंतर्गत किसान धरती की पोषक और भौतिक रासायनिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तदनुरूप उर्वरकों की मात्रा और भूमि सुधारों के बारे में निर्णय कर सकते हैं, जो उनके लिए अपनाना उचित हो। इस तरह साक्ष्य–आधारित निर्णय खेती की लागत में कमी लाने और खेती को अधिक स्थायी बनाने में कारगर सिद्ध होंगे।

इसी प्रकार एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न स्थानों पर स्थित कृषि थोक मंडियों को एकीकृत करना, व्यापारियों का दायरा बढ़ाना और किसानों की उपज के बारे में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था कायम करना है। इसके अंतर्गत बाजार के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वह ई–नीलामी मंच पर व्यापार संचालित करें। किसान–उत्पादक को विभिन्न बाजारों में प्रचलित मूल्यों की वास्तविक समय आधारित एक्सेस प्रदान करते हुए ई–नाम से जो सूचना एसिमिट्री सृजित होती है, उससे उपज बेचने या कुछ समय के लिए यह निर्णय स्थगित करने के बारे में किसान की विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है।

व्यापक फसल बीमा योजना, जिसे ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' का नाम दिया गया है, 2016 के खरीफ मौसम से अस्तित्व में आई है। इसका लक्ष्य फसल बीमा कवरेज के अंतर्गत फसल क्षेत्र में वृद्धि करना है। इसके जरिए किसानों के लिए यह संभव हो गया है कि वे कम लागत पर और एक समान प्रीमियम दर पर फसल बीमा लाभ हासिल कर सकता है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अनेक खेती सुधार कार्यक्रम शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें उत्पादन–परवर्ती गतिविधियों पर अधिक बल दिया गया है। मंत्रालय ने 24 अप्रैल, 2017 को एक मॉडल मार्केटिंग अधिनियम जारी किया जिसे 'कृषि उपज और मवेशी विपणन' (संवर्धन और सुविधाएं) अधिनियम, 2017 (संक्षेप में एपीएलएम अधिनियम, 2017) का नाम दिया गया। राज्यों द्वारा अपनाए जाने के बाद यह अधिनियम विविध विपणन चैनल प्रदान करेगा और मौजूदा एपीएमसी का एकाधिकार समाप्त करेगा। इसका प्रयोजन प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और किसानों को विकल्प प्रदान करना है ताकि वे अपनी उपज के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य से लाभ उठा सकें।

मंत्रालय अब मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम और ''भंडारण, ढांचा और गोदाम आधारित वायदा ऋण प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी दिशा–निर्देश'' तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। इन सभी उपायों का प्रयोजन खाद्य प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है, जिनसे किसानों को उनकी उपज पर अधिक मौद्रिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी और खेती में उच्चतर निवेश का औचित्य सिद्ध हो सकेगा।

अनेक दबावों और चुनौतियों पर विचार करते हुए, जिनका सामना किसानों को अपनी निवल आय में सुधार लाने के लिए करना होगा, विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत उनकी कवरेज बढ़ाना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें फसल बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वृद्धावस्था पेंशन आदि शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल जरूरतमंद किसानों के लाभ के लिए किया जा सकता है।

नीतियों और कार्यक्रमों के समान ही उनका सक्षम वितरण भी महत्वपूर्ण

किसानों के समग्र कल्याण का लक्ष्य हासिल करने के लिए, न केवल सुविधाजनक नीति अपनाने की आवश्यकता है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि अधिक सक्षम प्रशासनिक प्रणाली के जरिए तत्संबंधी वितरण में भी सुधार लाया जाए। शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फील्ड–स्तर पर कारगर समीक्षा और निगरानी प्रणाली कायम की जाए, जो समुचित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर आधारित हो। इसी संदर्भ में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने जिला और राज्य–स्तरों पर एकीकृत समितियां गठित की हैं, जो निश्चित अंतरालों के आधार पर किसानों से संबंधित सभी गतिविधियों की समीक्षा करेंगी और उन पर निगरानी रखेंगी। अतः सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे निम्नांकित की स्थापना करें :

i) जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला–स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति।

ii) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य–स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति।

किसानों की आय दोगुना करने संबंधी कार्यनीति के बारे में अंतर–मंत्रालयी समिति किसानों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के साथ व्यापक विचार–विमर्श कर रही है ताकि एक समुचित कार्यनीति की अनुसंशा की जा सके, जो न केवल किसानों की आय को दोगुना करेगी बल्कि उत्पादन प्रणाली को एक स्थायी आधार भी प्रदान करेगी।

(लेखक कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार में अपर सचिव और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कार्यनीति संबंधी अंतर–मंत्रालयी समिति के अध्यक्ष हैं।)

ईमेल : ashok.dalwai@gov.in

किसानों की संपन्नता के लिए खेती का कायाकल्प जरूरी

–प्रो. रमेश चंद

खेतों में आधुनिक विज्ञान के प्रयोग के लिए कौशल, ज्ञान, निवेश तथा खेती में अधिक मानवीय पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेती में नया संकल्प और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की अधिक सहभागिता चाहिए। उत्पादन में वृद्धि तो आवश्यक है, लेकिन किसानों की आय में अधिक वृद्धि के लिए इतना काफी नहीं है। अधिक मूल्य प्राप्त करने में किसानों की मदद करनी होगी और उनमें से कुछ को गैर–कृषि कार्यों में लगाना होगा।

नब्बे के दशक के आरंभ में हुए आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों का कायाकल्प हुआ, जिससे समूची अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ गई और 1971 से 1991 के बीच 4.2 प्रतिशत रहने वाली दर 1991 के बाद 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गई। इससे 1991 से 37 वर्ष पूर्व स्थिर मूल्यों (2004–05) पर प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा था, वह केवल 17 वर्षों में दोगुना हो गया। किंतु 1991 में जो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में 40 प्रतिशत से अधिक एवं श्रम बल में 59 प्रतिशत का योगदान करता था, उसकी वृद्धि दर में स्थायी परिवर्तन नहीं दिखा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 1991 से पहले के 23 वर्षों में दोगुना हुआ था और उसे दोबारा दोगुना होने में भी इतना ही समय लग गया। हाल के वर्षों में भी कृषि की वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत के पुराने औसत पर अटकी रही है, जबकि गैर–कृषि वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत है। गैर–कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर अधिक होने के साथ ही कुछ किसानों ने गैर–कृषि कार्य भी अपना लिए हैं। परिणामस्वरूप उत्पादकों (किसानों) की आय कम ही रही है और उसके तथा गैर–कृषि श्रमिकों की आय के बीच अंतर और बढ़ गया है। किसानों की पीड़ा और खेती में घटती रुचि का यह प्रमुख कारण है, जिसके देश की भावी खाद्य सुरक्षा पर गंभीर दुष्प्रभाव होंगे।

कृषि गतिविधियों से हुई शुद्ध आय का आंकड़ा वर्ष 2015–16 में 10,000 रुपये प्रति किसान प्रति माह था, जो गैर–कृषि श्रमिकों की आय के एक तिहाई से भी कम है। यदि किसानों की आय उसी गति से बढ़ती रही, जैसी पिछले दो दशकों में बढ़ी है तो अगले 20 वर्ष में वास्तविक आंकड़ा 20,000 रुपये तक भी नहीं पहुंच सकेगा। इसीलिए "2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने" जैसे लक्ष्य की तर्ज पर किसानों की आय तेजी से बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुमुखी रणनीति के जरिए कृषि उत्पादन तथा मार्केटिंग का कायाकल्प करना होगा। इस रणनीति में उत्पादकता बढ़ाना, औसत लागत में कमी लाना, कृषि उपज की बेहतर कीमत दिलाना, संबंधित गतिविधियों में विस्तार करना और किसानों को गैर–कृषि कार्यों में लगाना आदि शामिल हैं।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा बांटे जा रहे प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। अधिकतर राज्यों में इस्तेमाल हो रहे उर्वरकों की गुणवत्ता कम है। 50 प्रतिशत से कम फसल क्षेत्र में एक से अधिक फसल उगाई जाती हैं। अधिकतर किसानों तक अभी उन्नत तकनीक पहुंची ही नहीं है, जिसका प्रमाण यह है कि अनाज की फसलों के 30 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में पारंपरिक किस्में ही उगाई जा रही हैं। विस्तार कम होना, गुणवत्तायुक्त बीज और गुणवत्तायुक्त पौध प्रजनन सामग्री की आपूर्ति शृंखला टूटी होना तथा विभिन्न राज्यों में संस्थागत ऋण की उपलब्धता कम होना इसके प्रमुख कारण हैं।

सिंचाई में भारी निवेश के बावजूद आधे से अधिक कृषि क्षेत्र में

सिंचाई की सुविधा नहीं है। फलों तथा सब्जियों जैसी अधिक दाम वाली जिन फसलों की उत्पादकता अन्य फसलों की अपेक्षा कहीं अधिक है, उन्हें 10 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में उगाया जाता है।

भारत में कृषि अत्याधुनिक तकनीक तथा खेती के आधुनिक तरीकों से वंचित है। विकसित दुनिया सेंसरों तथा सामग्री के सही उपयोग एवं खेती के लिए सेंसरों तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए सुनिश्चित खेती की ओर बढ़ रही है। इससे खर्च बचता है, पर्यावरण पर प्रभाव कम होता है और अधिक मात्रा में एवं बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त होती है। हम अभी तक सिंचाई के लिए खेतों में पानी भर देने (फ्लड इरिगेशन) का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरक बिखेर रहे हैं और रसायनों का अंधाधुंध छिड़काव कर रहे हैं। खेतों में आधुनिक विज्ञान के प्रयोग के लिए कौशल, ज्ञान, निवेश तथा खेती में अधिक मानवीय पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेती में नया संकल्प और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की अधिक सहभागिता चाहिए। उत्पादन में वृद्धि तो आवश्यक है, लेकिन किसानों की आय में अधिक वृद्धि के लिए इतना काफी नहीं है। अधिक मूल्य प्राप्त करने में किसानों की मदद करनी होगी और उनमें से कुछ को गैर–कृषि कार्यों में लगाना होगा। भारत के अर्थशास्त्रियों ने किसानों की आय तथा उत्पादन बढ़ाने में कीमत की ताकत को कम करके आंका है। किसानों को मिलने वाले मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई तो उनकी आय सीधे 13 प्रतिशत बढ़ जाएगी और उत्पादन पर बेहद अनुकूल प्रभाव होगा। पिछले 50 वर्षों के दौरान कृषि जिंसों के तुलनात्मक मूल्यों में कमी–बेशी के साथ ही कृषि वृद्धि में भी उतार–चढ़ाव आया है।

किसान के स्तर पर कीमतों को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित कर और दूसरा प्रतिस्पर्धा भरा बाजार तैयार कर। कई राज्यों में बेचने योग्य अधिशेष उपज का बड़ा हिस्सा सरकार खरीद लेती है, लेकिन किसानों को धान और गेहूं के लिए भी एमएसपी से 10–20 प्रतिशत कम दाम हासिल होता है। ऐसे मामलों में एमएसपी सुनिश्चित करने भर से किसानों की आय 13 से 26 प्रतिशत बढ़ जाएगी। यह याद दिलाना आवश्यक है कि हरितक्रांति उन्हीं राज्यों में हुई, जहां किसानों को लाभकारी कीमत हासिल हुई। मध्य–प्रदेश में हाल ही में ऐसा दिखा। अपने किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने का उत्तर प्रदेश का हालिया कदम निश्चित रूप से हरितक्रांति लाएगा और अगले 5–7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बहुत अधिक हो जाएगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा औंर असम में भी ऐसी ही संभावनाएं हैं, जहां किसानों को मिलने वाले अनाजों का दाम अक्सर एमएसपी से कम ही होता है। एमएसपी बढ़ाने की मांग तो अक्सर की जाती है, लेकिन सरकार द्वारा घोषित एमएसपी किसानों को मिले, पहले यह सुनिश्चित करना अधिक आवश्यक है। जिन किसानों को मूल्य की गारंटी ही नहीं मिल पाई हो, उनके लिए एमएसपी में भारी वृद्धि किसी काम की नहीं है।

उपभोक्ता मूल्य बढ़ाए बगैर किसानों के लिए बेहतर कीमतें सुनिश्चित करने का दूसरा और अधिक श्रेष्ठ तरीका मार्केटिंग की प्रणाली में सुधार है। यह प्रणाली और इसका बुनियादी ढांचा पुराना एवं शोषण भरा है। कृषि बाजार विकसित होने के बजाय बदतर होते गए हैं और उनसे किसानों एवं उपभोक्ताओं की जगह बिचौलियों का हित सध रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा भरे आधुनिक बाजारों के बजाय और कृषि क्षेत्र को जीवंत, आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने वाले सुधारों के बजाय इस क्षेत्र को खैरात दिलाने का ही प्रयास करते रहे हैं।

केंद्र ने 2003 में आदर्श एपीएमसी अधिनियम लागू करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे राज्यों से सलाह करके तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य बाजारों के ऊपर अत्यधिक नियमन एवं नियंत्रण को समाप्त करना, प्रत्यक्ष खरीद–फरोख्त में सहायता करना, विक्रेताओं के लिए अधिक विकल्प तैयार करना, बाजार में स्थानीय कारोबारियों की सांठगांठ को खत्म करना और कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा तथा निवेश लाना था। किंतु राज्यों ने आदर्श एपीएमसी कानून को ठीक से न तो स्वीकारा और न ही लागू किया और उसमें परिवर्तन कर उसे हल्का बना दिया। कुछ राज्यों ने कानून नहीं बदला। जिन्होंने कानून में परिवर्तन किया, उन्होंने नियमों को अधिसूचित नहीं किया और जहां अधिसूचना जारी की गई, वहां उसे कुछ ही उपजों पर लागू किया गया। इस प्रकार कृषि बाजार नए वाणिज्य, आधुनिक बुनियादी ढांचे एवं औपचारिक क्षेत्र की सहभागिता तथा आधुनिक मूल्य श्रृंखलाओं से वंचित रह गए। परिणामस्वरूप पारंपरिक पूंजी, मूल्य लागत में भारी अंतर, कटाई के समय कीमत में कमी और फसल का समय नहीं होने पर दाम बढ़ना, मामूली मूल्य वृद्धि पहले की तरह जारी रहे। इससे बाजार में भरोसा घटता जा रहा है और प्रत्येक कृषि जिंस के लिए एमएसपी की मांग हो रही है।

नीति आयोग ने कृषि मार्केटिंग में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए वर्ष 2016 में नए सिरे से प्रयास आरंभ किए हैं। ई–नाम बोली लगवाने के लिए भारत भर के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का प्रयोग करने और कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों के नेटवर्क का प्रयोग करने का भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ई–नाम के अंतर्गत प्रत्येक बाजार को 75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्केटिंग में मामूली सुधारों से भी किसानों को मिलने वाली कीमत में बहुत वृद्धि होती है।

नीति आयोग राज्यों से अनुरोध करता आया है कि वे खेती से जुड़ी गतिविधियों जैसे पेड़ गिराना, उनकी ढुलाई तथा लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना में आड़े आ रही बाधाएं दूर करें

और भूमि पट्टे का नया कानून बनाएं। भारत लकड़ी की अपनी 40 प्रतिशत मांग आयात से पूरी करता है, जबकि उसे देश में ही किसानों के खेतों पर पेड़ उगाकर आसानी से पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि जमीन के पट्टे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जबानी पट्टे हैं, लिखित नहीं। आंध्र प्रदेश में 50 प्रतिशत क्षेत्र, बिहार में 30 प्रतिशत और ओडिशा में 20 प्रतिशत क्षेत्र पर पट्टे के तहत खेती हो रही है। देश में पट्टे पर खेती का औसत 11.6 प्रतिशत है। ऐसे किसानों को खेती के लिए संस्थागत ऋण, फसल बीमा और अन्य सरकारी लाभ नहीं मिल सकते। भूमि पट्टे को मान्यता देने और भूस्वामियों के अधिकारों की रक्षा करने से किसानों की आय कई तरीकों से बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्रालय तथा नीति आयोग निजी क्षेत्र को खेती की ओर आकर्षित करने और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ठेके या अनुबंध पर खेती का नया कानून भी तैयार कर रहे हैं।

फसलों के साथ ही हमें किसानों की आय में 25–30 प्रतिशत योगदान वाले पशुधन की संभावना का भी दोहन करना चाहिए। प्रजनन की उम्र वाली लगभग 1.10 करोड़ गाय, भैंसों के कभी संतानें नहीं होती। उनकी पहली संतान 34 महीने की उम्र में होती है। दो संतानों के बीच अंतराल बहुत अधिक होता है। पशुओं की वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए उनका, उनके चारे और स्वास्थ्य सुविधाओं का ठीक से इंतजाम करना जरूरी है।

यदि हम गुणवत्ता भरे बीजों, उर्वरक, सिंचाई, फसल सघनता, उच्च मूल्य वाली फसलों, तकनीक आदि के मामले में उसी गति से आगे बढ़ते रहे, जिस गति से पिछले 15 वर्ष में बढ़े हैं तो 2022 तक किसानों की आय लगभग 52 प्रतिशत बढ़ जाएगी। किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है और अतीत जितनी ही रफ्तार से कृषि श्रमिक गैर–कृषि कामकाज की ओर चले जाते हैं तो आय में 23 प्रतिशत इजाफा और हो जाएगा। कुल मिलाकर 75 प्रतिशत वृद्धि होगी। 100 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपने प्रयास 33 प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है।

एफपीओ जैसी उत्पादक संस्थाएं छोटी जोत वालों की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास सफलता की ऐसी कहानियां भी हैं, जहां कठिनाई से जूझ रहे क्षेत्रों में किसानों की आय एफपीओ की मदद से तेजी से बढ़ी। एसएफएसी और नाबार्ड के प्रयासों से इसमें कुछ प्रगति दिखी है। एफपीओ की संख्या बढ़ाने में राज्यों को शामिल करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चा माल खरीदने और रोजगार प्रदान करने में खाद्य प्रसंस्करण की अहम भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन रोजगार में वृद्धि की दर एक प्रतिशत से भी कम रही है। कारण यह है कि जिस प्रकार के उद्योग तेज गति से बढ़ रहे हैं, वे अधिक रोजगार प्रदान नहीं करते और जिन उद्योगों में बहुत अधिक रोजगार मिलता है (जैसे खाद्य प्रसंस्करण), उनकी वृद्धि दर बहुत कम (लगभग 3 प्रतिशत वार्षिक) है।

किसानों की आय में अधिक वृद्धि तभी होगी, जब राज्य इस लक्ष्य को अपना लक्ष्य मानेंगे और खेती को विकास के अगले चरण तक पहुंचाने के लिए सुधार के एजेंडा में सहयोग करेंगे। तभी हम नए जमाने के भारत की ओर बढ़ेंगे, जैसा 1991 में आई सुधारों की पहली लहर में हुआ था।

(लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं।)
ईमेलः rc.niti@gov.in

किसानों की आय बढ़ाने में गुणवत्तायुक्त बीज एवं रोपण सामग्री की भूमिका एवं आगे की राह

–डॉ. जे. एस. संधू, डॉ. जे. पी. शर्मा

कई बार किसानों को सही समय पर अथवा किफायती दामों पर बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में बीज ग्राम बनाए जाने चाहिए, जहां किसानों का प्रशिक्षित दल विभिन्न फसलों के बीजों के उत्पादन का काम करे। किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की गुणवत्ता उन्नत बनाने के लिए प्रत्येक गांव की सहायता करनी चाहिए क्योंकि फसल के उत्पादन में 80–85 प्रतिशत ऐसे ही बीज इस्तेमाल होते हैं। इस तरह बुनियादी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है ताकि बीजों को उनकी जीवन–शक्ति तथा गुणवत्ता गंवाए बगैर कुछ समय तक रखा जा सके। इससे किसानों को कम दाम में गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हो सकेंगे।

जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक भारत में 27 करोड़ से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो देश की कुल जनसंख्या के पांचवें हिस्से के करीब हैं और उसकी कुल श्रमशक्ति के आधे हैं। भारत की जलवायु, भाषाओं तथा स्वादों में जो विविधता है, उसकी तुलना में यहां के किसान खेती में बहुत अधिक विविधता ला चुके हैं। दूसरे क्षेत्रों की तुलना में किसानों की आय की चक्रवृद्धि दर का स्तर कम है, जिसे ग्रामीण भारत में किसानों की परेशानी का प्रमुख कारण माना गया है। अतीत में नीतिगत अंधता के साथ कई अन्य कारण जैसे खेती में गुणवत्तायुक्त सामग्री की कमी, कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी उतार–चढ़ाव एवं अस्थिरता, किसानों में बाजार पर कब्जा करने के मामले में जागरूकता और क्षमता की कमी, भ्रष्ट बिचौलियों का दखल, उपभोक्ता मूल्यों में उत्पादकों का घटा हिस्सा (केवल 25 से 30 प्रतिशत), कटाई के उपरांत महंगाई में कमी आदि इस ज्वलंत समस्या को और भी बदतर बना रहे हैं। इन कारणों को पहचानते तथा किसानों की व्यथा पर खास ध्यान देते हुए 'किसानों की आय दोगुनी करना' समय की आवश्यकता है। छोटी जोत वाले किसानों और एक हेक्टेयर से भी कम जमीन वाले सीमांत किसानों की वास्तविक आय दोगुनी कैसे की जाएगी? **ऐसे लगातार चुनौतीपूर्ण होते लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत सरकार ने सात मुख्य कार्यबिंदु तय किए हैं और किसानों को 'गुणवत्तायुक्त बीज तथा रोपण सामग्री और खेत की मिट्टी की प्रकृति के अनुसार पोषक तत्व प्रदान करना' उनमें से एक है।**

उपज और फसल की गुणवत्ता में अच्छी–खासी वृद्धि से किसानों की आय भी बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में प्रगति आवश्यक है: (क) पानी, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक जैसी सामग्री की गुणवत्ता एवं समझदारी भरा प्रयोग; (ख) जीन–सवंर्द्धित (जीएम) बीजों समेत आधुनिक तकनीकी का समझदारी भरा एवं सुरक्षित दोहन और (ग) उपज की गुणवत्ता बढ़ाने और लागत घटाने के लिए कृषि को प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करना। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों एवं रोपण सामग्री के उपयोग की इसमें प्रमुख भूमिका होगी क्योंकि कृषि उत्पादन के ऐसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं, जिन पर अन्य सामग्री का प्रदर्शन एवं क्षमता निर्भर करते हैं।

गुणवत्ता युक्त बीजों का महत्व और उनके उत्पादन एवं उपलब्धता की वर्तमान स्थिति

प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति कहता है, 'अच्छी मिट्टी में अच्छे बीज डालने से पर्याप्त उपज होती है।' बीजों की गुणवत्ता को पवित्र माना गया है क्योंकि कृषि एवं कृषक समाजों के सुधार में ये महत्वपूर्ण कारक हैं। ऋग्वेद, कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा सुरपलाश

वृक्षायुर्वेद में बीजों के महत्व तथा अच्छा अंकुरण सुनिश्चित करने के लिए बीजों के उपचार का उल्लेख किया गया है। हालांकि प्राचीन कृषि में बीज की महत्ता को स्वीकार किया गया था, लेकिन भारत में संगठित बीज उत्पादन की आवश्यकता 20वीं सदी के आरंभ में ही पहचानी गई, जब रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर (1925) ने बेहतर किस्मों के प्रसार एवं बीज वितरण के बारे में सिफारिश कीं। अनुमान है कि उत्पादकता में हुई कुल वृद्धि में एक चौथाई योगदान गुणवत्तायुक्त बीजों का होता है। गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता एवं प्रयोग केवल एक बार के लिए नहीं हैं।

कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए फसलों की नई एवं उन्नत किस्मों का लगातार विकास एवं किसानों को आपूर्ति की सक्षम प्रणाली आवश्यक है। देश का बीज कार्यक्रम मुख्यतया बीजों की वंश वृद्धि के लिए सीमित प्रजनन पर ही आधारित रहा है। इसमें प्रजनक बीज, आधार बीज एवं पंजीकृत बीज शामिल हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के योगदान के कारण हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध हैं (तालिका 2 और 3)। अधिकतर फसलों के लिए आवश्यकता से अधिक बीज उपलब्ध हैं (तालिका 2)। बीजों की कुल आवश्यकता और उपलब्धता से पता चलता है कि पिछले एक दशक में स्थिति एक जैसी ही रही है (तालिका–3)। सरकारी और निजी क्षेत्रों में अनुसंधान की प्रणाली कृषि परिदृश्य में वर्तमान एवं भावी चुनौतियों से निपटने योग्य आधुनिक गुणों वाले बीज तैयार कर रही है।

किंतु कई बार किसानों को बीज तो मिल रहे हैं, लेकिन सही समय पर और किफायती दाम में नई उन्नत किस्मों के गुणवत्तायुक्त बीज उन्हें उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उत्पादन में कमी आ सकती है। भारत में बीज कार्यक्रम बीजों की वंश वृद्धि श्रृंखला में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा साधन मुहैया कराने का प्रयास कर रहा है ताकि प्रजनक के खेतों से किसानों तक पहुंचते समय फसलों की विभिन्न प्रजातियों की शुद्धता बरकरार रहे। भारतीय बीज उद्योग के लिए किसानों को शुद्ध बीज मुहैया कराने में सरकारी क्षेत्र (केंद्रीय एवं राज्य सरकार जैसे राष्ट्रीय बीज निगम एवं राज्य–स्तरीय संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालय), सहकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं की सहभागिता आवश्यक है। यद्यपि भारत में बीज उद्योग को विभिन्न कानूनों जैसे बीज अधिनियम (1966), बीज नियम (1968) और बीज (नियंत्रण) आदेश (1983), नई बीज विकास नीति (1988) और राष्ट्रीय बीज नीति (2002) की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन कई कारणों से बीजों की गुणवत्ता एवं शुद्धता में कई खामियां तथा हेराफेरी दिखती थीं। बीज उद्योग में इस स्थिति का मुख्य कारण असंगठित क्षेत्र का आवश्यकता से अधिक वर्चस्व (लगभग 65–70 प्रतिशत) होना है, जिनमें अधिकतर खेतों से बचे हुए बीज मिलते हैं और व्यापारी खराब बीज मुहैया कराते हैं।

तालिका–3ः गुणवत्तायुक्त बीजों की वर्षवार आवश्यकता एवं उपलब्धता (लाख क्विंटल में)

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, 2016

गुणवत्तायुक्त बीजों एवं रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना

अधिक से अधिक प्रजातियों का उपयोगः नई प्रजातियों का परीक्षण होना चाहिए और उन प्रजातियों के बीज उस क्षेत्र के किसानों को प्रदान किए जाने चाहिए, जिस क्षेत्र के वे अनुकूल हैं। प्रजाति को जारी करने के बाद बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि नई प्रजातियों को बीज कानून के दायरे में लाया जा सके।

पिछले वर्ष (2015–16) कृषि एवं बागवानी फसलों की 111 नई प्रजातियों को अधिसूचित किया गया। साथ ही जारी की गई और अधिसूचित की गई प्रजातियों की वर्तमान सूची देखने से पता चलता है कि कई पुरानी प्रजातियां अभी तक उसमें शामिल हैं। सरकार को ऐसी पुरानी प्रजातियों को गैर–अधिसूचित कर देना चाहिए, जिनकी अब न तो मांग रही है और न ही कोई अर्थ। कई राज्य सहकारी निगमों द्वारा पुरानी प्रजातियों का उत्पादन जारी रहने से नुकसान ही होगा और उत्पादकता पर उसका नकारात्मक प्रभाव होगा।

बीजों के प्रतिस्थापन की बढ़ी हुई दरः किसानों की आय में वांछित–स्तर तक वृद्धि करने के लिए बीज प्रतिस्थापन दर पर्याप्त होनी चाहिए (यह आंकड़ा बताता है कि कुल फसल क्षेत्र के कितने हिस्से में खेत से बचाए गए बीजों की तुलना में पंजीकृत बीज बोए गए हैं)। यह आकलन किया गया है कि खाद्य उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने और किसानों की आय दोगुनी करने

1960 और 1970 के दशकों की हरित क्रांति (अधिक उपज देने वाली किस्में) हो, 2000 के दशक में मक्के की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि (संकर फसलें) हो, 2000 के दशक में कपास उत्पादन में क्रांति (जीएम फसल) हो और फलों–सब्जियों की बढ़ी उत्पादकता (कीटरोधी फसल) हो, इनका मूल कारण बीज एवं रोपण सामग्री ही थी।

के लिए स्व–परागण वाली फसलों के 33 प्रतिशत, संकर परागण की फसलों के 50 प्रतिशत एवं संकर फसलों के 100 प्रतिशत मौजूदा बीज बदले जाने की आवश्यकता है। पिछले दो दशकों में आईसीएआर के संस्थानों तथा एसएयू ने प्रजनक बीजों की 100 प्रतिशत आवश्यकता पूरी करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। सार्वजनिक–निजी साझेदारी और किसानों पर आधारित बायबैक प्रणाली के जरिए देश में पर्याप्त मात्रा में पंजीकृत बीज तैयार किए जा रहे हैं।

बीजों की गुणवत्ता बरकरार रखनाः गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन हेतु नियामकीय उपायों को सख्त करना होगा ताकि किसानों को खराब बीजों की बिक्री न हो सके। सब्जियों के बीज का अधिकतर कारोबार असंगठित बीज क्षेत्र के हाथों में है, जहां बीज कारोबारी सीधे उत्पादकों से खरीद करते हैं और विभिन्न नामों से उन्हें बेच देते हैं। गिनी–चुनी प्रतिष्ठित और सुस्थापित बीज कंपनियां हैं, जिनके पास फसल में सुधार के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं तथा बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की सुविधा है। बीज कंपनियों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए बीजों के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और कंपनियों पर जुर्माना लगना चाहिए तथा किसानों को कंपनियों से मुआवजा दिलाए जाने की रणनीति होनी चाहिए ताकि फसल खराब होने का पूरा बोझ किसानों को अकेले न उठाना पड़े। बीजों के पैकेटों पर और एजेंसी की वेबसाइट पर बीजों के सभी गुणों का ब्यौरा प्रदर्शित कराने के उपाय करने होंगे। अभी देश में 124 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) काम कर रही हैं और बीजों के 6 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। इस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए शोध संस्थानों को बीजों के शीघ्र परीक्षण के लिए त्वरित परीक्षण किट विकसित करनी चाहिए ताकि बिक्री के समय ही खराब बीजों का पता चल जाए। साथ ही, किसानों एवं पंजीकृत व्यापारियों को आय बढ़ाने के लिए ऐसी तकनीकों के प्रयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए विस्तार प्रणालियां भी होनी चाहिए।

रोपण सामग्री के लिए टिश्यू कल्चर उत्पादन का प्रयोगः टिश्यू कल्चर तकनीक का लाभ उठाकर रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। पारंपरिक रोपण सामग्री में कीट तथा रोग हो सकते हैं, जो मूल पौधे से अगली पीढ़ी में जाते हैं। दूसरी ओर टिश्यू कल्चर वाले छोटे पौधों में कीड़े, फफूंद या जीवाणु, रोगाणु नहीं होते हैं। यदि उनकी समुचित सूची बनाई जाएगी तो वे विषाणुओं से भी मुक्त रहेंगे। बीज एवं रोपण सामग्री का उत्पादन आसान नहीं होता। इसके लिए अनुकूल जलवायु, उर्वर भूमि तथा पूरे समय का निवेश चाहिए होता है। पारंपरिक बीज उत्पादन की तुलना में टिश्यू कल्चर तकनीक का मुख्य लाभ यह होता है कि इस तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाली एवं एकसमान रोपण सामग्री तेजी से भारी तादाद में तैयार की जा सकती है और किसी भी मौसम में कहीं भी अनुपजाऊ परिस्थितियों में भी साल भर उन्हें बढ़ाया जा सकता है। टिश्यू कल्चर महंगा तो है, लेकिन पारंपरिक तरीके से बीजों एवं रोपण सामग्री के उत्पादन में होने वाले अधिक खर्च तथा अधिक समय से टिश्यू कल्चर वाले पौधों के जरिए पार पाया जा सकता है। इससे प्रवासी बागवानी फसलों के बीज के बजाय पौधों के जरिए रोपण करने में भी मदद मिलेगी।

अधिक उत्पादकता के लिए जीएम बीज एवं संकर बीज का प्रयोगः अधिक मूल्य प्राप्त करने में उत्पाद की गुणवत्ता की अहम भूमिका होती है। किसानों द्वारा खुले में परागण द्वारा तैयार होने वाली प्रजातियों (ओपीवी) के जीन में आमतौर पर विविधता होती है और उत्पाद की गुणवत्ता के मामले में इनमें अधिक समानता नहीं होती है। इसकी तुलना में संकर प्रजातियां एक समान होती हैं और उनमें ओपीवी की अपेक्षा 10 से 25 प्रतिशत अधिक उपज होती है और इस तरह फसल उत्पादकता में सुधार होता है। संकरण बीजों की ऐसी प्रजातियां तैयार करने में भी बहुत उपयोगी हो सकता है, जो सूखा प्रतिरोधी एवं कीट प्रतिरोधी होती हैं, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में सक्षम होती हैं और उपज कम करने वाले दूसरे खतरे कम करती हैं। निजी क्षेत्र की कुछ बीज कंपनियों ने संभावनाशील एफ1 संकर प्रजातियां तैयार करने में बहुत शानदार योगदान किया है। भारत में तैयार होने वाले अधिकतर संकर बीजों का उत्पादन एवं विपणन निजी बीज उद्योग कर रहा है। इसीलिए बीज आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस उद्योग को सरकारी सहायता एवं नीतियों का सहारा मिलना चाहिए।

जीन अभियांत्रिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता को तथा भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता को पहचानकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कृषि, प्राणि विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य के

तालिका 1ः बीज उत्पादन (टन)

वर्ष	प्रजनक बीज	आधार बीज	पंजीकृत बीज
2005–06	6823	74800	1405000
2006–07	7382	79654	1481800
2007–08	9196	85254	1943100
2008–09	9441	96274	2503500
2009–10	10683	114638	2797200
2010–11	11921	180640	3213592
2011–12	12338	222681	3536200
2012–13	11020	161700	3285800
2013–14	8229	174307	3473130
2014–15	9849	157616	3517664
2015–16	8621	149542	3435248

(स्रोतः कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, 2016)

तालिका 2: प्रमुख फसलों के लिए गुणवत्तायुक्त बीजों की आवश्यकता एवं उपलब्धता (हजार टन)

वर्ष	2013–14				2014–15				2015–16			
फसल	आवश्यकता	उपलब्धता			आवश्यकता	उपलब्धता			आवश्यकता	उपलब्धता		
		सरकारी	निजी	कुल		सरकारी	निजी	कुल		सरकारी	निजी	कुल
गेहूं	112.53	49.12	59.23	108.35	112.53	44.78	72.07	116.86	113.46	51.25	66.73	117.98
धान	82.37	47.99	41.97	89.95	84.8	46.46	46.46	92.92	82.86	47.96	47.14	95.1
मक्का	10.42	1.75	8.84	10.59	10.84	1.15	11.1	12.25	10.7	0.73	11.96	12.69
बाजरा	2.52	0.82	2.67	3.49	2.42	0.16	2.53	2.69	2.55	0.27	2.57	2.84
चना	17.07	11.34	8.76	20.1	16.11	12.36	3.36	15.72	18.14	7.3	7.56	14.86
उड़द	2.48	2.45	1.36	3.82	2.68	2	1.31	3.31	2.62	1.36	1.36	2.71
लोबिया	0.27	0.15	0.15	0.3	0.36	0.2	0.15	0.35	0.26	0.14	0.15	0.29
मूंग	1.93	1.74	0.92	2.65	2.79	1.72	1.58	3.31	2.87	1.63	1.6	3.23
अरहर	2.58	1.2	1.32	2.52	2.64	1.15	1.63	2.78	2.51	1.11	1.6	2.72

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, 2016

क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के तरीके विकसित करने तथा उनका इस्तेमाल करने के उद्देश्य से 1986 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की। फिलहाल कपास, भारतीय सरसों, भुट्टे, आलू, तंबाकू और चावल जैसी विभिन्न फसलों और टमाटर, बैंगन, गोभी, बंदगोभी, मिर्च तथा शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की फसलों पर विभिन्न जीनों वाले शोध चल रहे हैं। स्वास्थ्य को नुकसान के भय और भारतीय विचारधारा के साथ टकराव के कारण हमारे किसानों में जीएम खाद्य फसलों की स्वीकार्यता धीमी है। लेकिन इस समस्याएं सुलझाए जाने के बाद ही प्रयोग में लाया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो बीजों के कारोबार तथा किसानों की यंत्रणा पर ट्रांसजैनिक बीजों का बड़ा प्रभाव होगा।

बीज उत्पादन एवं वितरण की टिकाऊ व्यवस्था तैयार करनाः टिकाऊ बीज व्यवस्था से ढेरों प्रजातियों और फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और किसानों को वे सही समय पर स्वीकार्य एवं किफायती दाम में उपलब्ध हो सकेंगे। किंतु देश की वर्तमान बीज व्यवस्था में किसान उन्नत बीजों का इस्तेमाल करने से होने वाले लाभ पूरी तरह नहीं उठा पाते।

कई बार किसानों को सही समय पर अथवा किफायती दामों पर बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में बीज ग्राम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने बागवानी फसलों की कुल 1,596 उच्च उत्पादन वाली प्रजातियां एवं संकर प्रजातियां (फल–134, सब्जी–485, सजावटी पौधे–115, पौध एवं मसाले–467, औषधीय एवं सुगंधित पौधे–50 और मशरूम–5) विकसित की हैं।

बनाए जाने चाहिए, जहां किसानों का प्रशिक्षित दल विभिन्न फसलों के बीजों के उत्पादन का काम करे और किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की गुणवत्ता उन्नत बनाने के लिए प्रत्येक गांव की सहायता करनी चाहिए क्योंकि फसल के उत्पादन में 80–85 प्रतिशत ऐसे ही बीज इस्तेमाल होते हैं। इस तरह बुनियादी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है ताकि बीजों को उनकी जीवन–शक्ति तथा गुणवत्ता गंवाए बगैर कुछ समय तक रखा जा सके। इससे किसानों को कम दाम में गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हो सकेंगे।

निष्कर्षः फसलों की उपज तथा गुणवत्ता में वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे उर्वरक आदि सामग्री, सिंचाई एवं पौध रक्षा के उपाय तथा अनुकूल कृषि व्यवहार आदि। किसी विशेष प्रकार की मिट्टी के लिए बीजों की सुदृढ़ प्रजातियों तथा रोपण सामग्री, अन्य सामग्री, उचित फसलों एवं सामग्री का पता लगाने के लिए शोध होने पर ही उत्पादकता में वृद्धि होगी। किफायती दामों पर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के लिए सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराना एवं विस्तार की प्रभावी पद्धतियां भी आवश्यक हैं। अंत में फसल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले बीज तथा रोपण सामग्री की गुणवत्ता का किसानों की आय दोगुनी करने पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव होता है। इसके लिए बीज दर कम करनी होती है, खेतों में स्वस्थ पौधे रोंपकर उत्पादन की लागत कम करनी होती है, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ती है ताकि किसानों को बाजार में लाभकारी कीमत प्राप्त हो सके।

(डॉ. जी.एस. सिंधु, उपमहानिदेशक (फसल), भा.कृ.अ.प. और निदेशक, भा.कृ.अ.स. नई दिल्ली हैं; डॉ. जे.पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक (विस्तार) भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली हैं।)
ई–मेल : director@iari.res.in

किसानों की आय बढ़ाने में ऋण का योगदान

–प्रो. चरण सिंह, एस. अनंत, सी.एल. दाधीच

किसानों की आय दोगुनी करने के विशाल लक्ष्य को देखते हुए मौजूदा कृषि में बदलाव लाने और उसे आधुनिक बनाने के लिए एक समग्र दृष्टि अपनाने की जरूरत है। इसमें बाजार तक पहुंच, उपज उत्पादकता, इनपुट की गुणवत्ता और उपलब्धता तथा कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रस्तावित रणनीति में जल संरक्षण समेत सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है ताकि 'प्रति बूंद अधिक फसल' हासिल की जा सके। अच्छी किस्मों के बीज मुहैया कराना, पोषकों का बेहतर इस्तेमाल, कटाई के बाद के नुकसान को घटाना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना, जोखिम कम करना तथा सहायक गतिविधियों में तेजी लाना भी इस रणनीति में शामिल है। वित्तमंत्री भी पिछले दो वर्षों के केंद्रीय बजट के जरिए सिंचित क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की रणनीतियों पर जोर देते रहे हैं। इन रणनीतियों में नाबार्ड में दीर्घकालिक सिंचाई कोष बनाना, भूजल संसाधनों का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करना तथा तालाब और कुएं खोदने के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त धन का इंतजाम शामिल है। एक डेयरी प्रसंस्करण और ढांचागत विकास कोष का गठन भी इन रणनीतियों का हिस्सा है।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य सराहनीय होने के साथ ही बेहद कठिन भी है। भारत के श्रम बाजार और हमारी कृषि के स्वरूप को देखते हुए यह लक्ष्य काफी महत्वपूर्ण है। देश में कुल श्रमशक्ति का लगभग आधा और ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन दो–तिहाई हिस्सा खेती से जुड़ा है। लिहाजा उपभोक्ता मूल्यों में तेज वृद्धि के बिना किसानों की आमदनी बढ़ाना इस लक्ष्य को और भी मुश्किल बना देता है। इस लक्ष्य को उन परिवारों के लिए आय सृजन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिनकी लगभग 63.7 प्रतिशत आमदनी कृषि से और सिर्फ 3.7 फीसदी मवेशियों से होती है।

खेती से आय दोगुनी करने के लिए देश में कृषि के तौर–तरीकों में बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। क्या देश को एक और हरितक्रांति लाने की कोशिश करनी चाहिए? पंजाब में हरितक्रांति का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है। भूमि क्षय, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और भूजल–स्तर में तेजी से गिरावट ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा दिया है तथा उनमें कैंसर और गुर्दा खराब होने जैसी बीमारियां बढ़ी हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के विशाल लक्ष्य को देखते हुए मौजूदा कृषि में बदलाव लाने और उसे आधुनिक बनाने के लिए एक समग्र दृष्टि अपनाने की जरूरत है। इसमें बाजार तक पहुंच, उपज, उत्पादकता, इनपुट की गुणवत्ता और उपलब्धता तथा कृषि विस्तारण सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होना चाहिए। कृषि ऋण की मौजूदा आपूर्ति को पुनर्परिभाषित और पुनर्संयोजित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं के उत्पादन का विस्तार करना भी इसका हिस्सा होना चाहिए। अध्ययनों के अनुसार जो किसान खेती जारी रखना नहीं चाहते उनमें से लगभग दो–तिहाई इसकी वजह कृषि का अलाभकारी होना बताते हैं। लाभ सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माताओं को कृषि उत्पादों के बिक्री मूल्य और लागत पर विचार करना होगा। कुछ कृषि अर्थशास्त्री आमदनी बढ़ाने के लिए महंगी फसलें उपजाने का सुझाव देते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए व्यापक समग्र दृष्टि की एक अन्य संभावित रणनीति के तौर पर स्मार्ट खेती और इसके लिए ऋण व्यवस्था का भी सुझाव दिया गया है।

महंगी और खासतौर से वाणिज्यिक फसलें उपजाने का सुझाव स्वागत योग्य है। लेकिन इस रणनीति को बड़े पैमाने पर अपनाने से कृषि खाद्यान्नों की ओर से विमुख हो जाएगी। इससे बुनियादी भोजन की मौजूदा संस्कृति बाधित होगी और भारत की खाद्य सुरक्षा

खतरे में पड़ सकती है। खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ने से खाद्यान्नों की तंगी और पीएल–480 के तहत अमेरिकी सहायता पर निर्भरता की आशंका फिर से पैदा होने का जोखिम है। इसलिए महंगी फसलों पर जरूरत से ज्यादा जोर देने के बजाय कृषि आय के विविधीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है। कृषि गतिविधियां आय का महत्वपूर्ण स्रोत हों मगर एकमात्र नहीं। खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन आय के अन्य स्रोत हो सकते हैं। दूध और शहद जैसी चीजों के उत्पादन पर जोर देकर भी किसान परिवारों की आय में इजाफा हो सकता है। खेत में ही कृषि प्रसंस्करण के आसान तरीकों के जरिए उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन भी एक रास्ता है। बढ़ते मशीनीकरण ने किसानों को इसके लिए पर्याप्त खाली समय मुहैया कराया है। मसलन टमाटर उपजाने वाले किसान उत्पाद का कुछ भाग बाजार में बेच और बाकी का केचप बनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह गन्ना उपजाने वाले किसान अपने उत्पाद का कुछ हिस्सा चीनी मिलों को बेच बाकी का खेत में ही गुड़ बना सकते हैं। लेकिन इस तरह के विविधीकरण और बदलाव के लिए कार्यशील पूंजी, वित्तीय साक्षरता और विपणन कौशल की जरूरत पड़ेगी। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए औपचारिक क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था की दरकार होगी। इसके अलावा, अगर मूल्य संवर्द्धन और कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है तो कटाई के बाद की बेहतर पद्धतियों में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी और इसे भी उत्पादन चक्र का जरूरी तत्व माना जाना चाहिए।

कृषि उत्पादक संगठन को बढ़ावा देना तथा खेती की उपज के लिए उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच संयोजन कायम करना इस तरह के बदलाव को प्रोत्साहित करने का एक टिकाऊ तरीका होगा। निस्संदेह इस तरह के संयोजन के लिए नए निवेशों की दरकार होगी। सरकार सिंचाई सुविधाओं में सुधार समेत बेहतर जल प्रबंधन तकनीकों, सड़क नेटवर्क और प्रौद्योगिकी ढांचागत सुविधाओं के रूप में इसकी योजना पहले से ही बना रही है। इससे वृहद् और बेहतर परिवेश बनाने में मदद मिलेगी।

आय बढ़ाने में ऋण की भूमिका पर नीति निर्माताओं के बीच विचार–विमर्श तुरंत जरूरी होने के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा। इसकी वजह यह गलत धारणा है कि हर बजट के साथ कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्तवर्ष 2017–18 के बजट में वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से 10 लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण का प्रावधान किया गया जो 2016–17 में सिर्फ 8.8 लाख करोड़ रुपये था।

किसानों की पीढ़ियों में बदलाव के साथ ही स्थितियों में भी परिवर्तन आ रहा है। ग्रामीण ऋण की दिशा और प्रकृति किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सबसे पहले ग्रामीण भारत में भूस्वामित्व के स्वरूप और गतिकी में बदलाव की बात करें। देश में पिछले दो दशकों में भूस्वामित्व के स्वरूप में लगातार बदलाव देखने को मिला है। यह बदलाव देश की बदलती जनसांख्यिकी और शिक्षा पर बढ़ते जोर की वजह से है। इन सब ने मिलकर गांवों से शहरों की ओर पलायन को बढ़ावा दिया है। नतीजतन कृषि में काश्तकार किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह प्रवृत्ति 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले किसानों के बीच अधिक दिखायी देती है। काश्तकार किसानों की संख्या का कोई सटीक आकलन नहीं है। लेकिन लगभग 2 करोड़ परिवारों के काश्तकार किसान होने का अनुमान है। जमीनों का छोटे–छोटे टुकड़ों में बंटना एक और अभिशाप है। इस पर पहले से ही काफी गौर किया जा चुका है। सरकारी दस्तावेजों में इस पर जोर दिया गया है।[11] अनुमानों के अनुसार ग्रामीण भारत में लगभग 69 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास एक हेक्टयर से भी कम जमीन है। 17 प्रतिशत परिवारों के पास एक से दो हेक्टेयर के बीच जमीन है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार लगभग 36 प्रतिशत काश्तकार किसान भूमिहीन हैं। इसके अलावा 56 प्रतिशत काश्तकार परिवार एक हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक हैं।

रियायती ऋण समेत विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उन्हीं भूस्वामियों को मिलता है जो संभवतः अपनी जमीन पर खेती नहीं कर रहे। इसके विपरीत जमीन पर खेती करने वाले काश्तकार ऊंची ब्याज दरों पर अनौपचारिक बाजारों से कर्ज लेने को मजबूर हैं जिसका सीधा असर खेती की लागत पर पड़ता है। कृषि उपज का 10 से 25 प्रतिशत हिस्सा उन्हें खेत के किराये के रूप में चुकाना होता है। कृषक परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजों पर होने वाले खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी अक्सर कर्ज लेते हैं जिससे उन पर बोझ और बढ़ जाता है। इस तरह भारतीय कृषि में लाभ काफी हद तक संस्थागत ऋण के खर्च, इस तक पहुंच और इसकी उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। संस्थागत स्रोतों ने 2012 में नीचे के 10 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सिर्फ लगभग 7.9 प्रतिशत ऋण मुहैया कराया। इसके विपरीत चोटी के 10 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को उन्होंने लगभग 32.6 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया। इससे पता चलता है कि अनौपचारिक क्षेत्र अब भी ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है। दिलचस्प बात है कि 2012 में संस्थागत क्षेत्र ने 56 प्रतिशत और गैर–संस्थागत क्षेत्र ने 44 प्रतिशत ऋण दिया। खेती करने वाले परिवारों के कर्ज का अखिल भारतीय औसत 70580 रुपये था।

वास्तव में खेती करने वाले कृषक परिवारों की रियायती ऋण तक पहुंच बढ़ाने से ग्रामीण अनौपचारिक ऋणदाताओं और खेती के सामान बेचने वालों से मोल–भाव करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। अनौपचारिक ऋणदाता और खेती के सामान बेचने वाले अक्सर किसानों को अपनी उपज उन्हें ही कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं। कई क्षेत्रों में ऋण की कीमत उपज के बिक्री मूल्य से जुड़ी होती है। नतीजतन छोटे और सीमांत किसानों तथा काश्तकारों के पास अपनी उपज को रोक कर रखने और उनकी सर्वश्रेष्ठ कीमत मांगने की क्षमता सीमित या एकदम ही नहीं होती है। एक अनुमान के अनुसार गन्ना किसानों को छोड़ दें तो 40 से 60 प्रतिशत कृषक परिवार अपनी उपज स्थानीय निजी व्यापारियों

या खेती के सामान बेचने वालों को बेचते हैं। छोटे, सीमांत और काश्तकार किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ाने से कृषक परिवारों के लाभ और आमदनी में काफी वृद्धि होगी।

किसानों की आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री की बहुआयामी रणनीति से एक ऐसा परिवेश बनेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बढ़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पैदा होगी जो बनी रहेगी। इसके अलावा बैंकों की मौजूदा शाखाओं के जरिए और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के मॉडल को मजबूत कर ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का प्रवाह बढ़ाने की जरूरत है। हाल में लाइसेंस पाने वाले छोटे और भुगतान बैंकों से भी उम्मीद की जाती है कि वे ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाने में मददगार होंगे। सरकार प्रौद्योगिकी में सुधार के जरिए और कोर बैंकिंग लागू कर सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने पर विचार कर सकती है जिससे भी ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ेगा। कृषि प्रसंस्करण और सहायक गतिविधियों पर जोर के लिए ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता और ऋण के ज्यादा प्रवाह की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए नीति निर्माताओं को तय ढर्रे से बाहर निकल कर सोचना होगा। इस प्रवाह को सुनिश्चित करने का एक तरीका ग्रामीण क्षेत्रों में मंडी व्यापारियों को मजबूत करना हो सकता है। मंडी व्यापारी जोखिम और उत्पाद के मूल्यों में उतार–चढ़ाव का हिसाब लगा कर आमतौर पर एक ही फसल चक्र के लिए अल्पकालिक ऋण देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मध्यकालिक और दीर्घकालिक ऋण बढ़ाने के लिए बैंक शाखाओं के विकल्प के तौर पर बैंकों से मंडी व्यापारियों को जोड़ने की योजना पर विचार करना संभवतः उपयोगी हो। इससे ऊंची दर पर ब्याज वसूलने वाले महाजनों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करना संभव होगा। प्रस्तावित योजना में मंडी व्यापारियों के लिए वित्त का प्रबंध एक संस्थागत ढांचे से होगा और उन्हें पूरे साल लगातार ग्राहक मिलेंगे। मंडी व्यापारी कृषि उपकरणों और निवेश के लिए कर्ज पर संस्थागत बैंकिंग के मानदंडों के अनुसार मामूली दर से ब्याज लेंगे। सरकार खर्च को और घटाने के लिए मंडी व्यापारियों को आर्थिक सहायता दे सकती है। ऐसी स्थिति में मंडी व्यापारी एटीएम की तरह काम करेंगे। इससे किसान महाजनों से ऊंची दर पर कर्ज लेने से बचेंगे और कृषि पर होने वाले उनके खर्च में कमी आएगी।

(प्रोफेसर चरण सिंह, आईआईएम, बंगलौर में अर्थशास्त्र के आरबीआई चेयर प्रोफेसर हैं; प्रोफेसर एस.अनंत सहायक प्रोफेसर, आईडीआरबीटी हैं; सी.एल. दाधीच इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में सचिव हैं।)

किसानों के लिए नई योजना संपाडा

छह सौ करोड़ रुपये के आवंटन के साथ संपाडा को शुरू किया जा रहा है। इसमें 31,400 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिससे 1,04,125 करोड़ रुपये का 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादन होगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ होगा और 2019–20 के दौरान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देशभर में 5,30,500 रोजगार सृजित होंगे। संपाडा का उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि अपशिष्ट को कम करना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने नई केंद्रीय क्षेत्र योजना – संपाडा (कृषि–समुद्री प्रसंस्करण और कृषि–प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास के लिए योजना) के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं को पुनः व्यवस्थित करने के लिए अनुमोदित कर दिया। यह अनुमोदन 14वें वित्त आयोग के चक्र के साथ 2016–20 अवधि के लिए दिया गया है।

संपाडा एक ऐसी योजना है जिसके नीचे मंत्रालय की मेगा फूड पार्क्स, एकीकृत कोल्डचेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें नई योजनाएं जैसेकि एग्रो–प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और अग्रेषण निर्माण संबंधी, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण की क्षमता का निर्माण और विस्तार शामिल है।

देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को एक नया आयाम देने के लिए संपाडा जैसा एक व्यापक पैकेज तैयार किया गया है। इसमें एग्रो–प्रोसेसिंग क्लस्टर, पिछड़े और अग्रेषण निर्माण संबंधी, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का विस्तार जिसका मकसद कारोबारियों को नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, आधुनिकीकरण और आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाना आदि शामिल है।

संपाडा के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास होना जिससे खेत का उत्पाद सीधे रिटेल आउटलेट पहुंच सकेगा। इसके लिए कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तैयार किया जाएगा। यह न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा बल्कि उन्हें बेहतर कीमत प्रदान करने में भी मदद करेगा। साथ ही यह किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए एक बड़ा कदम है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह कृषि उत्पाद के अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण–स्तर को बढ़ाने, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इन उपायों से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास 7 प्रतिशत हो गया है। बागवानी और गैर–बागवानी के उत्पादन के बाद फसल के नुकसान को कम करने के लिए, खेत से बाजार तक के लिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 42 मेगा फूड पार्कों और 236 एकीकृत कोल्ड चेन को मंजूरी दी गई है। 42 मेगा फूड पार्कों में से आठ का परिचालन चालू है। इसमें से पिछले 3 वर्षों के दौरान 6 मेगा फूड पार्क्स चालू किए गए हैं। इसके अलावा, अगले तीन महीनों में और चार मेगा फूड पार्कों का संचालन करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह मार्च 2017 में 236 में से 101 कोल्ड चेन को मंजूरी दे दी गई। 100 कोल्ड चेन परिचालित हो रही है। 63 कोल्ड चेन को पिछले तीन वर्षों के दौरान परिचालित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम

- ई–कॉमर्स के जरिए व्यापार में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति।
- नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये की विशेष निधि की स्थापना।
- खाद्य संसाधन और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्डचेन के बुनियादी ढांचे को प्राथमिक स्तर पर ऋण देने के दायरे के तहत लाया गया।

सिंचाई योजनाओं से कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का लक्ष्य सिंचित क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 'हर खेत को पानी' पहुंचाना और जल के इस्तेमाल की कुशलता में वृद्धि करते हुए 'प्रति बूंद ज्यादा फसल' हासिल करना है। इस लक्ष्य को स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, कार्यान्वयन और विस्तार गतिविधियों पर समग्रता के साथ ध्यान केंद्रित कर हासिल किया जाना है।
- यह योजना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम तथा कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) के खेत जल प्रबंधन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को मिलाकर तैयार की गई है।
- इस योजना को कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करेंगे।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय को मुख्यतः वर्षा जल संरक्षण तथा खेतों में पोखर, वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं, छोटे रोक बांधों और परिरेख बांधों के निर्माण से संबंधित काम करना है।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को पानी के वितरण की प्रणालियों के विकास समेत सुनिश्चित सिंचाई स्रोतों, विपथन नहरों, फील्ड चैनलों तथा जल विपथन/लिफ्ट सिंचाई से संबंधित विभिन्न कदम उठाने हैं।
- कृषि मंत्रालय ड्रिप, स्प्रिंक्लर, पाइवोट और रेन गन जैसे जलप्रवाह और पानी के अधिक कुशल इस्तेमाल के उपकरणों को बढ़ावा देगा। स्रोत निर्माण गतिविधियों में सहायता के लिए वह सूक्ष्म सिंचाई की ढांचागत व्यवस्था के निर्माण में मददगार होगा। वह वैज्ञानिक ढंग से नमी संरक्षण और कृषि उपायों को बढ़ावा देने की विस्तार गतिविधियों में सहयोग करेगा।
- पीएमकेएसवाई में राज्य–स्तरीय योजना निर्माण और परियोजना आधारित कार्यान्वयन के विकेंद्रित ढांचे को अपनाया जाएगा। इससे राज्यों को जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) और राज्य सिंचाई योजना (एसआईपी) पर आधारित खुद की सिंचाई विकास योजनाएं बनाने की आजादी मिलेगी।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन, संसाधनों के आवंटन और मंत्रालयों के बीच तालमेल की निगरानी, कामकाज के आकलन तथा प्रशासनिक मुद्दों को देखने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा।
- पांच वर्षों में इस योजना को देश भर में लागू करने के लिए 50000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
- 2015–16 के लिए 5300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इनमें से 1800 करोड़ रुपये डीएसी, 1500 करोड़ रुपये डीओएलआर और 2000 करोड़ रुपये जल संसाधन मंत्रालय को दिए गए। जल संसाधन मंत्रालय में 1000 करोड़ रुपये एआईबीपी और इतनी ही रकम पीएमकेएसवाई के लिए रखी गई थी।
- सरकार जल सुरक्षा और इसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देगी।
- लंबे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
- जहां कहीं संभव हो, वहां नदियों को जोड़ने पर विचार की जरूरत है ताकि जल संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित करने के अलावा बाढ़ और सूखे की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
- जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज के लिए 'जलसंचय' और 'जल सिंचन' के जरिए वर्षा के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा।
- 'प्रति बूंद अधिक फसल' सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाया जाएगा।
- इस योजना में केंद्र 75 प्रतिशत अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा।
- अगर इस योजना के जरिए सिंचाई सुविधाओं को हर किसान तक पहुंचा दिया जाएगा तो बड़े पैमाने पर एक फसली जमीन में दो फसलें लेना संभव है और उसके चलते किसानों की आय और कृषि उत्पादन में बड़ा इजाफा संभव है।

जलागम विकासः नीरांचल राष्ट्रीय जलागम परियोजना

- नीरांचल राष्ट्रीय जलागम परियोजना के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच ऋण के समझौते पर दस्तखत किए गए।
- यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय 2016 से 2021 तक छह साल में लागू करेगा।
- इस परियोजना का मकसद जल विज्ञान और प्रबंधन, कृषि उत्पादन प्रणालियों, क्षमता निर्माण तथा निगरानी और आकलन में पीएमकेएसवाई को सहयोग देना है।
- नीरांचल परियोजना का कुल बजट 2142 करोड़ रुपये है जिनमें से 1071 करोड़ रुपये सरकार देगी और बाकी 50 प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंक से मिलेगा।
- जलागम परियोजना लागू करने वाले सभी 28 राज्य नीरांचल से लाभान्वित होंगे।
- इस परियोजना का लक्ष्य 12 प्रतिशत बंजर भूमि होगी ताकि लगभग 336 लाख हेक्टेयर जमीन को कृषि योग्य बनाया जा सके।
- इस योजना को सही ढंग से लागू किए जाने पर कृषक समुदाय की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार की संभावना है।

प्रति बूंद अधिक फसल

- 'प्रति बूंद अधिक फसल' के लक्ष्य के तहत टपक और फव्वारा सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- छोटे और मझोले किसानों को अन्य कृषकों की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां लगाने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता मुहैया करायी जाती है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के दायरे में आने वाले क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तरी और हिमालयी राज्यों में यह अतिरिक्त सहायता 15 प्रतिशत होती है।
- 2013–14 से 2015–16 तक 14.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को टपक और फव्वारा सिंचाई प्रणालियों के दायरे में लाया गया। इनमें से 9.04 हेक्टेयर टपक सिंचाई और 5.26 लाख हेक्टेयर भूमि फव्वारा सिंचाई प्रणाली के दायरे में लायी गई।

सूक्ष्म सिंचाई

- सूक्ष्म सिंचाई के केन्द्र–प्रायोजित कार्यक्रम को जनवरी, 2006 में कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग ने शुरू किया था। इसे जून, 2010 में राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन में प्रोन्नत कर दिया गया जो 2013–14 तक जारी रहा।
- अप्रैल, 2015 से इसे पीएमकेएसवाई में समाहित कर लिया गया है।
- इसका मकसद कृषि क्षेत्र में पानी के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
- इसके तहत टपक और फव्वारा सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाता है।
- इसमें किसानों को पानी बचाने और उसके संरक्षण की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्राथमिकता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार वितरित किए और लोकसेवकों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कुल 12 पुरस्कार वितरित किए। इनमें से 10 पुरस्कार पांच प्राथमिकता कार्यक्रमों के तहत और 2 पुरस्कार नवोन्मेष श्रेणी के तहत प्रदान किए गए। ये पुरस्कार तीन समूहों में दिए गए। पहले समूह में आठ उत्तर–पूर्वी राज्य और तीन पहाड़ी राज्य (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर) थे, दूसरे समूह में सात केंद्र–शासित प्रदेश और तीसरे समूह में शेष 18 राज्य थे।

नवोन्मेष श्रेणी के तहत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले को 'कैशलेस गांव पलनार' पहल पर उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के डूंगरपुर जिले को भी 'सोलर ऊर्जा लैंप परियोजना' पहल के लिए पुरस्कार दिया गया। प्राथमिकता कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उत्तर–पूर्वी राज्यों व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मिजोरम के जिले सियहा और अन्य राज्यों की श्रेणी में गुजरात के बनासकांठा जिले को पुरस्कृत किया गया। प्राथमिकता कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर–पूर्वी राज्यों व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा के गोमती जिले को पुरस्कृत किया गया और अन्य राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र के जालना जिले को पुरस्कृत किया गया। प्राथमिकता कार्यक्रम ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नेम) श्रेणी के अंतर्गत उत्तर–पूर्वी राज्यों व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले को पुरस्कृत किया गया और अन्य राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना के निजामाबाद जिले को पुरस्कृत किया गया। प्राथमिकता कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत उत्तर–पूर्वी राज्यों व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में असम के शिवसागर जिले और अन्य राज्यों की श्रेणी में बिहार के नालंदा जिले को पुरस्कृत किया गया। स्टार्टअप इंडिया के लिए अन्य राज्यों की श्रेणी में गुजरात को पुरस्कार दिया गया और स्टैंडअप इंडिया के लिए केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी और मध्य अंडमान को पुरस्कृत किया गया।

प्रधानमंत्री ने उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार को लेकर नवोन्मेष पर दो किताबों 'न्यू बिगेनिंग' और चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रम के तहत पहल के लिए 'फॉस्टरिंग एक्सेलेंस' का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान डीएआरपीजी की फिल्म 'नए भारत का निर्माण–2017' भी दिखाई गई। इस अवसर पर लोकसेवकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की स्थिति पिछले दो दशकों की स्थिति से बिल्कुल अलग है। और अगले पांच सालों बाद स्थिति में और भी ज्यादा अंतर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बहुतेरे क्षेत्रों में विकल्प उपलब्ध हैं। अब सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कार्यबोझ नहीं बढ़ा है, चुनौतियां बढ़ी हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि व्यवस्था में स्पर्धा होनी ही चाहिए, जो गुणात्मक परिवर्तन लाता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कुछ हटकर सोचा जाए और सरकार एक नियामक की जगह सक्षम बनाने वाली इकाई के तौर पर सामने आए। उन्होंने कहा कि नौकरशाहों को हर हाल में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिया जाए, और यही उनके निर्णय लेने की कसौटी होनी चाहिए।

संगठन और तकनीक के सहारे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी

–भुवन भास्कर

सरकारी कोशिशों से इतर देश भर में कई किसान और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) अपने स्तर पर खेतीबाड़ी में कई ऐसे नवाचार कर रहे हैं, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं। ये प्रयास इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हें किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति, भौगोलिक सीमाओं और उपलब्ध सरकारी या प्रशासनिक ढांचे के आधार पर विकसित किया है। सरकार के लिए ये उदाहरण एक रोडमैप का काम कर सकते हैं।

मोदी सरकार ने 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने के लिए कई स्तरों पर सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं पेश की हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के लिए बेहतर भाव हासिल करने के लिहाज से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सरकारी कोशिशों से इतर देश भर में कई किसान और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) अपने स्तर पर खेतीबाड़ी में कई ऐसे नवाचार (इन्नोवेशन) कर रहे हैं, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं।

ये प्रयास इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हें किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति, भौगोलिक सीमाओं और उपलब्ध सरकारी या प्रशासनिक ढांचे के आधार पर विकसित किया है। सरकार के लिए ये उदाहरण एक रोडमैप का काम कर सकते हैं क्योंकि इतने विशाल देश में अलग–अलग परिस्थितियों के लिहाज से खेती कर रहे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई एक फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। सरकार के इस संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों पर डालते हैं एक नजरः

एफपीओ मॉडलः भारत में 90 प्रतिशत से ज्यादा किसान लघु या सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिसके कारण इनकी उपज की मात्रा कम रहती है और ये न तो खेती का खर्च कम करने और न अपनी उपज के लिए बेहतर भाव हासिल कर पाने में बाजार से मोलभाव करने की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में एफपीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो इन किसानों को संगठन और मात्रा के लिहाज से एक ताकत बना देता है। देश के अलग–अलग हिस्सों में कई एफपीओ हैं, जो अपने किसानों के लिए कई तरह से आमदनी बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं।

कोलकाता के नजदीक साउथ 24 परगना जिले में किसानों के सगंठन भांगुर एफपीओ ने अपने 1753 सदस्य किसानों को क्रॉप प्लानिंग यानी कितने रकबे में किस फसल की खेती की जाए और इंटर क्रॉपिंग यानी एक ही खेत में किस तरह कई फसलों की बुवाई की जाए, का प्रशिक्षण दिया। क्रॉप प्लानिंग से जहां किसानों को औने–पौने दाम में अपनी फसल बेचने की मजबूरी से छुटकारा मिला, वहीं इंटर क्रॉपिंग से उन्हें जोखिम प्रबंधन का प्रभावी जरिया मिल गया। उपज के स्तर पर सफलता हासिल करने के बाद भांगुर एफपीओ ने मार्केटिंग पर ध्यान दिया। एफपीओ ने 6 खरीदी सेंटरों के जरिए किसानों से सब्जियों की सीधी खरीद शुरू की, जिससे किसानों का सब्जियों को मंडी ले जाने का खर्च बचने लगा। एफपीओ ने सरकार की मदद से अलग–अलग मंडियों में जगह हासिल की और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार के सुफल बांग्ला और मदर डेयरी के आउटलेट से भी उन्होंने सब्जियों की सीधी बिक्री शुरू की। इससे बिचौलियों के हाथ जाने वाले कमीशन का बड़ा हिस्सा किसानों को मिलने लगा और एफपीओ के सदस्यों की कृषि आय बढ़ी।

राजस्थान में सवाई माधोपुर के निकट शिवाड़ में काम करने वाले घुश्मेश्वर एफपीओ ने सरकार से एग्री इनपुट यानी खाद, कीटनाशक इत्यादि बेचने के लिए लाइसेंस हासिल किया और अपने सदस्य किसानों को थोक कीमत पर इसकी आपूर्ति शुरू की।

इससे न केवल किसानों को लागत का फायदा हुआ, बल्कि उन्हें दुकानदारों की मिस–सेलिंग (गलत समय पर गलत कीटनाशक डालने की सलाह देकर की जाने वाली बिक्री) से भी छुटकारा मिला। इसके अलावा घुश्मेश्वर एफपीओ ने अपने सदस्यों से सरसों की खरीद कर उसे सीधे मंडी तक पहुंचाने का काम भी शुरू किया हुआ है। इससे एक ओर तो किसानों की परिवहन लागत में कमी हुई है और दूसरी ओर मंडी के कारोबारियों से उन्हें बेहतर मोलभाव करने में सुविधा हुई है।

बिहार में पूर्णिया और जयपुर के नजदीक भींवास में दो एफपीओ ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वायदा बाजार जैसे आधुनिक कृषि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। पूर्णिया जिले के आरण्यक एफपीओ ने पिछले साल 1000 टन मक्के को कृषि वायदा प्लेटफॉर्म एनसीडीईएक्स के जरिए बेचा और फसल की कटाई के वक्त ही प्रति क्विंटल 350 रुपये का फायदा सुनिश्चित कर लिया। इसे तकनीकी भाषा में हेजिंग कहते हैं। इसी अनुभव से उत्साहित होकर आरण्यक एफपीओ ने इस साल के लिए 10,000 टन मक्के को वायदा प्लेटफॉर्म से बेचने का लक्ष्य रखा है। और भींवास में जमवा रामगढ़ एफपीओ ने यही प्रयोग सफलतापूर्वक सरसों में दुहराया है। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर 20 टन सरसों की हेजिंग से एफपीओ के किसानों ने अपना जोखिम प्रबंधन किया है और इस साल और बड़े पैमाने पर इसे करने की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश में इदौर के निकट बागली में काम कर रहे राम रहीम एफपीओ ने सोयाबीन के किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी इसी तरह की भूमिका निभाई है।

फेयर ट्रेड अलायंस ऑफ केरला (एफटीएके) केरल के नारियल, काजू और कॉफी किसानों का एक संगठन है, जिसने इन तीनों कृषि उत्पादों के कारोबार का पूरा डायनेमिक्स बदल दिया है। जहां कॉफी के सदस्य किसानों की पूरी उपज निर्यात होती है, वहीं काजू और नारियल के किसानों को संस्था के कारण मजबूरी में उपज बेचने से मुक्ति मिल गई है। और केवल एफटीएके के किसानों के लिए ही नहीं, राज्य के नारियल और काजू बाजार में कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव में स्थिरता आई है।

क्या हैं एफपीओ?

एफपीओ किसान उत्पादकों का एक संगठन है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 2013 में एफपीओ पर जारी राष्ट्रीय नीति में स्वीकार किया है कि "कंपनी एक्ट, 1956 के विशेष प्रावधानों के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन किसानों को एक साथ लाने और सामूहिक तौर पर उपज व विपणन की ताकत बढ़ाने के लिए उनमें क्षमता निर्माण करने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ संस्था है।" सरकार ने एसएफएसी (लघु कृषक कृषि व्यापार संघ) को एफपीओ निर्माण के लिए नोडल एजेंसी बनाया है, जिसका काम नए एफपीओ तैयार करवाना है। कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत एफपीओ में किसान ही शेयरधारक होते हैं और कंपनी को होने वाला मुनाफा किसानों को लाभांश के तौर पर वितरित कर दिया जाता है।

एफपीओ और किसान संगठनों के जरिए खेती–किसानी के कल्चर में आ रहे इन बदलावों की सूची लगातार बढ़ रही है। कई जगहों पर इन्हीं एफपीओ के कारण तूर किसानों के लिए नेफेड ने विशेष खरीदी केंद्र खोले और उन्हें सरकार की ओर से घोषित 5050 रुपये प्रति क्विंटल का भाव हासिल हुआ, जबकि वहीं मंडी में दूसरे किसान 3200–3400 रुपये प्रति क्विंटल पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर हैं। खास बात यह है कि इस तरह के संगठन खेती के तमाम स्थानीय तत्वों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। इसलिए किसानों की आमदनी बढ़ाने में इन संगठनों की भूमिका बेहद अहम है और इस प्रयोग को जल्दी से जल्दी देश के तमाम हिस्सों में फैलाया जाना चाहिए।

तकनीक का प्रयोगः कृषि क्षेत्र में लगातार नए–नए प्रयोग हो रहे हैं। देश के कई हिस्सों में किसानों ने साबित किया है कि इस तरह के प्रयोगों को खेतों तक लाकर खेती से होने वाली आमदनी में खासी बढ़ोतरी की जा सकती है। देश भर में सब्जी उत्पादकों के सामने दाम में होने वाला उतार–चढ़ाव एक जानलेवा मुसीबत है। इसीलिए कभी हम प्याज किसानों के 50 पैसे किलो पर प्याज बेचने के बजाए ट्रक के ट्रक प्याज सड़कों पर बिखेर देने की दुर्भाग्यपूर्ण खबरें सुनते हैं, तो कभी यही कहानी टमाटर के किसानों में दुहराई जाती है। नासिक जिले के निफाड तालुके में गोवर्धन कुलकर्णी भी साल भर पहले इन्हीं परेशानियों से जूझा करते थे। लेकिन **फिर उन्हें पता चला सोलर ड्रायर तकनीक का, जिससे सब्जियों को सुखा कर उनकी शेल्फ लाइफ 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।** कुलकर्णी ने करीब तीन दर्जन दूसरे सब्जी किसान साथियों के साथ मिलकर एग्री टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (आत्मा) की मदद से 30,000 रुपये लागत वाले ऐसे 75 उपकरण खरीदे और सब्जियों को साफ कर, काट कर सुखाना शुरू किया। धीरे–धीरे इन किसानों ने सब्जियों की पैकेजिंग और मार्केटिंग भी शुरू कर दी और आज ये समूह मुंबई और नासिक के कम से कम 4 स्टोर में अपनी सब्जियां सप्लाई करता है। इससे इन सब्जी किसानों की आमदनी में हुई बढ़ोतरी का अनुमान ही लगाया जा सकता है क्योंकि ए ग्रेड वाली सब्जियां सबसे अच्छे भाव पर नासिक मंडी में बिकती हैं और बी और सी ग्रेड की सब्जियां सुखा कर लगभग उसी भाव पर बिकती हैं। यह तकनीक देश के सब्जी किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है अगर इसका ठीक से प्रसार किया जाए।

संरक्षित खेतीः नेटहाउस, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, मल्चिंग इत्यादि तकनीकों के इस्तेमाल से किसान अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। खासतौर पर एग्जोटिक वेजिटेबल्स, जैसे कलर्ड कैप्सिकम, ब्रोकली, आयुर्वेदिक पौधे इत्यादि की खेती में नियंत्रित वातावरण, तापमान इत्यादि की जरूरत होती है और बाजार में इनकी शानदार कीमत हासिल होती है। बंगलुरू से सटे एक गांव में किसान राजन्ना ने अपनी डेढ़ एकड़ जमीन पर उन्नत तकनीक

का पॉलीहाउस लगाया है, जिसमें सूरज की किरणों को नियंत्रित करने से लेकर, हवा का प्रवाह, प्रकाश का परावर्तन और यहां तक कि कीट–पतंगों को दिखने लायक रोशनी के नियंत्रण के भी उपाय किए गए हैं। राजन्ना ने इस डेढ़ एकड़ जमीन में साल भर में 78 टन पीली और लाल शिमला मिर्च पैदा की हैं, जिससे उन्हें 20 लाख रुपये की कमाई हुई है। इसकी तुलना में देश के किसी भी हिस्से में पारंपरिक खेती करने वाले किसान से कर लीजिए जिसका औसत प्रति एकड़ कमाई 40–50 हजार रुपये तक होती है। राजन्ना अकेले नहीं हैं। बंगलुरू से ही सटे शिवकोटे में मंजूनाथ और गुड्डादहल्ली के रवि कुमार ने भी एक–डेढ़ एकड़ जमीन से संरक्षित खेती के जरिए 18–20 लाख रुपये सालाना की आमदनी हासिल की है।

सूखाग्रस्त इलाकों में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला वह इलाका है साल–दर–साल लगातार सूखे से जूझता रहा है। यहीं चित्रकूट के गनीवां में दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआई) है, जिसे भारत सरकार से किसान विज्ञान केंद्र (केवीके) का दर्जा प्राप्त है। केवीके ने 1.5 एकड़ और 2.5 एकड़ मॉडल विकसित किया है, जिसके तहत कोई किसान परिवार बुंदेलखंड जैसे इलाके में वहां की मिट्टी के लिहाज से महज 1.5 एकड़ और 2.5 एकड़ जमीन में भी साल भर की फसलों की ऐसी योजना कर सकता है, जिससे उससे अपने घर की खाद्य जरूरतें पूरी होने के बाद 20–25 हजार रुपये सालाना की नकद आमदनी हो जाए।

महाराष्ट्र में विदर्भ का इलाका अक्सर गलत कारणों से ही खबरों में रहता है। सूखा इस इलाके की भी स्थायी समस्या है। लेकिन इसी सूखे के बीच यवतमाल में सुभाष शर्मा ने प्राकृतिक खेती का एक मॉडल विकसित किया है। लगभग चार दशकों से खेती कर रहे शर्मा की इस प्रयोगशाला में मोटे तौर पर चार हिस्से हैं, जहां खाद निर्माण से लेकर, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, जल संरक्षण के उपाय करने और फसल चक्र को कायम करने का काम होता है। यवतमाल में सालाना औसतन लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शर्मा के मुताबिक उनके मॉडल में हर हेक्टेयर जमीन के टुकड़े पर गिरने वाले 100 सेंटीमीटर पानी से एक सीजन में 1 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा होता है। सुभाष शर्मा की इस खेती में जहां खर्च बहुत कम है वहीं उनकी पैदावार सामान्य किसानों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा हासिल होती है। जाहिर है कि विदर्भ और राजस्थान जैसे अपेक्षाकृत सूखे इलाकों में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिहाज से इस तरह के मॉडल की जबर्दस्त उपयोगिता है।

विदर्भ में अमरावती का जिला है, जो अपनी काली मिट्टी के कारण कॉटन का एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहां भूजल का स्तर तो अच्छा है, लेकिन पानी खारा होने के कारण किसान खेती में बोरवेल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यहां महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिविर का जबर्दस्त सफल प्रयोग किया है, जिसमें किसानों ने जमकर फार्म पॉन्ड तैयार किए हैं। खेतों में बनाए गए इन तालाबों में बारिश का पानी जमा होता है और उसे ही सिंचाई के काम में लाया जाता है। सिंचाई के अलावा इन तालाबों का इस्तेमाल मछलीपालन के लिए भी किया जा सकता है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा।

एकीकृत खेतीः एकीकृत खेती लघु एवं सीमांत किसानों के लिए खेती का एक ऐसा जबर्दस्त मॉडल है, जिसमें महज ढाई एकड़ जमीन से बेहतरीन आमदनी हासिल की जा सकती है। इस मॉडल के तहत पोल्ट्री, मछलीपालन, डेयरी और अलग–अलग सब्जियों व फलों की खेती इस तरह की जाती है, जिससे किसान को सालों नियमित तौर पर आमदनी होती रहे और वह आत्मनिर्भर होकर अपना परिवार चला सके। बेंगलुरु ग्रामीण जिले में डोड्डाबल्लापुरा ब्लॉक एक ऐसा इलाका है, जहां जमीन के नीचे का पानी 25 सालों में 100 फुट से फिसल कर 1000 फुट तक चला गया है। यहां सदानंद एच ने इस मॉडल को इस सफलतापूर्वक अपने खेतों में उतारा है कि पिछले 5 साल से लगातार सूखा होने के बावजूद वह सालाना 10–11 लाख रुपये की आमदनी हासिल कर रहे हैं। करीब 8 गायों की डेयरी, 100 मुर्गियों की पोल्ट्री और फार्म पॉन्ड में मछली पालन के अलावा सदानंद ने करीब 10 हजार फुट जमीन पर पॉलीहाउस लगाकर उसमें कलर्ड कैप्सिकम जैसी ऊंची कीमतों वाली सब्जियां उगाईं, तो दूसरी तरफ सुपारी, हरे चारे, कई तरह के फल और उन्नत किस्म की रागी की खेती की। साल 2009–10 में जब यहां अच्छी बारिश हुई, तो उस साल सदानंद की आमदनी इन्हीं 2.5 एकड़ जमीन से करीब 22 लाख रुपये तक थी।

डेयरी अपने आप में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकती है। राजस्थान के टोंक जिले में दूनी प्रखंड की महिलाओं ने उदाहरण के तौर पर यह दिखा दिया है कि महज 3–4 बीघे जमीन में जहां पहले उनकी आमदनी साल की 50 हजार रुपये तक सिमट जाती थी, वहीं डेयरी कारोबार में उतर कर उन्होंने अपनी आमदनी सीधे दोगुनी करने में सफलता पाई है, और वह भी महज 5–6 सालों में। लेकिन इस कहानी में भी मार्केटिंग में मैत्री महिला किसान संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है और अच्छी कीमत हासिल करने के लिए संगठित मार्केटिंग के महत्व को उजागर करती है।

इन सब तरीकों और नवाचारों के अलावा टपक सिंचाई, प्रेसिजन फार्मिंग, जिओ टैगिंग इत्यादि जैसी कई और तकनीकें हैं, जिनका इस्तेमाल कर देश के कई हिस्सों में कई छोटे और सीमांत किसान अपनी आमदनी में खासा इजाफा करने में कामयाब रहे हैं। सरकार यदि 5 वर्षों में सचमुच किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है, तो उसे न केवल ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार, सिंचाई परियोजनाओं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं को लागू करने पर ध्यान देना होगा, बल्कि देश भर में हो रहे सफल प्रयोगों को दूसरे हिस्सों और बाकी किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए भी काम करना होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक व कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं।)

ई–मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम

किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री की सात सूत्री कार्ययोजना

- 'प्रति बूंद, अधिक फसल' के उद्देश्य को लेकर बड़े पैमाने पर निवेश के साथ सिंचाई पर अधिक फोकस।
- क्वालिटी बीजों और पोषकों की उपलब्धता।
- भंडारगृह, कोल्डचेन और भंडारण सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर निवेश।
- खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्य संवर्धन।
- फसल बीमा योजनाओं के जरिए आपदा प्रबंधन।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना तथा
- सहायक गतिविधियों जैसे मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा।

कृषि विकास की दर

	2012–13	2016–17
कृषि वृद्धि दर	1.2 प्रतिशत	4.4 प्रतिशत

'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एवं खरीद

- वर्ष 2016–17 में खरीफ दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में व्यापक वृद्धि। अरहर का एमएसपी 4625 रुपये से बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल; उड़द का एमएसपी 4625 से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का एमएसपी 4850 रुपये से बढ़ाकर 5250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।
- **रबी दलहनों के एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि–** चने का एमएसपी 3500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर का एमएसपी 3400 रुपये से बढ़ाकर 3950 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।
- दालों के बफर स्टॉक को पहली बार 1.5 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया ताकि दालों की कीमतों में उतार–चढ़ाव को रोका जा सके।
- लगभग 19.90 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद की गई।
- 17 अप्रैल, 2017 तक रबी सीज़न के दौरान 229.61 लाख टन गेहूं की खरीद।

'उर्वरक

नीम कोटेड यूरिया– अब यूरिया के लिए कोई लाईन नहीं

- सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन अनिवार्य बनाया गया।
- स्वदेशी यूरिया और आयातित यूरिया की शत–प्रतिशत नीम कोटिंग का लक्ष्य हासिल।

नई यूरिया नीति 2015 के तहत

- यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
- कृषि से भिन्न उद्देश्यों में अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया के इस्तेमाल की मात्रा घटाकर नगण्य की गई।
- विभिन्न फसलों के उत्पादन में 5 से 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन

- 2015–16 के दौरान बिना किसी अतिरिक्त लागत के 245 लाख एलएमटी यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन, इसे वर्ष 2016–17 में सफलतापूर्वक बरकरार रखा गया।
- उर्वरक सब्सिडी बकाया को निपटाने के लिए वर्ष 2017–18 के बजट में 10,000 करोड़ रुपये की विशेष बैंकिंग व्यवस्था को मंजूरी।
- नई यूरिया नीति 2015: 1 जून, 2015 से 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी।
- इससे हर साल 20 लाख/एलएमटी अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होगा और सरकार को करीब 5000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
- यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा, यूरिया का अपने देश में अधिकतम उत्पादन और सब्सिडी को सुसंगत बनाना।
- वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए घरेलू यूरिया क्षेत्र को बढ़ावा। इससे आयात व्यय और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

बंद पड़ी उर्वरक यूनिटों को पुनः चालू करना

देशभर में उर्वरक की मॉडल खुदरा दुकानें

- यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता के लिए 2016–19 के बीच के तीन वर्षों में उर्वरक की 2000 मॉडल खुदरा दुकानें खोली जाएंगी।
- वर्ष 2016–17 में उर्वरक की 1800 मॉडल खुदरा दुकानें खोली गईं।

किसानों को ज्यादा ऋण की सुविधा

- वर्ष 2016–17 में किसानों को लगभग 9 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए गए और वर्ष 2017–18 में इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया।

'ई–नाम

- प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल, 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का शुभारंभ किया गया।
- ई–नाम के जरिए किसानों को अपनी फसलों की बेहतर कीमतें मिल सकेंगी।
- किसानों के लिए सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई–ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 585 विनियमित बाजारों को एकीकृत करेंगे।
- 13 राज्यों में 417 मंडियां सीधे ई–नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं।
- प्रत्येक मंडी को 'ई–नाम' के ढांचे की स्थापना के लिए 75 लाख रुपये की राशि आवंटित।
- 41.91 लाख से भी ज्यादा किसान और 89,312 व्यापारी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं।
- 24 अप्रैल, 2017 तक 16,916.81 करोड़ रुपये मूल्य के कृषि उत्पाद का लेन–देन ई–नाम प्लेटफॉर्म पर हुआ।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- उर्वरक के उपयोग और इससे जुड़े खर्चों में कमी के लिए यह योजना लांच की गई।
- 2018 तक सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का लक्ष्य; अभी तक 6.93 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी; 25 अप्रैल, 2017 तक मिट्टी के 2.80 करोड़ नमूनों का संग्रह किया गया।
- 2014–17 के बीच 8572 मिनी लैबों सहित 9063 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं मंजूर की गईं, जबकि 2011–14 के दौरान इसकी संख्या मात्र 15 थी।

फसल बुआई का क्षेत्र बढ़ा

- रबी और खरीफ की फसल बुआई के क्षेत्रफल में खासी बढ़ोतरी।

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य के साथ 2014–17 के दौरान योजना के तहत 17.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी।
- 'हर खेत को पानी' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 5189 करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर 7377 करोड़ रुपये किया गया।
- बजट 2017–18 में दीर्घकालिक सिंचाई कोष को 100 प्रतिशत बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया गया।
- 'प्रति बूंद अधिक फसल' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5000 करोड़ रुपये का समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया जाएगा।
- सूक्ष्म सिंचाई के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल' के अंतर्गत 2014–17 के दौरान 15.86 लाख हेक्टेयर भूमि को इसके अंतर्गत लाया गया।

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- किसानों के लिए अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर तथा अतिरिक्त लाभ वाली फसल बीमा योजना की सुविधा।
- फसल बीमा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब तक की सर्वाधिक वित्तीय सहायता का प्रावधान।
- अगले 2 से 3 साल में फसल बीमा कवरेज को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना।
- खरीफ 2016 के दौरान 23 राज्यों में इसका कार्यान्वयन, 3.90 करोड़ किसानों ने पॉलिसी ली और 1,41,883.30 करोड़ रुपये की बीमा राशि का बीमा हुआ।
- रबी 2016–17 के दौरान अब तक 1.67 करोड़ किसानों ने 71728.59 करोड़ रुपये की बीमा राशि का बीमा हुआ।

'आपदा में किसानों को सहायता

- आपदा में किसानों को राहत अब न्यूनतम 50 प्रतिशत फसल नुकसान होने की जगह न्यूनतम 33 प्रतिशत नुकसान पर ही मिलेगी।
- विभिन्न मदों के तहत राहत राशि 1.5 गुना बढ़ाई गई।
- अतिवृष्टि के फलस्वरूप खाद्यान्न को नुकसान होने पर पूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाएगा।
- मृतक के परिवारों को बतौर सहायता अब 2.5 लाख रुपये के बजाय 4 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- 2010–15 के लिए 33,580.93 करोड़ रुपये की तुलना में 2015–20 के लिए एसडीआरएफ संबंधी प्रावधान को 82 प्रतिशत बढ़ाकर 61,220 करोड़ रुपये किया गया।

'गन्ना किसानों को सीधी सब्सिडी

- गन्ना किसानों के खातों में सब्सिडी सीधे भेजी गई।
- गन्ना सब्सिडी के जरिए किसानों को उनकी बकाया राशि का भुगतान; यह बकाया राशि पहले की तुलना में काफी कम हो गई है।

गन्ना की बकाया राशि जारी

- वर्षों से उत्तर भारत में गन्ना किसानों को गन्ने की कीमतों का बकाया भुगतान नहीं हुआ। इसीलिए सरकार ने उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।

गन्ने का मूल्य बढ़ाया

- 2017–18 के लिए चीनी मिलों द्वारा उचित देय और लाभकारी मूल्य को मंजूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने 2017–18 के लिए। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य 255 रुपये प्रति क्विंटल तय करने को मंजूरी प्रदान की गई।

परंपरागत कृषि विकास योजना

- जैविक खेती को बढ़ावा। 2015–18 के दौरान जैविक खेती के दायरे में 2 लाख हेक्टेयर भूमि वाले 10,000 क्लस्टरों को लाया जाएगा;
- राज्य सरकारों द्वारा अब तक 7186 क्लस्टर विकसित किए गए।
- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जैविक मूल्य शृंखला–2015–18 के लिए 400 करोड़ रुपये।

नीली क्रांति

- **मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रांति;** नीली क्रांति के अंतर्गत सभी मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर योजना की पुनर्संरचना की गई।
- बचत–सह–राहत के अंतर्गत प्रति वर्ष औसतन 4.90 लाख मछुआरे लाभान्वित। प्रतिवर्ष औसतन 48.65 लाख मछुआरों का बीमा।
- बजट का प्रावधान 2016–17 के 147 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017–18 में 401 करोड़ किया गया।
- मछली उत्पादन 2012–14 में 186.12 लाख टन से बढ़कर 2014–2016 में 209.59 टन हुआ।
- दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी अपंगता के लिए बीमा कवच राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- स्वदेशी गौ–नस्ल के अनुरक्षण एवं विकास के साथ–साथ दूध उत्पादन और डेयरी विकास का लक्ष्य।
- 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की गई है और 41 बुल मदर फार्म का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- 3629 सांडों को प्राकृतिक सेवा के लिए शामिल किया गया।
- दूध का उत्पादन 155 मीट्रिक टन (2015–16) से वर्ष 2016–17 में बढ़कर 163.74 मीट्रिक टन (अनु.) हुआ।
- दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2015–16 के 340 ग्राम/दिन में बढ़कर 2016–17 में 365 ग्राम/दिन हुई।
- पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़कर 52 हुई।

किसान चैनल (24X7)

- किसानों के लिए समर्पित 24X7 किसान टीवी चैनल।

फसल बीमाः आपदाओं के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा से बढ़ेगी कृषि आय

–गजेंद्र सिंह मधुसूदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में फसल बीमा के परिचालन से प्राप्त अब तक के सर्वश्रेष्ठ अनुभवों, अनेक देशों में अपनाए गए फसली जोखिम के आर्थिक प्रबंधन से संबद्ध बेहतर विकल्पों और सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए अनवरत प्रयासों का परिणाम है। इसे अधिकाधिक किसान हितैषी बनाया गया है। न्यूनतम प्रीमियम दर पर अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अब किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम सभी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए रबी में 1.5 प्रतिशत और खरीफ में 2 प्रतिशत तथा वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत कर दिया गया है तथा शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें किसान के औसत योगदान पर सरकार की हिस्सेदारी करीब 5 गुना हो रही है।

हमारी कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है और इसकी अनिश्चितता जग जाहिर है जिसके चलते भारत हमेशा आपदाओं की गर्दिश में रहता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत बांग्लादेश के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। देश का 12 प्रतिशत (करीब 7 करोड़ हेक्टेयर) क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है जिसमें से मैदानी एवं डेल्टाई क्षेत्र अक्सर बाढ़ग्रस्त रहते हैं जहां देश की 20 प्रतिशत आबादी आवासित है। विश्व में बाढ़ के कारण दूसरी सर्वाधिक मौतें और कृषिगत हानियां भारत में होती हैं, परिवर्तनीयता, अनिश्चितता और लंबा शुष्क अंतराल हमारे मानसून की नियति बन चुकी है जिसके चलते देश का करीब 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है और देश की 52 प्रतिशत कृषित भूमि वर्षा पर निर्भर है। औसतन हर 5 वर्ष में एक साल सूखाग्रस्त रहता है, देश के एक तिहाई क्षेत्र में 75 सेमी. से कम तथा 35 प्रतिशत क्षेत्र में 112 सेमी. तक वर्षा होती है जोकि अपर्याप्त है। यदि पिछले चार वर्षों के आकड़ों को देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2012–13 में 7, वर्ष 2013–14 में 6, वर्ष 2014–15 में 9 राज्य ओलावृष्टि और सूखे के चलते फसली क्षतियों से पीड़ित हुए हैं और वर्ष 2015–16 के दौरान 10 राज्यों के करीब 250 जिले सूखा–पीड़ित घोषित किए गए हैं, कई बार सूखा और बाढ़ की स्थितियां इतनी विनाशक होती हैं कि किसानों की रीढ़ तक तोड़ देती हैं।

हिन्द महासागर, विश्व के 6 सर्वाधिक उष्ण–कटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, हिन्द परिसर के कुल चक्रवातों का 80 प्रतिशत बंगाल की खाड़ी में तथा 20 प्रतिशत अरब सागर में उत्पन्न होते हैं जिनका प्रभाव तट से 100 किमी. अंदर तक होता है। इस वजह से देश का 7600 किमी. तटीय क्षेत्र (कुल 8 प्रतिशत क्षेत्र) उष्णकतिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित है। पर्वतीय क्षेत्रों में घटित भूस्खलन से भी देश का हिमालयी तथा पश्चिमी घाट क्षेत्र सर्वाधिक असुरक्षित है। इसके अलावा अनेक ऐसे बाहरी तत्व होते हैं जो खेती को प्रभावित करते हैं, फसली कीट हमले भी महामारी का रूप लेकर व्यापक फसली क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे में देश के किसानों को कृषि की आपदाओं से मुकाबले हेतु विकल्प मुहैया कराना आज की सबसे अहम् आवश्यकता है और इसके लिए कृषि बीमा किसानों को मौसम की अनिश्चितता से बचाने और आर्थिक सुरक्षा का सबसे सशक्त संस्थागत हथियार है।

आमतौर पर फसल बीमा दो प्रकार से किया जाता हैं। एक थ्रेशहोल्ड उपज और दूसरा मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। उपज–आधारित फसल बीमा में पिछले कई वर्षों की पैदावार का औसत निकाल कर थ्रेशहोल्ड उपज ज्ञात की जाती हैं, और इसके आधार पर बीमित वर्ष में वास्तविक उपज में जितनी कमी होती है उसी अनुपात में बीमा दावों का भुगतान किया जाता है। स्पष्ट है कि उपज–आधारित बीमा के लिए पिछले कई वर्षों के उपज आंकड़ों का होना आवश्यक है, लेकिन बहुत–सी फसलें ऐसी भी हैं जिनके ऐतिहासिक उपज आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं और

बहुत–सी फसलें ऐसी हैं जिनके फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) संभव नहीं हैं। ऐसी फसलों का बीमा मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है, और इसके लिए आर्द्रता, वर्षा, ताप आदि की गणना करके इनमें कमी या वृद्धि के अनुपात में बीमा दावों का भुगतान किया जाता है। इन दोनों आधारों पर बीमा सुलभ कराने से खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी सभी प्रकार की फसलों को अनिवारणीय आपदाओं से सुरक्षित और सभी किसानों को कृषि में निहित जोखिमों से बचाया जा सकता है। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय चार बीमा योजनाएं चला रहा है और इन योजानाओं के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है –

1. जलवायु परिवर्तन से संकटासन्न कृषि–जनित चुनौतियों के मुकाबले कृषकों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर ज्यादा जोखिम पर ज्यादा सहायता मुहैया कराना;
2. प्राकृतिक आपदाओं, कीट हमलों एवं बीमारीजनित कारणों से फसल नष्ट होने पर किसानों को बीमा और वित्तीय समर्थन प्रदान करना;
3. मौसमजनित जोखिमों और दुष्प्रभावों से किसानों और उनकी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करना;
4. देश के परिवर्तित होते फसल प्रतिरूप को समग्रता से आच्छादित करना;
5. कमजोर किसानों की दयनीयता को उद्यमिता में बदलकर उन्हें फिर से कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित करना;
6. किसानो की आय को स्थायित्व प्रदान कर उनको कृषि कार्य में कायम रखना;
7. कृषि तकनीक के मामले में किसानों को दूरदर्शी बनाकर उन्हें अभिनव और आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना;
8. कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना और किसानों को वित्तीय समावेशन की दिशा में अग्रसर करना;
9. विशेष आपदा वर्ष में कृषि आय में स्थायित्व कायम रखते हुए कृषि समुदाय की जीविका को सुरक्षा प्रदान करना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) :– 13 जनवरी, 2016 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह योजना देश में फसल बीमा के परिचालन से प्राप्त अब तक के सर्वश्रेष्ठ अनुभवों, अनेक देशों में अपनाए गए फसली जोखिम के आर्थिक प्रबंधन से संबद्ध बेहतर विकल्पों और सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए अनवरत प्रयासों का परिणाम है। इसे अधिकाधिक किसान हितैषी बनाया गया है। न्यूनतम प्रीमियम दर पर अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अब किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम सभी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए रबी में 1.5 प्रतिशत और खरीफ में 2 प्रतिशत तथा वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत कर दिया गया है तथा शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें किसान के औसत योगदान पर सरकार की हिस्सेदारी करीब 5 गुना हो रही है। यह योजना क्षेत्र–आधारित क्षति आकलन के अलावा खेत–आधारित क्षति की प्रासंगिकता को भी स्वीकार करती है। यदि अधिसूचित क्षेत्र पर खड़ी फसलें प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बवंडर, हरिकेन, टौरनेडो, बाढ़, आप्लावन, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, सूखा अवधि, कीट हमले, बीमारी आदि अनिवारणीय कारणों से नष्ट होती हैं तो उपज नुकसान के विरुद्ध उस पूरे क्षेत्र के बीमित किसान बीमा दावे के हकदार होते हैं।

यदि अधिसूचित क्षेत्र के किसानों ने बुवाई या रोपाई के उद्देश्य से खर्च वहन किया और प्रतिकूल मौसमी कारणों के चलते बुवाई या रोपाई से वंचित हो जाते हैं तो वे बीमित राशि के 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति दावों के लिए पात्र होते हैं। यह योजना फसलोपरांत नुकसान और स्थानीय आपदाओं को व्यक्तिगत खेत के आधार पर क्षतिपूर्ति के लिए भी बीमा स्वीकार करती है। यदि फसल कटाई के बाद खेत में पड़ी फसल 14 दिनों के अंदर चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसम बारिश से नष्ट हो जाती है या ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं के चलते फसल नष्ट हो जाती है तो खेत–आधारित क्षति का आकलन कर किसान के क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा फसल के दौरान विपरीत मौसम यथा– बाढ़, सूखा अवधि, गंभीर सूखा और गैर–मौसमी वर्षा के मामले में संभावित उपज सामान्य उपज से 50 प्रतिशत कम रहने की स्थिति में संभावित दावों के 25 प्रतिशत तक का तत्काल आन अकाउंट भुगतान किया जाता है।

क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित इस योजना के तहत किसानों को कोई दावा प्रस्तुत नहीं करना होगा बल्कि स्वतः संचालित प्रकिया के तहत दावा राशि उनके खाते में पहुंचा दी जाती है। आमतौर पर किसानों का प्रीमियम जिस मार्ग से बीमा कंपनियों तक पहुंचता है उसी रास्ते से बीमा कम्पनियां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा दावों का भुगतान करती हैं। इस योजना द्वारा उन सभी खाद्य और तिलहन फसलों एवं वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को बीमा आवरण दिया जा सकता है जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचित कर दे और उनके लिए पिछले सालों के उपज के आंकड़े उपलब्ध हों।

मौसम–आधारित फसल बीमा योजना (डब्लूबीसीआईएस):– कृषि में बढ़ते तकनीकी परिवर्तन, सामयिक अनुकूलन और शोध कार्यों की वजह से अनेक ऐसी फसलों की खेती संभव हो गई हैं जिनके ऐतिहासिक उपज आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, बहुत–सी फसलें प्रायोगिक तौर पर उपजायी जाती हैं और बागवानी फसलें जो एक बार तैयार होने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन देती हैं और अपरंपरागत फसलें जिसके फसल कटाई प्रयोग संभव नहीं हैं, ऐसी फसलों का बीमा कवरेज मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता हैं। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीफ 2007 से डब्लूबीसीआईएस शुरू की गई हैं। इसमें फसल अवधि के दौरान वर्षा, ताप, आर्द्रता आदि में कमी या वृद्धि के विरुद्ध किसानों को

बीमा संरक्षण मुहैया कराया जाता हैं, लेकिन इसमें किसानों को अधिक प्रीमियम और सीमांकन जैसी कई प्रकार की समस्याएं हो रही थी जिसके चलते इसे खरीफ 2016 से संशोधित करके प्रीमियम दरों सहित इसके सभी परिचालन मानक पीएमएफबीवाई के समान कर दिए गए हैं। इसमे सभी वार्षिक, वाणिज्यिक, चिरस्थायी, बारहमासी/बागवानी फसलों का बीमा कवर किया गया है। इसके अलावा अन्य मसाले और वाणिज्यिक फसलें जिनके विकास बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय में हैं, उनके द्वारा भी रबड़, चाय, काफी, इलायची (छोटी एवं बड़ी) इत्यादि का बीमा प्रायोगिक–स्तर पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

मौसमी सूचकांकों पर आधारित इस योजना में अवलोकित (फसल अवधि में वर्षा, ताप, आर्द्रता आदि में कमी या वृद्धि का) सूचकांक मूल्य और अधिसूचित (प्रति इकाई बीमा दावों के भुगतान हेतु) सूचकांक मूल्य के आधार पर बीमा दावों का भुगतान किया जाता हैं। इसमें कई बार अंगूर, सेब या अन्य बागवानी फसलों के लिए ओलावृष्टि या बादल फटने पर एड ऑन या इंडेक्स प्लस के रूप में अतिरिक्त बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाता हैं। इसके अलावा इसमें दावों का भुगतान भी अपेक्षाकृत कम समयावधि में हो जाता है। इस योजना से खरीफ 2007 से रबी 2015–16 तक 18 फसल मौसमों में 20 राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के एक से अधिक मौसमों में 7 करोड़ 17 लाख किसानों और 9 करोड़ 45 लाख हे. क्षेत्र का बीमा किया गया और 9661.11 करोड़ रुपये के बीमा दावों के भुगतान से 5 करोड़ 6 लाख 62 हजार किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना का कार्यान्वयन खरीफ 2016 में 13 और रबी 2015–16 में 9 राज्यों ने किया है।

नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस):– सीपीआईएस को आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु के चयनित क्षेत्रों में 2009–10 से पायलट आधार पर शुरू किया गया था। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और गोवा ने इसके बेहतर कार्यान्वयन का आरंभ किया है। वर्ष 2013–14 से रबी 2015–16 तक एनसीआईपी की घटक योजना के रूप में जबकि खरीफ, 2016 से स्वतंत्र रूप से देश के नारियल उत्पादक राज्यों में इसका कार्यान्वयन एआईसी के जरिए किया जा रहा है।

एकीकृत पैकेज बीमा योजना (यूपीआइएस):– चूंकि फसलों के अलावा अन्य कई प्रकार की आपदाएं और जोखिम भी किसानों को संकटग्रस्त करते हैं जिसके चलते वे तंगहाल और बदहाल हो जाते हैं और उनका फिर से संभल पाना मुश्किल हो जाता हैं। इसलिए भारत सरकार ने किसानों को बहुमुखी आपदाओं और जोखिमों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए खरीफ–2016 से प्रायोगिक आधार पर एकीकृत पैकेज बीमा योजना (यूपीआइएस) शुरू की हैं जिसमें दो खंड और सात घटक हैं। पहले खंड में फसल बीमा योजनाएं हैं जिसमें पीएमएफबीवाई और डब्लूबीसीआईएस हैं। इन दोनों में से किसी एक योजना को लेना किसानों के लिए अनिवार्य हैं। दूसरे खंड में छह घटक हैं जो निम्न प्रकार हैं–

पहला घटक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हैं जिसमें योजना शर्ते और कवरेज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अनुरूप हैं। यह योजना 18 से 70 आयु वर्ग के सभी किसानों को वार्षिक आधार पर उपलब्ध हैं, जो किसी भी बैंक में बचत खाता रखते हैं। यह कवरेज प्रायः 1 जून से 31 मई तक के लिए है और इसमें 12 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रीमियम पर दावे के लिए अधिकतम बीमित राशि 2 लाख रुपये तक हो सकती हैं।

दूसरा घटक जीवन बीमा हैं जिसमें योजना शर्ते और कवरेज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अनुरूप हैं। यह योजना 18 से 50 आयु वर्ग के सभी किसानों को वार्षिक आधार पर उपलब्ध है, जो किसी भी बैंक में बचत खाता रखते हैं। यह कवरेज प्रायः 1 जून से 31 मई तक के लिए हैं और इसमें 330 रुपये प्रति व्यक्ति प्रीमियम पर दावे के लिए अधिकतम बीमित राशि 2 लाख रुपये तक हो सकती हैं।

तीसरा घटक 'भवन एवं सामग्री बीमा योजना' हैं जिसमें किसानों की इमारतों सहित घरेलू उपकरणों और परिसंपत्तियों को आपदाओं व जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया हैं। इसमें 40 रुपये के प्रीमियम पर दावे के लिए अधिकतम बीमित राशि 50 हजार रुपये तक हो सकती हैं। चौथा घटक कृषि पम्पसेट बीमा योजना हैं जिसमें किसानों द्वारा कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले 10 अश्व शक्ति क्षमता तक के बिजली या डीजल–चालित अपकेन्द्री पम्पसेट को जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया हैं। इसमें 438 रुपये प्रति पम्पसेट प्रीमियम पर दावे के लिए अधिकतम बीमित राशि 25 हजार रुपये हो सकती हैं।

पांचवां घटक विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें किसानों के पढ़ने वाले बच्चों को दुर्घटना, मृत्यु, स्थायी अपंगता, अंग हानि आदि आकस्मिकताओं और जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया हैं, इसमें 18 से 70 आयु वर्ग के किसान अपने 5 से 25 वर्ष तक के विद्यार्थी बच्चों का बीमा वार्षिक आधार पर करवा सकते हैं और इसमें 75 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रीमियम पर दावे के लिए अधिकतम बीमित राशि 50 हजार रुपये तक हो सकती हैं।

छठा घटक कृषि ट्रैक्टर बीमा योजना है जिसमें किसानों के 45 अश्वशक्ति क्षमता तक के ट्रैक्टर को 10 वर्ष तक जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जा सकता है, यह मोटर वाहन अधिनियम–1988 की योजना शर्तों के अनुरूप हैं और इसमें ट्रेलर सहित 10468 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दावे के लिए अधिकतम बीमित राशि 5 लाख रुपये तक हो सकती हैं।

इस योजना के प्रायोगिक परिचालन के लिए खरीफ 2016 में सभी राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के 683 जिलों में से 45 जिलों का चयन करने के लिए भारत सरकार ने दिशा–निर्देश दिया था जिनमें से 16 राज्यों ने 35 जिलों का चयन किया हैं।

फसल बीमा से लाभ :– वैसे तो देश में फसल बीमा वर्ष 1973 में उर्वरक कंपनियों द्वारा शुरू किया गया था, इसके बाद इसका निरंतर विस्तार हुआ है और फसल बीमा योजनाओं से

पिछले केवल 18 वर्षों में रबी 1999–2000 से रबी 2015–16 तक 34 फसल मौसमों में 28 राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के एक से अधिक मौसमों में 37 करोड़ 4 लाख, किसानों और 51 करोड़, 58 लाख हे0 क्षेत्र का बीमा किया गया और किसान 59567.65 करोड़ रु के बीमा दावों के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं और अब किसानो की सभी शिकायतें एवं पूर्व योजनाओं की विसंगतियों को दूर करने से जहां तक बेहतर नतीजों का सवाल है तो पीएमएफबीवाई लागू होने से पहले खरीफ 2015 में करीब 309.44 लाख किसानों के 338.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को और रबी 2015–16 में करीब 175.95 लाख किसानों एवं 186.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पूर्व योजनाओं के तहत कवर किया गया था, जबकि पीएमएफबीवाई के तहत अभी तक खरीफ 2016 में करीब 381.60 लाख किसानों एवं 386.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को और रबी 2016–17 में करीब 173. 13 लाख किसानों एवं 196.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। इसके अलावा पुरानी योजनाओं की तुलना में नई योजना के तहत बीमित राशि में खरीफ 2016 में 2 गुना (141883.3 करोड़ रूपये) और रबी 2016–17 में 1.5 गुना (69482.29 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई है जो किसानों के बीच योजना की बढ़ती स्वीकार्यता को सिद्ध करती है। इसी प्रकार पीएमएफबीवाई लागू होने से पहले जहां देश के सकल कृषि योग्य क्षेत्र और फसलों का 20 प्रतिशत हिस्सा ही कवर किया जा सका था, वहीं पीएमएफबीवाई के तहत वर्ष 2016–17 में ही सकल कृषि योग्य क्षेत्र और फसलों का 30 प्रतिशत हिस्सा ही कवर किया जा चुका है और इसे बढ़ाकर वर्ष 2017–18 में 40 प्रतिशत और वर्ष 2018–19 में 50 प्रतिशत हिस्सा कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

आज कृषि की लागतें इतनी बढ़ गई हैं कि एक बार फसल की क्षति होने पर किसान दुबारा हिम्मत नहीं जुटा पाता है, जिसके चलते किसान कृषि कार्य छोड़ रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2001 में देश में 12.73 करोड़ किसान थे जो घटकर वर्ष 2011 में 11.87 करोड़ रह गए यानी पिछले 10 वर्षों में 86 लाख किसानों ने खेती छोड़ दी है, इनमें से उत्तर प्रदेश में 31 लाख, महाराष्ट्र में 7.56 लाख, राजस्थान में 4.78 लाख, असम में 3.30 लाख और हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से अधिक किसान खेती छोड़ चुके हैं और पिछले 20 वर्षों से हर दिन करीब 2052 किसान कृषि कार्य छोड़कर मजदूरी के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में यह योजनाएं फसली क्षतियों की भरपायी कर कृषि की बदहाली पर कृषकों में बढ़ते तीव्र निराशावाद को घटाएंगी और खेती की नियति बन चुके अनिवारणीय और मौसमी संकटों से किसानों को सुरक्षा प्रदान कर उन्हें पुनः कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

ये योजनाएं देश की खस्ता हाल खेती और कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे किसानों को उबारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं कि देश का हर दूसरा किसान कर्ज में डूबा है। देश के 9 करोड़ कृषक परिवारों में से 52 प्रतिशत ऋणग्रस्त हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश में 93 प्रतिशत, पंजाब में 53 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 51.5 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 44 प्रतिशत, बिहार में 42 प्रतिशत, हरियाणा में 42 प्रतिशत, और झारखंड में 28 प्रतिशत कृषक परिवार कर्जग्रस्त हैं और हर किसान पर औसतन 47000 रुपये का कर्ज है। ऐसे में ऋणी किसानों के लिए इसके अनिवार्य होने से एक ओर यह उनकी ऋण चुकाने की क्षमता को संसाधित करके किसानों का ऋणभार तथा बैंकों की गैर–निष्पादित परिसम्पतियां घटाएंगी; दूसरा, यह उन किसानों को भी फसली ऋण लेने के लिए प्रेरित करेंगी जो मूलधन और ब्याज न चुका पाने की स्थिति से भयभीत रहते हैं। इसके अलावा इन योजनाओं में सरकार से ज्यादा बैंक और बीमा कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है जिससे कृषि और किसानों का वित्तीय समावेशन बढ़ेगा और वे वित्तीय साक्षरता की ओर उन्मुख होंगे।

वैसे तो ये योजनाएं कृषि क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं से परे एक समान मौसमी मापदंडों के अनुरूप हैं। लेकिन इसका सर्वाधिक फायदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा और तटीय ओडिशा के किसानों को होगा जो हर साल बहुमुखी आपदाओं की मार से व्यथित, हताश और बदहाल जीविका से अभिशप्त होकर आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि खस्ताहाल खेती के चलते पिछले 17 वर्षों में 3 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें से वर्ष 2009 में 17 हजार, वर्ष 2010 में 15.9 हजार, वर्ष 2011 में 14 हजार, वर्ष 2012 में 13.7 हजार, वर्ष 2013 में 11.7 हजार और वर्ष 2014 में 12 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं और पिछले 20 वर्षों से हर 36 मिनट पर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसे में ये योजनाएं इस त्रासदी को घटाने में सहायक सिद्ध होंगी और हताश किसानों का धैर्य बढ़ाएंगी।

इन योजनाओं के तहत कृषि में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं से परे बीमा कवरेज के देशव्यापी दायरे को बढ़ाकर वर्ष 2018–19 तक 50 प्रतिशत (करीब 10 करोड़ हेक्टेयर) करना हैं। अब तक का कवरेज क्षेत्र बहुत कम वर्ष 2014–15 तक देश के सकल बुआई क्षेत्र 19.44 करोड़ हे. में से 4.37 करोड़ हे. क्षेत्र ही बीमा संरक्षित हो सका है जो देश के सकल बुआई क्षेत्र का केवल 22.5 प्रतिशत हैं। उसमें भी चुनिंदा राज्यों–राजस्थान में सकल बुआई क्षेत्र का 49.7 प्रतिशत, बिहार में 48 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 22.3 प्रतिशत, कर्नाटक में 12.3 प्रतिशत, गुजरात में 11 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 7.9 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 3.9 प्रतिशत क्षेत्र ही संरक्षित है।

अब तक फसल बीमा के तहत केवल 30 प्रतिशत किसान ही कवर किए जा सके हैं जिसमें 78 प्रतिशत ऋणी और 22 प्रतिशत गैर–ऋणी किसान हैं और सरकार का लक्ष्य तीन सालों में फसल बीमा के तहत 50 प्रतिशत किसानों को कवर करना है, इनमें से गैर–ऋणी किसानों व बटाईदारों को कवर करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इनमें से ज्यादातर लघु, सीमांत एवं

भूमिहीन प्रकृति के होते हैं जिन्हें एक तो बैंक आसानी से फसली ऋण स्वीकृत नहीं करते हैं, दूसरा, अनिवारणीय आपदाओं का सर्वाधिक दुष्प्रभाव इन्हीं पर हावी होता है। अतः इन योजनाओं का सर्वाधिक फोकस इन्हीं किसानों को व्यापक बीमा संरक्षण प्रदान करना है जिनकी भूमिका अब तक बहुत अल्प रही है।

तमाम प्रयासों और अनेक फसल बीमा योजनाओं के बावजूद फसलों का बीमा कवरेज अपर्याप्त रहा है और कवर की गई फसलें पूर्णतः संरक्षित नहीं की जा सकी हैं। अभी तक देश की केवल 80 फसलें बीमाच्छादित हो पायी हैं जिसमें सब्जियां 37.9 प्रतिशत, तिलहन 35.8 प्रतिशत, दलहन 26.3 प्रतिशत, गेहूं 25.4 प्रतिशत, धान 23.4 प्रतिशत, मोटे अनाज 22.8 प्रतिशत, कपास 12.9 प्रतिशत, जूट 8.2 प्रतिशत, फल 5.5 प्रतिशत और गन्ना क्षेत्र 2.7 प्रतिशत बीमा संरक्षित है जिसे 3 (2016–17 से 2018–19) वर्षों में दोगुना बढाकर 50 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करना है।

इन योजनाओं के तहत प्रति हेक्टेयर औसत बीमित राशि को मौजूदा 19 हजार से बढ़ाकर 3 वर्षों में 24800 रुपये तथा कुल बीमित राशि को बढ़ाकर 248000 करोड़ रुपये करना है। इस दृष्टि से 3 वर्षों में भारत सरकार का फसल बीमा पर व्यय मौजूदा 13240 करोड़ रुपये से बढ़कर 15000 करोड़ रुपये हो जाएगा और इतनी ही राशि राज्यों को भी खर्च करनी होगी। इन योजनाओं की बहुमुखी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अनेक संभव तकनीकी माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे बीमा दावों के शीघ्र भुगतान हेतु इलेक्ट्रॉनिक चैनल का प्रयोग।

फसल बीमा योजनाओं के परिचालन में चुनौतियांः

- भारत सरकार द्वारा संचालित फसल बीमा योजनाएं अधिसूचित फसलों के लिए केवल ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य और बटाईदारों सहित सभी गैर–ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक होने की वजह से सबसे बड़ी चुनौती अऋणी किसानों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करने की हैं, क्योंकि एक तो राज्यों द्वारा देर से अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं जिससे उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिलता है। दूसरा, राज्य न तो अपना सम्पूर्ण कृषित क्षेत्र और न ही राज्य में उगाई जाने वाली सभी फसलें अधिसूचित करते हैं; राज्यों द्वारा केवल प्रधान क्षेत्र और प्रमुख फसलें अधिसूचित की जा रही हैं। तीसरा, राज्य बटाईदारों, किराएदारों या संविदा कृषि करने वाले किसानों को कोई ऐसा प्रमाणपत्र नहीं दे रहे हैं जिससे कृषित फसल पर उनका स्वामित्व सिद्ध हो और वे अपनी फसलें बीमित करवा सकें, जिसके चलते वर्ष 2016–17 के दो मौसमों में केवल 22.5 प्रतिशत अऋणी किसान ही कवर किए जा सके हैं।
- अधिकाधिक किसान हितैषी होने के बावजूद पीएमएफबाईवाई का देशव्यापी कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्यों के लिए स्वैच्छिक होने के कारण सभी राज्य इसे क्रियान्वित नहीं कर रहे, 36 संघ एवं राज्य क्षेत्रों में से खरीफ 2016 में केवल 21 और रबी 2016–17 में 25 ने इसका कार्यान्वयन किया है पंजाब जैसे राज्य जिनकी बहुसंख्यक आबादी कृषक है, ने इसे लागू नहीं किया है।
- पीएमएफबीवाई के तहत निवारणीय जोखिमों को कवरेज प्रदान करना भी एक बड़ी चुनौती है। पीएमएफबीवाई के तहत केवल अनिवारणीय जोखिमों के कारण हुए उपज नुकसानों को व्यापक कवरेज प्रदान की गई है। इसमें नीलगाय, सूअर, बंदर आदि जंगली जानवरों से होने वाली फसल हानि निवारणीय होने के कारण इन्हें कवर नहीं किया गया है। यद्यपि इससे किसानों को काफी फसली नुकसान होता है, लेकिन एक तो इसके आकलन के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और दूसरा, ऐसे जोखिमों के आकलन में अनैतिकता समावेश होने की वजह से बीमा कम्पनियां इन्हें कवर करने के पक्ष में नहीं हैं।
- सीसीई का समय पर और पर्याप्त संचालन भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस समय करीब 5 लाख सीसीई किए जा रहे हैं और करीब 40 लाख अतिरिक्त सीसीई की कमी है जो एक चुनौती भरा काम है। वैसे इसके लिए उपग्रह मैंपिग, दूर–संवेदन और ड्रोन का प्रावधान है, लेकिन इसमें भी ढ़ांचे की कमी आड़े आ रही है। जैसे देश में ड्रोन उड़ाने के लिए चार कंपनियां (नेक्टर, प्रीसेंसन हाक, गाडिच, स्काईमेट) है और प्रत्येक के पास 5 से 10 ड्रोन है यानी देश में कृषि कार्य हेतु कंपनियों के पास 40 से 50 ड्रोंन हैं और एक ड्रोन दिन भर में 300 हेक्टेयर क्षेत्र के चित्र खींच सकता है। ऐसे में यदि देश के सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र में साल में एक बार ड्रोन उड़ाएं तो 2000 जबकि खरीफ और रबी दो मौसमों के लिए 4000 ड्रोनों की आवश्यकता है। उपग्रह मैंपिंग भी प्रायोगिक–स्तर पर है। वर्ष 2015–16 में 4 राज्यों के 12 जिलों में 4 फसलों– चावल, कपास, गेहूं और चारा की पायलट स्टडी की गई है जो अभी समीक्षाधीन है। इसी प्रकार पारदर्शी प्रक्रिया व दावों के त्वरित भुगतान हेतु सीसीई के आंकड़े स्मार्ट फोन से कैप्चर कर सीसीसी–एग्री ऐप में लोड करना हैं लेकिन इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सहायता देने के बावजूद 1–2 राज्यों को छोड़ किसी ने अब तक संपूर्णता से नहीं अपनाया हैं।
- वैसे तो फसल कटाई के बाद उपज–संबंधी आंकड़ों की प्राप्ति की अंतिम तारीख एक माह के भीतर होती है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है और उपज आंकड़ों पर आधारित अंतिम दावों की गणना, अनुमोदन और भुगतान, उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर किया जाता है। लेकिन राज्यों द्वारा कम्पनिया को उपज आंकड़े उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब किया जाता है जिससे समय पर बीमा दावों का

भुगतान कर पाना अभी भी एक बडी चुनौती है। इसके अलावा कई राज्य न तो पर्याप्त बजटीय प्रावधान कर रहे हैं और न ही अपने हिस्से की प्रीमियम सब्सिडी भी समय पर देते हैं, इससे भी कम्पनियां दावों के भुगतान में देरी करती हैं।

- पीएमएफबीईवाई के तहत सभी फसलों के कवरेज में भी कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं हैं। जैसे, एक तो यह उपज सूचकांक आधारित योजना है जिससे इसमें वारहमासी, बहुवर्षीय और व्यावसायिक फसलें कवर करना संभव नहीं हैं क्योंकि इनके उपज आजकल की न तो वैज्ञानिक विधि उपलब्ध है और न ही इनका खेत–आधारित आकलन सभी हितधारकों को सर्वमान्य है। दूसरा, कई फसलें विभिन्न मंत्रालयों (अफीम की खेती–वित्त मंत्रालय, औषधीय पौधों की खेती–आयुष मंत्रालय, मसाले और बागान– वाणिज्य मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण में है जिससे इनके साथ समन्वय और प्रीमियम सहभागिता की भी समस्या है।
- स्थानीय आपदाओं को व्यापक कवरेज प्रदान करने में भी समस्याएं आ रही हैं, अभी केवल ओलावृष्टि, जलभराव और भूस्खलन को स्थानीय आपदा के रूप में तथा फसल कटाई के उपरांत चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के विरुद्ध कवरेज प्रदान की गई है जबकि इनके साथ कई राज्य तूफानी हवा, अधंड़, कीट हमलों व रोगों को स्थानीय आपदा के रूप में तथा आकाशीय बिजली, हाईटेंशन विद्युत तार गिरने या अन्य कारण से आग लगने से कटाई के बाद नष्ट फसल को खेत–आधारित कवरेज की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक तो अभी सरकर के पास इसके लिए पर्याप्त मानव शक्ति, तकनीक और मशीनरी नहीं है। दूसरा, ऐसे जोखिमों के आकलन में अनैतिकता समावेश होने के भय से बीमा कम्पनियां इन्हें कवर करने के पक्ष में नहीं हैं।
- मौसम–आधारित फसल बीमा योजना के परिचालन में अभी भी कई प्रकार की तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। इसके मौजूदा सुचारू कार्यान्वयन के लिए देशभर में 8000 स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्लूएस) और 32000 स्वचालित वर्षा–मापियों (एआरजी) की आवश्यकता हैं। जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के देशभर में केवल 550 एडब्लूएस और 480 एआरजी हैं, यद्यपि अपने स्तर पर तमिलनाडु ने 225 एडब्लूएस, आन्ध्रप्रदेश ने 900 एडब्लूएस और कर्नाटक सरकार ने 800 एआरजी स्थापित किए हैं। इसके बावजूद अभी देशभर में 3500 एडब्लूएस और 1200 एआरजी की आवश्यकता है जिसके चलते डब्ल्यूबीसीआईएस का कार्यान्वयन करने वाली बीमा कंपनियों को निजी अभिकरणों द्वारा स्थापित 3000 एडब्लूएस के नेटवर्क का प्रयोग करना पड़ रहा है।
- यूपीआईएस के सभी खंडों के स्वैच्छिक परिचालन में भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि कई राज्यों की मांग है कि इसके फसल बीमा वाले खंड अनिवार्य होने की वजह से किसान इसमें पर्याप्त रूचि नहीं ले रहे हैं जबकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अधिकांश प्रशासनिक नियंत्रण फसल बीमा वाले खंडों पर ही है। शेष उपखंड विभिन्न हितधारकों के समन्वय पर आधारित हैं, ऐसे में फसल बीमा के बिना इसका स्वैच्छिक परिचालन बहुत मुश्किल है। फिर भी अभी इसका परिचालन प्रायोगिक होने की वजह से इसमें राज्यों के फीडबैक और समीक्षा के उपरांत अपेक्षित संशोधन किए जा सकते हैं।

किसानों के लिए प्रमुख मोबाइल एप

- किसानों सुविधा मोबाइल एप– किसान सुविधा मोबाइल एप 19 मार्च, 2016 को जारी किया गया जो किसानों को मौसम, कीमत, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की जानकारी देता है; साथ ही, इस एप से कृषि वैज्ञानिकों से राय भी ली जा सकती है।
- एग्रीमार्केट मोबाइल एप– 50 किमी. के दायरे में आने वाले बाजारों में फसलों की कीमत के बारे में जानकारी देने के लिए।
- फसल बीमा मोबाइल एप– इस एप से किसान अपनी फसल बीमा से संबंधित जानकारी के साथ कवरेज एवं अधिसूचित फसल हेतु अपने प्रीमियम की गणना कर सकते हैं।
- पूसा कृषि मोबाइल एप– यह एप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा विकसित फसलों की उन्नत किस्मों तथा नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी देता है।
- भुवन हैल्स्टॉर्म मोबाइल एप– इस एप से ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के चित्रों को अपलोड कर सकते हैं।

कुल मिलाकर भारत सरकार देश की कृषि में धारित बहुमुखी विविधता और बहुआयामी कृषि आपदाओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप कृषि बीमा योजनाओं का परिचालन कर रही हैं जो देश के कुल 12 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित करने और जोखिम कवरेज की दृष्टि से अभूतपूर्व हैं। देश में एक सामान प्रशासनिक मानकों, समरूप नियमों और एकीकृत शर्तों के साथ संचालित ये योजनाएं कवरेज और विस्तार की दृष्टि से सभी सीमाओं से मुक्त और अपरिमित हैं। ये देश की अधिकारिता वाले सम्पूर्ण संघ एवं राज्य क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक, राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित सभी फसलों और बटाईदारों सहित सभी किसानों के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए आशा है कि इससे हम जलवायु स्मार्ट कृषि तथा आपदारक्षक उद्यमी कृषक बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे और ये योजनाएं देश के बदहाल, हताश और खस्ताहाल किसानों का अधिकतम हित सुनिश्चित कर प्रतिकूल मौसमी मिजाज पर उन्हें अधिकतम सुरक्षा प्रदान करेंगी और देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव की नई इबारत लिखने में सहायक सिद्ध होंगी।

(लेखक वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं।)
ई–मेल : gajendra10.1.88@gmail.com
gajendra.singh88@gov.in

खेती-किसानी के वित्तपोषण के बेहतर तंत्र से बढ़ेगी आमदनी

–नितिन प्रधान

भारत के किसान एक बार फिर देश को रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन देने को तैयार हैं। सरकार के अनुमान बता रहे हैं कि 2016–17 में देश में अनाज का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। दालों के मामले में भी भारतीय किसान ने सारे भ्रम तोड़ते हुए उत्पादन को उच्च बिंदु तक पहुंचा दिया है। किसानों ने नई सोच, नई तकनीक और जानकारी प्राप्त करने के नए स्रोतों को अपनाया है। यही वजह है कि थोड़े प्रोत्साहन के बावजूद वे देश के खाद्यान्न भंडार को निरंतर भरते रहते हैं।

भारत के किसान एक बार फिर देश को रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन देने को तैयार हैं। सरकार के अनुमान बता रहे हैं कि 2016–17 में देश में अनाज का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। दालों के मामले में भी भारतीय किसान ने सारे भ्रम तोड़ते हुए उत्पादन को उच्च बिंदु तक पहुंचा दिया है। चूंकि देश के किसान अलग–अलग फसलों के उपभोग, उनकी पैदावार और उनकी निरंतर बदलने वाली मूल्य नीति को लेकर काफी सकारात्मक सोच रखते हैं इसलिए वे हर बार चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। किसानों ने नई सोच, नई तकनीक और जानकारी प्राप्त करने के नए स्रोतों को अपनाया है। यही वजह है कि थोड़े प्रोत्साहन के बावजूद वे देश के खाद्यान्न भंडार को निरंतर भरते रहते हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि जिन दालों की कीमतों को लेकर एक समय देश में हाहाकार मचा हुआ था उन दालों के उत्पादन का स्तर किसान ने इतना ऊंचा कर दिया है कि आज यह नौबत आ गई है कि सरकार के बफर स्टॉक में इतनी दाल है कि उसे बाजार में नहीं लाया गया तो वह खराब हो जाएगी।

लेकिन इतना सब होने के बाद भी यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। किसान से लगातार रिकार्ड पैदावार लेते रहने के बाद भी क्या देश उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दे पा रहा है? क्या किसानों की आय बढ़ाने के पर्याप्त उपाय हुए हैं? जो उपाय किए भी गए हैं क्या उनसे किसानों की आय में वृद्धि हुई है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सतत मंथन की आवश्यकता है। सरकार निरंतर कह रही है कि वह किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है। इस संबंध में बीते दो–ढाई वर्ष में कई निर्णय भी लिए गए। लेकिन वे किसान के लिए कितने लाभकारी हो पाए इसके नतीजे आना अभी बाकी है। सरकार ने इस लक्ष्य को पाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधारों का बीड़ा उठाया। ई–मंडियों से लेकर किसानों की उपज के उचित दाम दिलाने के कई उपाय किए गए। खेती के अलावा आमदनी के अन्य विकल्पों पर भी काम हुआ। लेकिन आज भी किसान अपनी आमदनी को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। खेती–किसानी की लागत लगातार बढ़ रही है। लेकिन किसानों को अपनी फसल के मिलने वाले दाम में उस रफ्तार से इजाफा नहीं हो रहा है। उस पर मौसम की बेरुखी उसकी सारी मेहनत को बेकार कर जाती है।

दालों के उत्पादन को ही लें तो इसकी वृद्धि में न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी ने एक अहम भूमिका अदा की है। चार वर्ष पूर्व तक देश का किसान दालों के उत्पादन को लेकर हतोत्साहित रहता था। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि देश में दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार को दालों का आयात तक करना पड़ता था। लेकिन बीते दो साल से स्थिति बदली है। कृषि उत्पादन से किसानों की आय को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में अच्छी–खासी बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2016–17 की खरीफ फसल की दालों में अरहर के समर्थन मूल्य को 4625 रुपये से बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। इसी तरह अन्य दालों और अनाजों के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। लेकिन केवल समर्थन मूल्य के बल पर किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय कृषि बाजार

वर्तमान सरकार ने इस दिशा में एक अहम कदम ई–मंडियों के रूप में उठाया है। अभी तक किसान अपनी उपज को पारंपरिक तौर पर या तो सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचते रहे हैं या फिर खुले बाजार में आढ़तियों की मनमानी का शिकार होते रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने डिजिटल इंडिया की छतरी में किसानों को अपनी फसल की ई–नीलामी का अवसर दिया है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने का एक पारदर्शी प्लेटफार्म मिलता है। यह एक आदर्श व्यवस्था है। ई–नाम के तहत देश की सभी कृषि मंडियों को एक दूसरे से जोड़

दिया गया है, जहां किसान अपनी उपज को बेच सकता है। ई–नाम पर 13 राज्यों को 417 मंडियां जुड़ चुकी हैं। लेकिन वास्तविकता में इसके अपेक्षित नतीजे जमीन पर दिखने शुरू नहीं हुए हैं। इसकी कई वजह हैं। पहला, किसान खेती के लिए पारंपरिक तौर–तरीकों से नहीं निकल पा रहा है। खेती–किसानी के लिए लागत मूल्य का वित्तपोषण आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। किसान को खेती की शुरुआत से ही एक बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। बीज खरीदने से लेकर खाद खरीदने तक के लिए उसे नकदी की जरूरत होती है। इसके लिए उसे कर्ज लेना होता है। आमतौर पर किसानों को यह कर्ज उसकी संभावित फसल के एवज् में ही मिलता है। बड़े आढ़ती उसकी फसल का सौदा करते हैं और पूरे फसल चक्र में उसे जरूरत के मुताबिक धनराशि उपलब्ध कराते रहते हैं। अंत में फसल आने पर उसे कर्ज काटकर बाकी राशि मिल जाती है। यदि दुर्भाग्यवश उसकी फसल खराब हो गई तो किसान कर्ज के जाल में फंस जाता है।

ऐसी स्थिति में इन ई–मंडियों का बहुत अधिक लाभ किसानों को तब तक नहीं मिल सकता जब तक उनके लिए एक पारदर्शी और संगठित प्रक्रिया के तहत वित्तपोषण की व्यवस्था न हो जाए। चूंकि ई–मंडी खेती किसानी की आखिरी कड़ी है इसलिए आय को बढ़ाने के प्रयासों की शुरुआत इस पूरी प्रक्रिया के आरंभ से ही करनी होगी। और वह शुरू होता है किसान को खेती का सत्र शुरू करने से पूर्व वित्त उपलब्ध होने से। तमाम उपायों के साथ–साथ देश में एक ऐसा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जो खेती–किसानी के लिए धन मुहैया कराने का काम करे। हालांकि बैंक प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज वितरण के तहत ऐसा करते हैं, लेकिन बैंकिंग नियमों के तहत किसानों के एक बार कर्ज न चुका पाने के बाद उन्हें दोबारा कर्ज मिलना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में उन्हें बैंक के कर्ज को चुकाने के लिए या तो फिर निजी साहूकारों के पास जाना पड़ता है या फिर कर्ज माफी का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि नाबार्ड के अतिरिक्त एक मजबूत और व्यापक तंत्र बने जो किसानों की खेती का वित्त पोषण करे।

अलबत्ता किसानों की आय बढ़ाने में अपरोक्ष तौर पर मोदी सरकार की फसल बीमा योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। अब तक इसके जो नतीजे मिले हैं वे काफी सकारात्मक हैं। इस योजना के तहत किसानों को मुआवजा मिलने के मामलों में रफ्तार बढ़ी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि एक फसल नष्ट होने के बाद किसान अगली फसल की तैयारी बिना किसी चिंता के कर पा रहा है। हालांकि अभी इस योजना के दायरे में अधिक से अधिक किसानों को लाये जाने की जरूरत है।

मंडी कानून में संशोधन जरूरी

एक बड़ी समस्या जो अभी किसानों की फसल के उचित दाम नहीं मिल पाने के आड़े आ रही है वह है मौजूदा मंडी कानून। अभी किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल को बेच पाने में असमर्थ हैं। देश के राज्यों के मंडी कानून इसकी अनुमति नहीं देते। मजबूरन किसान को अपनी फसल औने–पौने दाम पर अपने राज्य में ही बेचनी पड़ती है। केंद्र सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज व दूसरी फसलों के आने–जाने का रास्ता खुल जाए। लेकिन यह काम चूंकि राज्यों को अपने–अपने मंडी कानून में संशोधन के जरिए करना है। इसलिए ऐसा होना संभव नहीं हो पा रहा है। केंद्र अपनी तरफ से पहल कर चुका है और एक आदर्श मंडी कानून का मसौदा तैयार कर सभी राज्यों को भेज चुका है। लेकिन इस दिशा में अभी तक अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पाए हैं।

हालांकि सरकार के प्रोत्साहन की वजह से अनाज की उपज में देश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। चावल एवं गेहूं के मामले में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उपज में बढ़ोतरी हुई है जबकि रकबे में गिरावट आई है, यह बेहतर कृषि उत्पादकता की ओर इंगित करती है, जिसमें बेशक और वृद्धि किए जाने की आवश्यबकता है। वर्ष 2013–14 में चावल की खेती के तहत क्षेत्र 441.36 लाख हेक्टेयर था जिसमें 10.66 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। वर्ष 2016–17 में रकबे घटकर 427.44 लाख हेक्टेयर जबकि उत्पादन के 10.88 करोड़ टन तक रहने का अनुमान है।

गेहूं के लिए भी ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आई है। वर्ष 2013–14 में गेहूं की खेती के तहत क्षेत्र 304.73 लाख हेक्टेयर था, जबकि उत्पादन 9.58 करोड़ टन हुआ था। वर्ष 2016–17 के लिए तुलनात्मक संख्या 302.31 लाख हेक्टेयर है, जबकि उत्पादन के 9.66 करोड़ टन रहने का अनुमान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के किसानों की उनके प्रयासों के लिए सराहना की जानी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार द्वारा उठाए गए नए कदमों की बदौलत वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश के किसान भी खुशहाल हो जाएंगे। जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है, 'इस देश के किसानों को पानी दीजिए और देखिए कि वे कैसा चमत्कार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश के प्रत्येक गांव में पानी उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दो गुनी कर देने का है।

ऐसा नहीं है कि किसान बेहतर तकनीक को नजरअंदाज कर रहा है या फिर उसकी जरूरत को समझ नहीं रहा है। सरकार ने किसान विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों तक तकनीक और सूचना के संबंध में अपनी पहुंच बनाई है। लेकिन इसे और मजबूती से विस्तार दिए जाने की जरूरत है। किसानों को मोबाइल पर मिल रही मौसम संबंधी जानकारी का लाभ भी मिल रहा है। मौसम के लगभग सटीक अनुमानों ने भी किसानों की मदद की है। इधर सरकार ने खेती–किसानी से इतर किसानों में उद्यमिता जागृत करने के उपायों को भी बढ़ावा दिया है। पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसी कई योजनाओं ने किसानों की आय में अतिरिक्त आमदनी का योग किया है। डेयरी उद्योग का विकास भी अंततः किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। लेकिन ये केवल अतिरिक्त आमदनी के स्रोत हैं। किसानों की मूल कमाई उसकी फसल से है। लिहाजा किसानों को उसकी उपज से बेहतर और सुनिश्चित दाम मिले, इसके उपाय करना ज्यादा आवश्यक है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आर्थिक और वित्तीय विषयों पर लिखते हैं। वर्तमान में दैनिक जागरण में राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ हैं।)

ई–मेल : pradhnitin@gmail.com

बेहतर प्रबंधन से बदलेगी कृषि की तस्वीर

–चंद्रभान यादव

केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय को बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें सुविधा–संपन्न बनाने के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी पहल की जा रही है। कम लागत में अधिक से अधिक उत्पाद मिले और किसानों को उत्पादन का अधिक से अधिक मूल्य मिले, इसके लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीके भी समझाए जा रहे हैं।

किसान किसी भी कीमत पर खेती को घाटे का सौदा न मानें, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद कृत संकल्पता जाहिर की है। कम लागत में अधिक से अधिक उत्पाद मिले और किसानों को उत्पादन का अधिक से अधिक मूल्य मिले, इसके लिए सरकारी प्रयास के साथ ही किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीके समझाए जा रहे हैं। इसकी झलक इस बार के बजट में भी दिखाई पड़ती है। केंद्र सरकार की ओर से आम बजट में किसान और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। बजट की स्थिति देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का वर्ष 2016–17 के लिए बजट प्रावधान 44,250 करोड़ रुपये था जोकि वर्ष 2017–18 के लिए 15.31 प्रतिशत बढ़ाकर 51,026 करोड़ रुपये किया गया है।

केंद्र सरकार का मानना है कि किसानों के विकास एवं उत्थान से ही देश विकासशील से विकसित राष्ट्र बन सकेगा और यह संभव होगा किसानों की संपन्नता से। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लैब टू लैंड, पानी, मिट्टी, उत्पादकता, खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया है क्योंकि सतत कृषि विकास के लिए भूमि की उर्वराशक्ति बनाए रखना जरूरी है। इसमें सॉयल हेल्थ कार्ड योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। फरवरी 2015 से शुरू हुई इस योजना में अब तक 460 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार ने मई 2015 से नीम लेपित यूरिया उत्पादन अनिवार्य कर दिया है। साथ ही डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की लागत भी घटा दी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे, बाढ़ आदि से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है जिसमें अनाज, तिलहन और

वाणिज्यक, बागवानी फसलें शामिल हैं। किसानों की संपन्नता में दूसरी सबसे खास बात है फसल प्रबंधन के बाद पर्याप्त भंडारण की। भंडारण की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उत्पादन का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। साथ ही प्रसंस्करण के तकनीकी ज्ञान के अभाव में भी काफी उत्पाद प्रभावित होता है। ऐसे में किसानों की कड़ी मेहनत से तैयार होने वाली उपज का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी तरह नष्ट होता है, जिसका नुकसान सीधे किसानों को उठाना पड़ता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मॉडल नीति तैयार की है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि देश के किसानों और गांवों की समृद्धि की बुनियाद पर भारत के भाग्य को बदला जा सकता है। एकीकृत मिशन के जरिए खेती–किसानी का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया। मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो किसानों के कल्याण के लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने, फसल चक्र में परिवर्तन करने और कम लागत में किस मौसम में कौन–सी खेती की जाए, इसकी

जानकारी देने पर बल दिया जा रहा है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ कई आधारभूत योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है जो खेती–किसानी में सहायक सिद्ध हो रही हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, ई–नाम, जैविक खेती, नीम कोटिंग यूरिया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और पशुधन की योजनाएं कृषि को किसानों के लिए एक लाभप्रद व्यवसाय में परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

किसानों को संपन्न बनाने के लिए उनकी कृषि लागत घटानी होगी और उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाना होगा। इसी प्रयास के तहत किसानों को जहां तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वहीं संसाधनों का भी विकास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के साथ ही उसकी गुणवत्ता भी बढ़ी है। फसल उत्पादन के सरकारी आंकड़ों पर निगाह डाले तो इस साल कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 27.19 करोड़ टन तक होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से 15 फरवरी, 2017 को वर्ष 2016–17 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक चावल 10.88 करोड़ टन, गेहूं 9.66 करोड़ टन पैदा होने का अनुमान है जो 2013–14 के दौरान प्राप्त विगत 26.50 करोड़ टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 69.4 करोड़ टन अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन भी विगत पांच वर्षों (2011–12 से 2015–16) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 1.49 करोड़ टन अधिक है। और विगत वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में उल्लेखनीय रूप से 2.04 करोड़ टन अधिक है। इस तरह देखें तो फसल उत्पादन की दिशा में हम लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अब हमें उत्पादन की गुणवत्ता और उसकी लागत कम करने पर जोर देना होगा। इसके लिए कृषि का यंत्रीकरण जरूरी है। ऐसे में सरकार की ओर से लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि उपकरण मुहैया कराने की दिशा में भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से उत्पादन बढ़ाने के साथ ही घरेलू बाजार की समस्या के निस्तारण की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। घरेलू बाजार में फलों व सब्जियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पैदावार बाद प्रबंधन व बाजार के विकास तथा प्रसंस्करण के जरिए ज्यादा मूल्य वाले उत्पादों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। खेती–किसानी और ग्रामीणों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए खेती के ऋण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल इस मद में 9 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे। केंद्र सरकार की ओर से इस बार बजट में वर्ष 2016–17 के लिए बजट प्रावधान 44,250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2017–18 के लिए 51,026 करोड़ रुपये किया गया है। इस बजट में केंद्र सरकार की ओर से श्वेत एवं नीली क्रांति को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया है। सफेद एवं नीली क्रांति कृषि की पूरक है।

निश्चित तौर पर देश में वैश्विक–स्तर पर सब्जियों के उत्पादन और विविध सब्जी–उत्पाद के कारोबार में व्यापक वृद्धि हुई है। बढ़ती आय, घटते परिवहन लागत, नई उन्नत प्रसंस्करण तकनीक और वैश्वीकरण ने इस विकास के लिए प्रेरित किया है। लेकिन यह वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और प्रसंस्करण के धीमें विकास से मेल नहीं खाती है। क्षय को कम करने, विस्तार और विविधीकरण के लिए प्रोसेसिंग सबसे प्रभावी उपाय है। प्रसंस्करण गतिविधियां, ताजा उपज के लिए बाजार के अवसरों में वृद्धि करते हुए मूल्य वृद्धि करते हैं तथा पोस्टहार्वेस्ट हानियों को कम करते हैं। प्रसंस्करण, खेती की आय में वृद्धि, ग्रामीण रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा उत्पन्न करके कृषि उत्पादन प्रणालियों की व्यवहार्यता, लाभप्रदता और स्थिरता में सुधार लाता है। भारत विश्व में सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण विकसित देशों की तुलना में यहां बहुत कम है जबकि वैल्यू एडिशन 7 फीसदी है। वहीं चीन में यह 20 फीसदी और यूनाइटेड किंगडम में 88 फीसदी है। यानी विकसित देशों से मुकाबला करने और अपने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हमें भी इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। इसकी शुरुआत ग्रासरूट पर करनी होगी। सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र को अपने कच्चे माल की गुणवत्ता बढ़ानी होगी। कटाई तकनीक, फसल कटाई के उपरांत हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन पर खासा ध्यान देना होगा। कच्चे माल की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करना होगा। ऐसे में प्रसंस्करण में दक्षता, गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे और कुशल तकनीकी विशेषज्ञता में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

101 नई एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरीः भारत विश्व में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बावजूद यहां केवल 2.2 प्रतिशत फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण ही किया जाता है। भारत में प्रत्येक खाद्य उत्पादन केंद्र पर सस्ते शीत–भंडार और शीत श्रृंखलाओं की आवश्यकता है। मौजूदा शीत–भंडार सुविधा कुछ राज्यों में ही केंद्रित है और मोटे तौर पर 80 से 90 फीसदी शीत भंडारों का आलू के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। भारत को इस बारे में लंबा रास्ता तय करना है। **ऐसे में सरकार की ओर से इस दिशा में काफी बेहतरीन पहल की गई है। नई सोच के साथ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देश में राष्ट्रीय कोल्ड चेन ग्रिड का निर्माण कर रहा है ताकि सभी खाद्य उत्पादक केंद्रों को शीत भंडारण और प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ा जा सके।** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से नई कोल्ड चेन अवसंरचना को स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत शीत भंडारण और प्रसंस्करण दोनों ही सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्रालय ने पूरे देश में फैली 101 नई एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं फलों और

सब्जियों, डेयरी, मछली, मांस, समुद्री उत्पाद, मुर्गी उत्पाद, खाने के लिए तैयार/पकाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के लिए हैं। इस प्रयास से भी प्रधानमंत्री की ओर से किसानों की आय को दोगुना करने के मिशन को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे कृषि आपूर्ति श्रृंखला में बर्बादी कम हो जाएगी और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर जुटाने में भी मदद मिलेगी। कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना में उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इन नई एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा सृजन के लिए 3100 करोड़ रुपये के कुल निवेश की जरूरत पड़ेगी। इन परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित ग्रांड–इन–एड 838 करोड़ रुपये होगा। इन 101 नई कोल्ड चेन परियोजना से 2.76 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज नियंत्रित वायुमंडल फ्रोजन भंडारों की अतिरिक्त क्षमता, 115 मीट्रिक टन प्रति घंटे की व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग (आईक्यूएफ) क्षमता, 56 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग की क्षमता, 210 मीट्रिक टन प्रति बैच ब्लास्ट फ्रीजिंग और 629 रेफ्रिजेरेटेड इंसुलेटेड वाहनों की क्षमता उपलब्ध होगी। इन एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं से संबंधित राज्यों में न केवल खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को भी उनके उत्पाद की बेहतर कीमत उपलब्ध होगी। बुनियादी ढांचे से जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की बर्बादी घटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन में सहायता मिलने के अलावा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। इससे उत्पादकों से प्रसंस्करणकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों से छोटी, सुसंगत और संपीड़ित आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिलेगी और इससे फल और सब्जी तथा दुग्ध प्रसंस्करण तथा गैर–बागवानी खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत वर्ष 2016 में 20 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके शुरू होने के बाद, मंत्रालय ने 2016 में 0.63 लाख मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज, 15 मीट्रिक टन प्रति घंटे का व्यक्तिगत क्विक फ्रीजिंग (आईक्यूएफ), 10.65 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन प्रसंस्करण/भंडारण और 99 बादबानी वैन की अतिरिक्त क्षमता विकसित की गई। पिछले ढ़ाई वर्षों में 54 एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को शुरू किया गया है जिससे कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है। मंत्रालय ने करीब 135 कोल्ड चेन परियोजनाओं को जिनकी क्षमता 3.67 लाख मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज, 94.29 मीट्रिक टन प्रति घंटे का व्यक्तिगत क्विक फ्रीजिंग (आईक्यूएफ), 37.93 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन प्रसंस्करण/भंडारण और 549 बादबानी वैन की है, को सहायता प्रदान की है। कोल्ड चेन परियोजना से फलों और सब्जियों के क्षेत्र में लगे करीब 500 किसानों को तथा डेयरी क्षेत्र में करीब 5000 किसानों को लाभ पहुंचा है और 100 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।

मेगा फूड पार्क से मिलेगा रोजगार और उत्पाद की कीमतः केंद्र सरकार की ओर से 42 मेगाफूड पार्क बनाने की अनुमति दी है, जिनमें 8 शुरू हो गई हैं। ग्रामीण इलाकों में एक मेगा फूड पार्क के जरिए करीब पच्चीस से तीस हजार किसानों को लाभ होता है। साथ ही पांच से छह हजार लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस पार्क में बहु–स्तरीय शीत भंडारण, शुष्क माल गोदाम, सब्जियों की डिहाइड्रेशन लाइन, आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण प्रयोगशाला सहित फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण जैसी दूसरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस मेगा फूड पार्क परियोजना में आधुनिक बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहेंगी जिसमें बागवानी और गैर–बागवानी उत्पादों को सड़ने से बचाने की हर सुविधा है। इस परियोजना से किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत तो मिलेगी ही, उनके उत्पाद कम–से–कम खराब होंगे। इसके अलावा, कृषिगत उत्पादों और उद्यमशीलता के व्यापक अवसर पैदा होने से राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा। दरअसल इस योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी। लेकिन इसे गति बाद में मिली। इसके तहत मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें खेत से लेकर बाजार तक की मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण हेतु आधुनिक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मेगा फूड पार्क कम से कम 50 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाता है और संकुल क्लस्टर आधारित अवधारणा के तहत काम करता है। यह 'हब एंड स्पोक' मॉडल पर आधारित होता है जिसके तहत केंद्रीकृत व एकीकृत लॉजिस्टिक प्रणाली का नेटवर्क स्थापित किया जाता है। इसमें आधुनिक भंडारण, शीत भंडारण, आईक्यूएफ, पैकेजिंग, बिजली, सड़क, जल इत्यादि शामिल हैं।

निवेश लक्ष्य निर्धारणः किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से संसाधनों के विकास के साथ ही उनके क्रियान्वयन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आमतौर पर 'तेजी से बढ़ने वाले उद्योग' के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कृषि अर्थव्यवस्था के विकास की असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र की अहमियत इस तथ्य से और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि 60 फीसदी से भी ज्यादा आबादी आजीविका के लिए कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। ऐसे में किसी भी कीमत पर किसानों की अनदेखी नहीं की जा सकती है यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब सकल मूल्य वर्द्धित (जीवीए) में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 17 फीसदी है। केंद्र सरकार की ओर से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अतिरिक्त वित्तीय रियायतें दी गई हैं। इसके तहत रेफ्रिजेरेटेड कंटेनरों के उत्पाद शुल्क में कटौती कर 12.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत एवं बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती कर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

मार्केटिंग का फंडाः किसानों की आय बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए नजदीक

में बाजार उपलब्ध कराना ताकि उनकी उपज का उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके। इसके लिए अब तक की परंपरागत मंडियों को सुविधा संपन्न करना होगा। मार्केटिंग की नई रणनीति अपनाएं और किसानों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मार्केटिंग व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करना होगा। 8 राज्यों की 23 मंडियों को ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोड़ा गया। यह योजना किसानों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करती है। यह पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें किसानों को उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने की व्यवस्था है। योजना के तहत एकीकृत विनियमित बाजारों में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उन्हें 30 लाख प्रति मंडी की दर से सहायता दी जाती है। वर्ष 2017–18 के बजट में इस सहायता राशि को बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है। अभी तक 13 राज्यों की 417 विनयमित मंडियां इस योजना से जुड़ चुकी हैं, जो मार्च 2018 तक बढ़कर 585 हो जाएगी। ई–नाम पोर्टल पर अब तक 42.18 लाख किसानों और 89,199 व्यापारियों का पंजीकरण हो चुका है। अब तक कुल कारोबार का मूल्य 16,163.1 करोड़ है जोकि 63.17 लाख टन के उत्पादों के विपणन से हुआ है ।

एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम): इसकी सह–योजना कृषि विपणन ढांचा के तहत पैदावार बाद प्रबंधन व विपणन ढांचे के लिए पूंजीगत लागत की सहायता देना है। साथ ही इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन स्थापित करना व रेफ्रीजरेटेड वाहन शामिल हैं। पैदावार बाद बेहतर प्रबंधन के लिए आईसीएआर संस्थान व कृषि विज्ञान केंद्रों को भी किसानों को जरूरी कौशल व तरीकों का प्रशिक्षण देने में शामिल किया गया है।

कृषि मॉडल एक्टः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाए और किसान विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बनें। इसके तहत एक तरफ जहां उत्पादन लागत कम की जा रही है तो दूसरी तरफ उत्पादकता बढ़ायी जा रही है। इसके बीच तीसरा सबसे अहम काम हो रहा है मार्केटिंग का। मार्केटिंग की रणनीति से हम अपने उत्पादन को विश्व बाजार में चमका सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से एक मॉडल एक्ट भी तैयार किया जा रहा है। इस एक्ट को राज्यों द्वारा जल्दी अपनाने से 2022 तक किसानो की आय दुगुनी करने की मंशा पूरी करने में मदद मिलेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 6 जनवरी, 2017 को मॉडल एक्ट का मसौदा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा गया है। इसमें खासतौर से निजी क्षेत्र में बाजारों की स्थापना, डायरेक्ट मार्केटिंग यानी बाजार यार्ड के बाहर प्रोसेसर/निर्यातकों/थोक खरीदारों आदि द्वारा किसानों से उत्पाद की प्रत्यक्ष खरीद, किसान–उपभोक्ता बाजार यानी उपभोक्ताओं को किसानों द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री, से और बाजार समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार स्थापित किया जाना, अनुबंध खेती, ई–ट्रेडिंग, राज्य भर में बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी, राज्य भर में एकल व्यापार लाइसेंस, मंडी परिसर में दुकान की अनिवार्यता के प्रावधानों को हटाना, एपीएमसी अधिनियम से फलों और सब्जियों को बाहर रखना आदि को शामिल किया गया है। इस एक्ट में प्रदेश–स्तर पर एक ही बाजार का प्रावधान है।

मंडियों का विकासः देश के तमाम किसान ऐसे हैं तो परंपरागत खेती के साथ ही फल एवं फूल, सब्जी आदि की औद्योगिक खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पहुंच मंडियों तक नहीं हो पाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से मंडियों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है। इस साल के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि 585 मंडियों को जोड़ा जाएगा। इस कार्य में प्रत्येक मंडी की आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। इसमें स्वच्छता ग्रेडिंग और पैकेजिंग कार्य के लिए हर मंडी में करीब 75 लाख रुपये खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए इन्हें ए.पी.एम. सी. एक्ट (मंडी एक्ट) से डिनोटिफाई करने का भी सुझाव दिया गया है।

पशुचारा ज्ञान पोर्टल की शुरुआतः कृषि देश की ग्रामीण अर्थव्यवथा की रीढ़ है, जिसमें डेरी की अहम भूमिका है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है, लेकिन इसके बावजूद प्रति पशु उत्पादकता में सुधार की अपार क्षमताएं मौजूद हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पशुचारा उत्पादन की गुणवत्ता सुधार एवं पशुचारा गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा आणंद में पशुचारा ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल पर पशुचारा उत्पादन से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई है। इसके अलावा सस्ता पशुचारा बनाने, चारा आपूर्ति, कच्चे माल इत्यादि के बारे में भी सूचना उपलब्ध है।

फसलों का रिकार्ड उत्पादनः 2016–17 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इस साल बंपर फसल हुई है। रिकार्ड 27.19 करोड़ टन अनाज के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें चावल का 10.88 करोड़ टन और गेहूं का 9.66 करोड़ टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। मोटे अनाजों का भी उत्पादन रिकार्ड 4.43 करोड़ टन है। पिछले सालों में दालों के उत्पादन में कमी हुई थी जिससे दालों का आयात करना पड़ा था, लेकिन इस साल रिकॉर्ड 2.21 करोड़ टन उत्पादन हुआ है, तिलहनों का भी रिकॉर्ड उत्पादन 3.36 करोड़ टन हुआ है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धिः कृषि उत्पादन से किसानों की आय को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में अच्छी–खासी बढ़ोतरी की गई है। 2016–17 की खरीफ फसल की दालो में अरहर के समर्थन मूल्य को 4,625 रुपये से बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, उड़द के मूल्य को 4, 625 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग के लिए

4,850 रुपये से बढ़ाकर 5,250 रुपये तक कर दिया गया है।

किसान चैनलः देश की आत्मा को समझने की शुरुआत भारत के गांव–देहात से होती है। इसी आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मंत्र दिया 'हर खेत को पानी और हर हाथ को काम'। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हल के पीछे चल रहे आदमी की सुध ली और देश में किसान चैनल की शुरुआत की। 26 मई, 2015 को शुरू किया गया 24 घंटे का यह किसान चैनल कृषि तकनीक का प्रसार, पानी के संरक्षण और जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी देता है।

एकीकृत नाशीजीव प्रबंधनः यह नाशीजीवों के नियंत्रण की सस्ती और वृहद आधार वाली विधि है जो नाशीजीवों के नियंत्रण की सभी विधियों के समुचित तालमेल पर आधारित है। इसका लक्ष्य नाशीजीवों की संख्या एक सीमा के नीचे बनाए रखना है। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को जैसे व्यावहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाले की संख्या आर्थिक हानि–स्तर से नीचे रहे और रासायनिक दवाईयों का प्रयोग तभी किया जाए जब अन्य अपनाए गए तरिके से सफल न हों।

प्रसंस्करण तकनीक को बढ़ावा देना जरूरीः वैल्यू एडिशन किसी उत्पाद या सेवा के ग्राहक मूल्य में वृद्धि करते हैं। यह ग्राहक की जरूरतों और धारणाओं द्वारा संचालित एक उत्पादन की विपणन रणनीति है। यह उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किए गए कच्चे कृषि, समुद्री या वन्य सामग्री विशेषताएं जोड़ता है। मूल्यवर्धित कृषि के उदाहरण हैं खाद्य प्रसंस्करण, सुखाने, कैनिंग, जूसिंग, अनूठी पैकेजिंग, लेबलिंग और मार्केटिंग। केंद्र सरकार की ओर से भी इस दिशा में पहल की जा रही है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। दरअसल वैल्यू एडिशन उपभोक्ता के लिए अधिक पोषक उत्पाद है जबकि उत्पादक के लिए प्रसंस्करण और उत्पाद के वितरण में भागीदारी है। यह ऊर्ध्वाधर एकीकरण के रूप में जाना जाता है। मूल्यवर्धित विपणन कई पारंपरिक उत्पादकों के लिए एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है जिसमें पूंजी, सामूहिक कार्य और खाद्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण है।

जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा

2017–18 के सीजन के लिए जूट के एमएसपी को बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 300 रुपये (9.4 प्रतिशत) अधिक है। पिछले तीन वर्ष (2015–16, 2016–17 और 2017–18) के दौरान सरकार ने जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2700 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये किया है। कुल मिलाकर यह वृद्धि 29 प्रतिशत है। जूट मुख्य रूप से पैकेजिंग उद्योग के लिए कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है। एमएसपी में वृद्धि से जूट उद्योग को लाभ होगा, जिससे लगभग 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका में मदद होगी। इससे संगठित मिलों और तृतीयक क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों समेत इनकी प्रत्यक्ष इकाइयों में काम करने वाले 3.7 लाख कामगारों को सीधे रोजगार मिलेगा। जूट किसान मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में पाए जाते हैं, जो देश में इनकी संख्या और उत्पादन का 95 प्रतिशत है।

पारंपरिक सब्जी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीः पारंपरिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में उच्च–स्तरीय से मध्यवर्ती और कारीगरी तकनीक शामिल हैं। परंपरागत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों जैसेकि शीत उपचार, सुखाने, थर्मल प्रसंस्करण (बॉटलिंग और डिब्बाबंदी), निर्जलीकरण (नमक, ब्रिनिंग और कैन्डिंग) और किण्वन को व्यापक रूप से कॉटेज, छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों द्वारा कृत्रिम, मध्यवर्ती और उच्च स्तर पर सब्जियों के प्रसंस्करण में प्रयोग किया जाता है। जूस, किण्वित वाइन, शराब, कैंडीज, जमे हुए और सूखे जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए तैयार किए जाते हैं हालांकि ये प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां सब्जियों को सूक्ष्मजीवविद् स्थिर बनाने में आमतौर पर प्रभावी हैं लेकिन वे उत्पाद के स्वाद, रंग और बनावट विशेषताओं को बदलते हैं।

सब्जियों की आधुनिक प्रसंस्करण टेक्नोलॉजीः सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाले, सुरक्षित, ताजा, समान गुण वाले खाद्य पदार्थों की बढ़ती उपभोक्ता मांग के फलस्वरूप सब्जी प्रसंस्करण में काफी नवीनता और विविधीकरण आया है। नए उत्पाद जैसे, छंटनी और पैक किए गए सेम, तैयार सलाद और पूर्व तैयार फ्राई मिक्स सुपरमार्केट और निर्यात व्यापार में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि इस प्रकार की मूल्य–वृद्धि में अपेक्षाकृत कम उत्पाद परिवर्तन की आवश्यकता होती है परंतु उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपकरण व प्रबंधन प्रणालियों में निवेश और खाद्य सुरक्षा सिद्ध ांतों और प्रथाओं का कड़ा पालन अनिवार्य हैं।

किसानों को राहत दिलाने के लिए सरकार की ओर से किए गए अन्य प्रमुख प्रयास

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में इस वर्ष 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को इस योजना के तहत लाया जाएगा। यह एक बड़ा कदम है। यह विगत वर्ष में 30 प्रतिशत था। इसी तरह वर्ष 2018–19 में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। विगत वर्ष इस योजना में 5.5 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 9 हजार करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही विगत वर्ष पूर्व देयताओं के लिए 7.7 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी इस वर्ष दी गई है।

सरकार की यह फसल बीमा योजना कम प्रीमियम पर अधिकतम बीमा का लाभ देती है। इस योजना में सभी खाद्य फसलें, तिलहन, वार्षिक व्यावसायिक या साग–सब्जी का बीमा होता है। पहले की योजनाओं में कुछ फसलें और तिलहन का ही बीमा होता था। खरीफ की सभी फसलों और तिलहन के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत एवं 1.5 प्रतिशत रबी की फसलों और तिलहन के लिए

सौर फोटोवोल्टिक जल पंपिंग प्रणाली का एकीकरणः उत्पादन बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत सरकार की ओर से कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन (एसएमएएम) मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2014 में लागू किया गया। इसके तहत राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न किस्म की कृषि मशीनों तथा व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए खरीद पर कृषि मशीनरी बैंक स्थापित कर किसानों को सेवाएं देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

किसानों का क्रेडिट कार्डः कृषि क्षेत्र के लिए कुल क्रेडिट विगत वर्ष 9 लाख करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 10 लाख करोड़ किया गया। इसमें विशेष रूप से अल्प–सिंचित क्षेत्र, पूर्वी राज्य और जम्मू–कश्मीर के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व में घोषित कर्ज पर 60 दिन के ब्याज भुगतान पर छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। इसी तरह नाबार्ड द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही 63,000 पैक्सों को कम्प्यूटराइज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य को 1900 करोड़ रुपये की राशि से 3 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा।

मॉडल कांट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानूनः विभिन्न राज्यों में कांट्रैक्टर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों के साथ किसी तरह की दिक्कत न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कांट्रैक्टर फार्मिंग संबंधी लॉ भी तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार का इरादा है प्रदेश में कांट्रैक्ट फॉर्मिंग (समझौता खेती) को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इसमें किसी तरह से किसानों को नुकसान नहीं होने पाए। इसी के तहत लीज कानूनों को किसानों के लिए हितकर बनाने का प्रस्ताव है।

और व्यावसायिक फसलों और फल व सब्जी के लिए 5 प्रतिशत का वार्षिक प्रीमियम देना है। प्रीमियम की शेष राशि में केन्द्र और राज्य सरकार का बराबर–बराबर हिस्सा होता है।

मिट्टी की सेहत के लिए सॉयल हेल्थ कार्डः खेती की भूमि की उर्वराशक्ति को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है और इसकी जानकारी किसानों को रहे, यह सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए मोदी सरकार ने फसलों के अनुसार सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना शुरुआत की। इसकी मदद से किसान अपनी भूमि पर उचित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करके अच्छी पैदावार बनाए रखने में सफल हो सकें। अभी तक 6.5 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं।

सूखा प्रबंधन के जरिए राहत देने का प्रयासः देश में बाढ़ एवं सूखा एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के निराकरण के जरिए किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से सूखा राहत प्रबंधन नीति तय की गई है। इसके तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग सूखे की स्थिति में राहत प्रयासों के समन्वय हेतु नोडल विभाग बनाया गया है। केंद्रीय सूखा राहत आयोग की अध्यक्षता में सूखे पर संकट प्रबंधन समूह सभी समान विभागों के प्रतिनिधियों के साथ स्थिति की समीक्षा करता है। देश में सूखे की गंभीर स्थिति के मामले में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति स्थिति की समीक्षा करती है तथा सूखे की स्थिति का शमन करने के लिए आवश्यक निर्णय लेती है। स्थिति से निपटने के लिए मंत्री–स्तर और सचिव–स्तर की अलग–अलग समितियां हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून (जून–सितम्बर) के दौरान वर्षा का स्थानिक वितरण एवं मात्रा से मुख्य रूप से देश में सूखे का प्रभाव निर्धारण होता है क्योंकि इसमें 70 फीसदी अधिक वार्षिक वर्षा का लेखा–जोखा होता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में कृषि, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों पर नियमित लेखन।)

ई–मेल : chandrabhan0502@gmail.com

असम में भा.कृ.अ.स की स्थापना को मंजूरी

असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के इस प्रस्ताव के तहत संस्थान की स्थापना के लिए असम सरकार 587 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। आईएआरआई–असम कृषि शिक्षा में उच्च शिक्षा का एक स्नातकोत्तर संस्थान होगा। इसे कृषि फसल, बागवानी फसल, कृषि वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, रेशम पालन, शहद उत्पादन आदि कृषि के सभी क्षेत्रों में आईएआरआई से विशिष्ट पहचान प्राप्त होगी।

वैश्विक होता योग

–आशुतोष कुमार सिंह

'योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है; विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है।

बड़ी आबादी वाले भारत देश में स्वस्थ समाज के निर्माण का कार्य बहुत बड़ी चुनौती है। विकास की दौड़ में गर सबसे ज्यादा नुकसान किसी चीज का हुआ है तो वो हमारा स्वास्थ्य ही है। अपने देश में अंग्रेजी दवा बाजार तकरीबन 90 हजार करोड़ रुपये (वार्षिक) का है। पिछले दिनों स्वस्थ भारत यात्रा के दौरान देश के 29 राज्यों की तकरीबन 1 लाख 25 हजार बालिकाओं से प्रत्यक्ष रूप से संवाद करने का मौका मिला। इन बालिकाओं में महज 12 बालिकाएं ऐसी मिलीं जिन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक दवा का सेवन नहीं किया है। उनके स्वस्थ रहने और दवा न खाने के पीछे की सच्चाई उनकी दिनचर्या थी। उनका योग के प्रति समर्पण भाव था। 90 दिनों में 20 हजार किमी. की स्वस्थ भारत यात्रा के दौरान यह बात समझ में आ गई कि अगर भारत को स्वस्थ रखना है तो भारतीयों को योग के महत्व को समझना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। शायद यही कारण है कि आज वैश्विक–स्तर पर योग का प्रचार–प्रसार बढ़ता जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत

योग के महत्व को आज दुनिया ने समझ लिया है। यही कारण है कि 21 जून, 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई। योग के इतिहास में 27 सितंबर, 2014 का वह दिन बहुत ही ऐतिहासिक था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के महत्व को दुनिया को समझा रहे थे। उन्होंने कहा था कि 'योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है; विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवनशैली में यह चेतना बनकर, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है।' भारत की इस इस पहल का पूरी दुनिया में स्वागत हुआ।

11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून के दिन को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अपने देश के इस प्रस्ताव को महज 90 दिनों में पूर्ण बहुमत से पारित किया गया।

योग की अवधारणा

योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने (योग) का काम होता है। यह शब्द, प्रक्रिया और धारणा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण–पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया है और इस समय पूरी दुनिया में लोग इससे परिचित हैं। भगवद्गीता में योग शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, कभी अकेले और कभी सविशेषण, जैसे बुद्धियोग, संन्यासयोग, कर्मयोग। वेदोत्तरकाल में भक्तियोग और हठयोग नाम भी प्रचलित हो गए हैं। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का व्यवहार किया है। पतंजलि योगदर्शन में क्रियायोग शब्द देखने में आता है। पाशुपत योग और माहेश्वर योग जैसे शब्दों के भी प्रसंग मिलते हैं। इन सब स्थलों में योग शब्द के जो अर्थ हैं वह एक–दूसरे के विरोधी हैं परंतु इस प्रकार के विभिन्न प्रयोगों को देखने से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि योग की परिभाषा करना कठिन कार्य है। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से मुक्त हो।

गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है 'योग' कर्मसु कौशलम' अर्थात् योग से कर्म में कुशलता आती है। साफ है कि यह वाक्य योग की परिभाषा नहीं है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जीवात्मा और परमात्मा के मिल जाने को योग कहते हैं। पंतजलि ने योगदर्शन में, जो परिभाषा दी है 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'। इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैंः चित्तवृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम योग है या इस अवस्था को लाने के उपाय को योग कहते हैं।

योग की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं

(1) चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। (पतंजलि योग दर्शन–)

(2) पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष के स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। (सांख्य दर्शन)

(3) जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है। (विष्णु पुराण)

(4) दुःख–सुख, लाभ–अलाभ, शत्रु–मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वंदो में सर्वत्र समभाव रखना योग है। (भगवद्गीता)

(5) कर्तव्य कर्म बंधक न हो, इसलिए निष्काम भावना से अनुप्रेरित होकर कर्त्तव्य करने का कौशल योग है। (भगवद्गीता)

(6) मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग हैं। (आचार्य हरिभद्र)

(7) कुशल चित्त की एकाग्रता योग है। (बौद्ध धर्म)

योग के प्रकार

हठ योग– हठ का शाब्दिक अर्थ हठपूर्ण किसी कार्य करने से लिया जाता है। हठ प्रदीपिका पुस्तक में हठ का अर्थ इस प्रकार दिया है– ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चन्द्र बताया गया है। सूर्य और चन्द्र की समान अवस्था हठयोग है।

लय योग– चित्त का अपने स्वरूप में विलीन होना या चित्त की निरूद्ध अवस्था लय योग के अन्तर्गत आता है। साधक के चित्त में जब चलते, बैठते, सोते और भोजन करते समय हर समय ब्रह्म का ध्यान रहे इसी को लययोग कहते हैं।

राज योग– राज योग सभी योगों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग के कुछ न कुछ तत्व अवश्य मिल जाते हैं। राजयोग का विषय चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रियायोग का सहारा लेकर आगे बढ़ने का रास्ता है। इन साधनों का उपयोग करके साधक के क्लेशों का नाश होता है, चित्तप्रसन्न होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। योग के आठ अंगों में प्रथम पांच बहिरंग तथा अन्य तीन अन्तरंग में आते हैं।

पतंजलि का अष्टांग योग

महर्षि पतंजलि ने आठ अंगों की योग साधना का उल्लेख किया है–

यम– अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह

नियम– शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रार्थना

आसन– स्थिरता और सुख से बैठना

प्राणायाम– योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियम प्राणायाम है।

प्रत्याहार– इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम ही प्रत्याहार है।

धारणा– चित्त को किसी भी स्थान विशेष पर केंद्रित करना ही धारणा है।

ध्यान– किसी स्थान में ध्येय वस्तु का ज्ञान, जब एक ही प्रवाह में लगातार बहा जाए और किसी भी संसार का भान न रहे तो वो ध्यान कहलाता है।

समाधि– यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है।

गांवों तक योग को ले जाने की चुनौती

भारत को गांवों का देश कहा जाता है। ऐसे में किसी भी व्यवस्था या अवधारणा को लागू करने के लिए भारत के गांव को समझना होगा। वहां के मानव संसाधन की समस्याओं को समझना होगा। योग के प्रचार–प्रसार पर पिछले दिनों में आई वृद्धि और सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण निश्चित रूप से एक सुखद संकेतक है। बावजूद इसके योग अभी तक जन–जन तक नहीं पहुंच पाया है, इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी है। योग के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। सच्चाई यह है कि योग के प्रसार–प्रचार की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

विद्यालयी पाठ्यक्रम में योग को शामिल किए जाने की जरूरत

योग को अगर सही मायने में धरातल पर उतारना है तो विद्यालयी पाठ्यक्रम में सेहत को शामिल करना बहुत जरूरी है। और उस पाठ्यक्रम में योग को प्रमुखता से पढ़ाए जाने और उसका अभ्यास कराए जाने की जरूरत है। सर्वविदित है कि विद्यालयों में देश का भविष्य पढ़ रहा है। गर हमें अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना है तो उसे स्वस्थ बनाना होगा और इसके लिए योग–साधक विद्यार्थी के निर्माण से बेहतर कुछ और हो ही नही सकता।

निष्कर्ष

योग की तमाम अवधारणाओं को समझने के बाद यह साफ हो जाता है कि योग हमारे दिनचर्या को अनुशासित करने का सर्वोतम मार्ग है। योग को संपूर्णता में स्वीकारने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते। ऐसे में यह जरूरी है कि देश का हर नागरिक योग के महत्व को समझे और उसे अपने जीवन में अंगीकार करे।

(लेखक स्वस्थ भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्वस्थ भारत (न्यास) के चेयरमैन हैं।)

ई–मेल : forhealthyindia@gmail.com

स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में 10 नए प्रतिष्ठित स्थान शामिल

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 'स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान' नाम से एक विशेष स्वच्छता पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 100 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों पर फोकस कर वहां स्वच्छता के उच्च–मापदंड स्थापित करने हैं। साथ ही आगुंतकों हेतु भी उच्च–स्तरीय सुविधाएं स्थापित की जाएगी। ये पहल प्रधानमंत्री के मार्गनिदेशन में शुरू की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय समन्वय मंत्रालय होगा।

कटरा, जम्मू–कश्मीर में माता वैष्णोदेवी श्राइन में आयोजित दूसरी तिमाही समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के दूसरे चरण के अतंर्गत 10 नए स्थानों की घोषणा की। ये 10 नए स्थान हैं– 1. गंगोत्री, 2. यमुनोत्री 3. महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, 4. चार मीनार, हैदराबाद, 5. चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, गोवा, 6. आदि शंकराचार्य निवास, कालडी एर्नाकुलम में, 7. श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर, 8. बैजनाथ धाम, देवघर, 9. बिहार में गया तीर्थ और 10. गुजरात में सोमनाथ मंदिर। इन दस नए स्थानों का 'सिप' के दूसरे चरण में नवीकरण किया जाएगा। प्रत्येक स्थान के लिए सम्बद्ध स्टेक होल्डरों के साथ विचार–विमर्श के बाद कार्य योजना बनाई जाएगी और आवश्यक सीएसआर समर्थन जुटाया जाएगा। कार्ययोजना को जल्दी से जल्दी इन स्थानों पर लागू किया जाएगा।

पहले चरण में शामिल 10 महत्वपूर्ण स्थान हैं– 1. अजमेर शरीफ दरगाह 2. सीएसटी मुंबई 3. स्वर्ण मंदिर, अमृतसर 4. कामख्या मंदिर, असम 5. मणिकर्णिका घाट, वाराणसी 6. मीनाक्षी मंदिर, मदुरै 7. श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, जम्मू–कश्मीर 8. श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी 9. ताजमहल, आगरा 10. तिरुपति मंदिर, तिरुमला।

श्री तोमर ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता कवरेज तेजी से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई है। अब तक 1.92 लाख गांव खुले में शौचमुक्त घोषित हो चुके हैं। जम्मू–कश्मीर सरकार भी ऋषि (Reasi) ब्लॉक को खुले में शौचमुक्त घोषित कर चुकी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कटरा शहर में दो पानी के एटीएम का भी उद्घाटन किया। ❑

केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर दूसरी तिमाही समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए।

गंगोत्री, उत्तराखंड

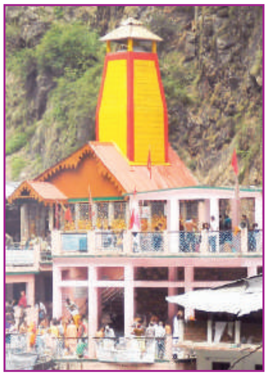

यमुनोत्री, उत्तराखंड

चारमीनार, तेलंगाना

सोमनाथ मंदिर, गुजरात

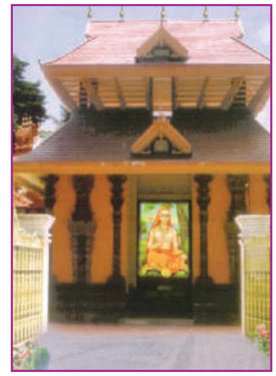

आदिशंकराचार्य निवास कालडी, एर्नाकुलम

महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन (म.प्र.)

वैद्यनाथ धाम, झारखंड

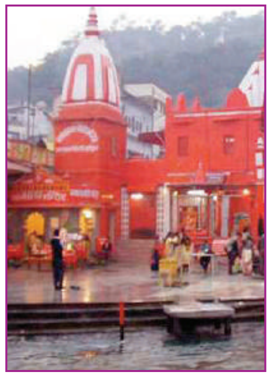

गया मंदिर, बिहार

चर्च एंड कान्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, गोवा

गोमातेश्वर मंदिर, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में बनेगा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के 'स्वच्छ भारत मिशन' द्वारा राजघाट स्थित गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (जीएसडीएस), राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री के विज़न को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए जगह उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय के 'स्वच्छता पखवाड़ा' अभियान के समापन समारोह के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री महेश शर्मा ने इस बात की घोषणा की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे।

'स्वच्छता पखवाड़े' के दौरान संस्कृति मंत्रालय ने साफ–सफाई और जागरूकता बढ़ाने के लिए 275 घंटे समर्पित किए। 'स्वच्छता पखवाड़े' के दौरान कुल 82 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा करने वाले पर्यटकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने ई–गाईड (श्रव्य–दृश्य) एप e3.eguide.net.in विकसित किया है।

इस अवसर पर श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) मात्र सरकार की ही प्राथमिकता नहीं है, बल्कि यह भारत के लोगों के लिए भी एक राष्ट्रीय मिशन बन गया है और देश के हर कोने से इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्तूबर, 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के बाद अभी तक चार करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है और 1,94,000 गांव तथा 135 जिलों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) किया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल, सिक्किम तथा केरल जोकि पहले ही ओडीएफ राज्य घोषित हो चुके हैं, इसके अलावा, जल्द ही 6–7 और राज्यों को ओडीएफ राज्य घोषित किया जाएगा।

श्री तोमर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए अभी कुल बजट 19,300 करोड़ रुपये है जिसमें 14,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी है और 5300 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधानों को सभी सरकारी विभागों द्वारा घोषित किया जाएगा क्योंकि उनसे कहा गया है कि वे अपने बजटीय प्रस्तावों में स्वच्छ भारत मिशन का विशेष रूप से उल्लेख करें। साथ ही, अपनी स्वच्छता कार्ययोजना को भी अंतिम रूप दें।

स्वच्छता सेनानी

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ग्रामीणों की मदद से गंगा किनारे के गांव हुए ओडीएफ

"इन गांवों के निवासी खुले में शौच करने के आदी थे और उनकी मानसिकता को बदलना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा दबे–कुचले और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए शौचालय बनाने की सामग्री और धन जुटाना तथा ज़मीन का इंतजाम करना अन्य अवरोध थे। इन्हें दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने 'गांधीगिरी' और 'समुदाय–आधारित संपूर्ण स्वच्छता' का सहारा लिया।"

चाय बेचने वाले अनिल साहा समेत कई 'आम' लोगों ने बिहार के खगड़िया जिले में गंगा किनारे के गांवों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति दिलाने (ओडीएफ) में अहम किरदार अदा किया है। इन लोगों ने अपने गांवों में स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी) की शुरुआत से ही उन गांववासियों को समझाने का बीड़ा उठाया जिनके बीच उनका रोज का उठना–बैठना था। उनके इस साहसिक कदम और जिला प्रशासन की कोशिशों की बदौलत ये गांव खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो गए हैं।

गोगरी प्रखंड की रामपुर ग्राम पंचायत के साहा ने अपने स्टॉल के बाहर बोर्ड लगा दिया, **'खुले में शौच करने वालों को यहां चाय नहीं मिलेगी।'** खगड़िया जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल वहाब अंसारी ने कहा, 'अनिल साहा ने अपने गांव को ओडीएफ बनाने के लिए अपनी रोजाना की आमदनी दांव पर लगा दी।' उनका यह कदम गांव के बाकी निवासियों की लिए निस्संदेह प्रेरक था।

श्री अंसारी ने कहा, 'इस तरह के कई मामूली दिखने वाले किस्से हुए जिनसे मिशन को आगे बढ़ाने में मदद मिली।' आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार कुल 31397 परिवारों वाले गंगा किनारे के इन गांवों में ज्यादा–से–ज्यादा 7604 शौचालय थे। इसका मतलब यह कि सिर्फ 24.21 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की सुविधा थी। मिशन के दौरान गंगा किनारे के 23 गांवों और 21 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाने के लिए उनमें 23793 शौचालय बनाए गए। अभियान की शुरुआत में बिना शौचालय वाले घरों की पहचान करने के लिए पंचायत और वार्ड–स्तर पर सर्वेक्षण कराया गया। इसके बाद ग्रामसभा की मंजूरी से ओडीएफ योजना तैयार की गई।

इन गांवों के निवासी खुले में शौच करने के आदी थे और उनकी मानसिकता को बदलना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा दबे–कुचले और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए शौचालय बनाने की सामग्री और धन जुटाना तथा ज़मीन का इंतजाम करना अन्य अवरोध थे। इन्हें दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने 'गांधीगिरी' और 'समुदाय–आधारित संपूर्ण स्वच्छता' का सहारा लिया। यहां गांधीगिरी का मतलब सच्चाई के बारे में प्रेम और शांति से बताना है। सीएलटीएस के तहत खुले में शौच की प्रथा को छोड़ने के लिए शौचालय बनाने के काम में सामुदायिक भागीदारी की गई।

जागरूकता कार्यक्रम में खुले में शौच के लिए जाने वाली महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की प्रमुखता से चर्चा की गई। ग्रामीणों को खुले में शौच का बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। इससे गांववासियों के बर्ताव में धीरे–धीरे बदलाव आया और लोग शौचालय बनाने और उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हुए। इसके अलावा आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा पिछड़े परिवारों की पहचान की गई और उन्हें जीविका समूह में शामिल कर उनके लिए कर्ज का इंतजाम किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि जन–प्रतिनिधियों ने अपने कर्ज का इस्तेमाल कर इन परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए जरूरी सामग्री हासिल करने में मदद की। जिन परिवारों के पास शौचालय के लिए ज़मीन नहीं थी, उन्हें जगह मुहैया करायी गई। कुछ परिवारों को उपलब्ध ज़मीन पर ही शौचालय बनाने के लिए मनाया गया।

प्रशासन ने शौचालयों के निर्माण के काम के मूल्यांकन और निगरानी के लिए जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत–स्तर पर नोडल अधिकारी नामजद किए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर ग्राम पंचायत ओडीएफ का दर्जा हासिल करे, चार प्रशिक्षित सीएलटीएस प्रेरकों, एक विशेषज्ञ प्रेरक और प्रखंड संयोजकों की नियुक्ति की गई। अभियान के दौरान सूचना, शिक्षा और संचार की जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया उनमें पर्चे, वीडियो, दीवार लेखन और पेंटिंग तथा होर्डिंग शामिल थे। ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाने के मकसद से परिवारों को शौचालय बनाने का काम पूरा होने पर इस बात का प्रमाणपत्र दिया गया। ❑

आगामी अंक

जुलाई, 2017 – ग्रामीण स्वास्थ्य

गरीबों और महिलाओं का संबल दीनदयाल अंत्योदय योजना

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कौशल विकास के जरिए आजीविका के दीर्घकालिक अवसर बढ़ाकर गरीबों के उत्थान का एक सर्वसमावेशी प्रयास है। इसे आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। इस योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का विलय किया गया है। एनयूएलएम का नया नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। योजना के तहत शहरी क्षेत्र का विस्तार सभी 4041 वैधानिक नगरों और शहरों तक है। इस तरह लगभग समूची शहरी आबादी इसके दायरे में आती है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी तरह एनआएलएम का नया नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इन योजनाओं के मुख्य बिंदु इस तरह हैं–

- **कौशल प्रशिक्षण और नौकरी के जरिए रोजगार:** शहरी गरीबों के प्रशिक्षण के लिए प्रति व्यक्ति 15000 रुपये के खर्च की अनुमति है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू–कश्मीर के लिए यह रकम 18000 रुपये रखी गई है। इसके अलावा शहरी गरीबों को नगर आजीविका केन्द्रों के जरिए बाजारोन्मुख कौशल मुहैया कराया जाता है ताकि वे शहरवासियों की व्यापक मांग को पूरा कर सकें।
- **सामाजिक संगठन और संस्था विकास:** इसे स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के जरिए किया जाता है। ये समूह सदस्यों को प्रशिक्षण देने के अलावा उनकी मदद करते हैं। हर समूह को 10000 रुपये की शुरुआती सहायता दी जाती है। पंजीकृत क्षेत्र स्तरीय महासंघों को 50,000 की सहायता मुहैया करायी जाती है।
- **गरीबों के लिए सब्सिडी:** व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 2 लाख रुपये तक के ऋण पर 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने का प्रावधान है। सामूहिक उद्यमों के लिए कर्ज की सीमा 10 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है।
- **बेघरों के लिए बसेरा:** इस योजना के तहत शहरी ग्रामीण गरीबों के लिए बसेरों के निर्माण का पूरा खर्च सरकार वहन करती है।
- **अन्य कदम:** योजना में विक्रेता बाजारों के विकास का प्रावधान है। ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के जरिए विक्रेताओं के कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा कूड़ा चुनने वालों और दिव्यांगों के लिए विशेष परियोजनाओं की व्यवस्था की गई है।

कामयाबी की दास्तान

तंगिराला पद्मावती, आंध्र प्रदेश

55 साल की तंगिराला पद्मावती एक गरीब परिवार की हैं। उनके 8 भाई और 3 बहनें हैं। परिवार की गरीबी की वजह से पद्मावती शिक्षा और अन्य सुविधाओं से महरूम रहीं। वह बहुत मुश्किल से छठी जमात तक स्कूल की पढ़ाई कर सकीं। पद्मावती सिर्फ 12 वर्ष की थीं तब उनकी शादी 28 साल के एक व्यक्ति से कर दी गई। थोड़े ही समय में वह दो बेटियों की मां बन गई। बेटियों के जन्म के बाद पद्मावती के पति ने उनसे किनारा कर लिया पेट पालने के लिए पद्मावती घर–घर जाकर सब्जियां बेचने लगी। उसके मन में आत्महत्या तक का विचार आया मगर अपनी बेटियों की खातिर उन्होंने इसे खारिज कर दिया।

एसएचजी में प्रवेश

उसी समय पद्मावती के गांव में स्वयंसहायता समूहों का गठन किया जा रहा था। वह 1990 में एक एसएचजी में शामिल हो गई और उसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। एसएचजी के शिविरों से उन्हें काफी संबल मिला। अन्य महिलाओं से बातचीत से उन्हें पता लगा कि जीवन क्या है। उन्होंने जाना कि समस्याएं सिर्फ उनके साथ ही नहीं हैं। पद्मावती की अन्य महिलाओं से दोस्ती हो गई तथा उनके संघर्षों और कहानियों से उन्हें प्रेरणा मिली। जल्दी ही वह समूह की नेता बन गईं और उन्होंने सुनिश्चित किया कि गांव की हर महिला कम–से–कम अपना नाम लिखना जरूर सीख जाए। उन्होंने साथी महिलाओं को बचत के

महत्व के बारे में बताया तथा उन्हें आर्थिक और शारीरिक बेहतरी के गुर भी सिखाए।

सामाजिक और नागरिक अधिकार

पद्मावती के एसएचजी को किफायती स्वच्छता के एक कार्यक्रम के तहत शौचालय निर्माण के लिए सहायता मिलती थी। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया कि वे खर्च का अपना हिस्सा देकर शौचालय बनवाएं। उन्होंने जिला कलक्टर और स्थानीय विधायक की मदद से गांव में 300 परिवारों के लिए घर का निर्माण करवाया। पद्मावती के प्रयासों से 2004 में परितला गांव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय खुल गया। उन्होंने अपने एसएचजी को गांव में 40 बुजुर्गों को नए कपड़े बांटने के लिए प्रेरित किया। उनकी समाजसेवा की वजह से गांववासी उन्हें अपना नेता मानने लगे।

पद्मावती ने अपने गांव में शराब की दुकानों के खिलाफ आंदोलन चलाया और उनके मालिकों को यह धंधा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुसूचित जाति के 135 परिवारों को जिला कलेक्टर के सामने उनकी बात पहुंचा कर अपनी जमीन पर काम करने का अधिकार दिलाया। गांव में अनुसूचित जाति के 200 से ज्यादा परिवारों को उन्होंने बिजली का कनेक्शन दिलाया। उनके प्रयासों से गांव में सड़कों की दशा में सुधार हुआ और बिजली के खंभों पर रोशनी जगमगाने लगी।

पद्मावती ने 350 से अधिक लोगों को पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए मशविरा दिया जिस पर उन्हें जिला कलक्टर से योग्यता का प्रमाणपत्र भी हासिल हुआ। जब सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने गांववासियों को परेशान किया तब पद्मावती ने उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। उनके इस आंदोलन के परिणामस्वरूप एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया और कई परिवारों को कर्ज के जाल से निकलने में मदद मिली।

गांव के लिए अन्य सेवाएं

पद्मावती ने बताया, ''मैंने अपने गांव में दो आंगनवाड़ी भवनों और विवाह जैसे सार्वजनिक समारोहों के लिए एक हॉल का निर्माण कराया। 30 बच्चों को बाल मजदूरी के चंगुल से निकाल कर उन्हें स्कूल में डालने का इंतजाम किया। चंदे के जरिए स्कूल में वर्दी, बैगों और बेंचों की व्यवस्था की। स्कूलों में बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। सलाह–मशविरे से 37 परिवारों के विवादों का निपटारा किया। शराब सेवन के 40 और यौन उत्पीड़न के दो मामलों को सुलझाया। इन सभी मामलों का निपटारा अलग–अलग ढंग से किया गया।''

उन्होंने कहा, ''हमने 2003 में महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके सशक्तीकरण का बीड़ा उठाया। एसएचजी परिवारों में हिंसा घटाने के लिए हमने कई रणनीतियां अपनायीं। परियोजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया में गरीब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया। अंततः हमारा ध्यान सामाजिक एजेंडे पर केन्द्रित हो गया। सामाजिक अभियान समिति इस पर अमल के लिए काम करती है। हम संबंधित विभागों से तालमेल, निगरानी के वास्ते पीड़ितों की बैठक और जानकारी हासिल करने के लिए सीएनएफसीसीएस का इस्तेमाल करती हैं। कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) की रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी कड़ी मेहनत की सराहना की है। उन्होंने जिले में हमारी सामाजिक कार्य समितियों के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण और बसेरा भवन मंजूर किया है। उन्होंने एक दफा मुझसे फोन पर बातचीत भी की। मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने हमें सम्मान दिया और महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके सशक्तीकरण के हमारे कार्यों में दिलचस्पी दिखायी।' ❑

कृषि क्षेत्र में महिला शक्ति और रोजगार

–रतना श्रीवास्तव

फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन (एफएओ) के एक अध्ययन से पता चला है कि हिमालय क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एक पुरुष औसतन 1212 घंटे और एक महिला औसतन 3485 घंटे काम करती है। नौ राज्यों में किए गए एक शोध से पता चला है कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की 75 फीसदी भागीदारी, बागवानी में 79 फीसदी और कटाई–उपरांत कार्यों में 51 फीसदी महिलाओं की हिस्सेदारी होती है। ये आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। इनके जरिए कृषि–बागवानी में महिलाओं के अहम् योगदान को आंका जा सकता है।

भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फल और सब्जी निर्माता देश है। यानी बागवानी के मामले में दुनिया का दूसरा अग्रणी देश है। इसमें 50 फीसदी ताकत महिलाओं की है। नर्सरी में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुतायत में है। दरअसल इस क्षेत्र को केवल बागवानी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए बल्कि इसे पूरी प्रक्रिया यानी जुताई, कटाई और आगे के प्रस्संकरण ही नहीं विपणन और मार्केटिंग से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। असल में यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की 90 फीसदी तक महिलाओं को रोजगार देता है लेकिन बागवानी में इससे कहीं अधिक संभावना है। बशर्ते इसे नए तौर–तरीकों से जोड़ा जाए। ये भी सही है कि सब्जी और फूलों की खेती का काम बढ़ रहा है, निसंदेह इससे दबाव तो महिलाओं पर ही बढेगा लेकिन उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढेंगे। ये समय बागवानी में तकनीक विकास और अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार उन्नत तरीकों के इस्तेमाल का भी है, जब महिलाएं ज्यादा ट्रेनिंग आदि तरीकों से दक्ष और क्षमतावान होंगी तो बागवानी और कृषि विकास के अवसर भी ज्यादा बनेंगे।

भारत सरकार बागवानी फसलों को मान्यता भी देती है। बागवानी में अपने यहां रोजगार के अपार अवसर हैं– विशेषकर बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए। बागवानी की बहुत–सी वस्तुओं के उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे आगे है–जैसे आम, केला, नींबू, नारियल, ताड़, काजू, अदरक, हल्दी और काली मिर्च। मौजूदा तौर पर हम विश्व में फल और सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। बहुत–सी सब्जियों में तो हम नंबर एक की स्थिति में हैं। भारत ने फूलों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय विकास किया है। साथ ही साथ हम मसालों के सबसे बड़े उपभोक्ता ही नहीं उत्पादक और निर्यातक भी हैं। जितने व्यापक तौर पर मसालों की खेती हमारे यहां होती है, वैसी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। ये बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भी देते हैं।

नारियल उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे अग्रणी है, ये सदाबहार फसल है। एक करोड़ से कहीं ज्यादा लोग इसके उत्पादन, प्रसंस्करण और संबंधित क्रियाकलापों पर निर्भर रहते हैं। यह मुख्यतः देश के तटीय राज्यों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के 18.4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। इसका उत्पादन 86.7 लाख टन है। बरसों से बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों के विकास में बहुत प्रगति हुई है। निवेश बढ़ रहा है; उत्पादन बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बागवानी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ रही है। ऐसे में ये सेक्टर हर लिहाज से व्यापक संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में सामने आ रहा है। बस दरकार इसमें नई तकनीक और उन्नत तरीकों के समावेश की है।

ये बात भी सही है कि फिलहाल बागवानी और कृषि क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा काम कर रही हैं लेकिन उनके काम को समुचित मान्यता नहीं मिल पाती। आमतौर पर उनके काम को अनदेखा भी कर दिया जाता है। सरकार ने हाल में कई नई नीतियां ही नहीं बनाई हैं बल्कि महिला किसानों को सम्मान और मान्यता देने के लिए महिला किसान दिवस मनाने का भी फैसला किया है। आप कह सकते हैं कि महिलाएं बागवानी और

कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादक काम करके देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका भी निभा रही हैं।

हिमाचल में 90 फीसदी महिलाएं बागवानी और कृषि के काम में लगी हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो बहुत–सी महिलाएं न केवल खुद किसान के नाम पर अपनी पहचान बना चुकी हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार ही नहीं दे रहीं बल्कि उनके सामने उदाहरण पेश करने का काम कर रही हैं। बहुत–सी महिलाएं अगर किसान के रूप में जुड़ी हैं तो ऐसी महिलाएं भी सामने आ रही हैं, जिन्होंने शिक्षा के रूप में कृषि विज्ञान को चुना या फिर बागवानी में मार्केटिंग और विपणन में उतर रही हैं। बहुत–सी महिलाएं बागवानी में स्वयंसहायता समूह बनाकर महिलाओं की मदद कर रही हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो खुद अगर बागवानी में नया सीख रही हैं तो उसकी ट्रेनिंग देने का काम कर रही हैं। विदिशा जिले में रुक्मिणी कुशवाहा और गुड्डीबाई मिर्च की फसल बोने में रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। उनकी देखादेखी में आसपास के इलाकों की दूसरी महिलाएं ही नहीं पुरुष भी ये काम कर रहे हैं। झुंझनू में पढ़ी–लिखी अनिता ने उन्नत खेतीबाड़ी शुरू की है। एक ही खेत में कई तरह की फसल ले रही हैं और फायदा कमा रही हैं। उदयपुरवाटी में भंवरी देवी बागवानी में कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं। बिहार के किशनपुरा गांव की सरोज ने बागवानी में किस्मत आजमाई और वह वैज्ञानिक तरीको के इस्तेमाल से सब्जियां उगाकर फायदा ले रही हैं। वाराणसी में महिलाओं ने गांव में एक स्वयंसहायता समूह बनाया और अब वो सब्जियां उगा रही हैं, साथ ही उनके प्रसंस्करण और मार्केटिंग व प्रबंधन को भी संभाल रही हैं। वाराणसी में ही महिलाओं के एक अन्य स्वयंसहायता समूह ने महिला किसानों के लिए बीज बैंक की शुरुआत की है। उत्तराखंड के लालकुंआ में महिलाएं मिलकर न केवल फूल उगा रही हैं बल्कि बड़े पैमाने पर इन्हें बेचकर पैसे भी कमा रही हैं। ये सारे वो चंद उदाहरण हैं, जो उनके साथ की महिलाओं को प्रेरणा देने का काम ही नहीं कर रहे बल्कि महिलाओं को खेतीबाड़ी में खुद अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास भी दे रही हैं। ये उदाहरण ये भी जाहिर कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए बागवानी न केवल रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र है बल्कि दिनोंदिन रोजगार की व्यापक संभावनाओं को बढ़ा भी रहा है। समूचे तौर पर देखें तो आंकड़े बताते हैं कि गांवों की तकरीबन 84 प्रतिशत महिलाएं कृषि से जुड़ी हैं और इनमें से 73 फीसदी आमतौर पर बागवानी से। बागवानी अपने आपमें पूर्ण व्यावसायिक खेती है। अगर इसे तकनीकी ढंग से किया जाए तो इसमें बेहतर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हां, ये देखने की जरूरत जरूर है कि बागवानी और कृषि में महिलाओं को किस तरह अधिकार और ताकत दी जा सकती है। परंपरागत तौर पर बागवानी और कृषि को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, इस पर उन्हीं का अधिकार रहा है और आर्थिक ताकत भी उन्हीं के हाथों में रहती हैं, हालांकि सच्चाई है कि इस सेक्टर में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कार्यरत हैं। अब कुछ सालों से सरकार भी इस बात की ओर ध्यान दे रही है कि किस तरह महिलाओं को यहां भी अधिकार संपन्न बनाएं, उनके कामों को पहचान और मान्यता दी जाए और साथ ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। बागवानी और कृषि में केवल खेती ही नहीं बल्कि उसके बाद के तमाम कामों में उन्हें ट्रेनिंग देकर उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ाई जाए और योजनाबद्ध और संरचनाबद्ध तरीके से रोजगार भी बढ़ाए जाएं। संभावनाएं प्रचुर हैं, क्योंकि फलों और सब्जियों की खेती और उत्पादन का भारतीय कृषि में योगदान अभी केवल 29 फीसदी है, इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा ऐसा होते ही महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार और बड़े पैमाने पर खुल सकेंगे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले दो दशकों में ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत में भी बागवानी से जुड़ी प्रसंस्करण इकाइयों में महिलाओं का काम बढ़ रहा है। प्रबंधकीय–स्तर पर भी उनकी जरूरत महसूस की जा रही है, हालांकि इन दोनों स्तरों पर उनकी काफी कमी भी है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले दो–तीन दशकों में न केवल खेतों और फार्मों बल्कि प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स, कृषि विश्वविद्यालयों और हार्टिकल्चर से जुड़े शोध संस्थानों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि महिला किसानों को नई तकनीकी जानकारी देने के साथ ही उन्हें उद्यमी बनाया जाए।

फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन (एफएओ) के एक अध्ययन से पता चला है कि हिमालय क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एक पुरुष औसतन 1212 घंटे और एक महिला औसतन 3485 घंटे काम करती है। नौ राज्यों में किए गए एक शोध से पता चला है कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की 75 फीसदी भागीदारी, बागवानी में 79 फीसदी और कटाई–उपरांत कार्यों में 51 फीसदी महिलाओं की हिस्सेदारी होती है। छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश में 70 फीसदी से ज्यादा महिलाएं कृषि–बागवानी क्षेत्र पर आधारित हैं, जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में यह संख्या 50 फीसदी है। ये आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। इनके जरिए कृषि–बागवानी में महिलाओं के अहम् योगदान को आंका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के भोजन और कृषि संगठन के सर्वे में महिलाएं कृषि मामलों में पुरुषों से हर क्षेत्र में आगे हैं, बस अधिकारों और सुविधाओं को छोड़कर। कृषि में अहम योगदान देने के बावजूद महिला श्रमिकों की कृषि संसाधनों और इस क्षेत्र में मौजूद असीम संभावनाओं में भागीदारी काफी कम है। जैसे–जैसे ये भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा और मुनाफा भी। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों को काफी हद तक बदला जा सकता है। इससे महिलाओं के सशक्तीकरण को और अधिक बढ़ावा भी मिल सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महिला और पुरुषों में भेद

नई राह दिखाने वाली महिला किसान

गोरखपुर जिले के कोड़ीबला गांव की रहने वाली 40 वर्षीय श्रीकांति दस वर्षों से गोभी, आलू और टमाटर जैसी फसलों की खेती कर रही हैं। खेती में पहले उन्हें मौसम का अनुमान नहीं लग पाता था, जिससे उनकी सब्जियां बर्बाद हो जाती थीं। वह अब अपने जिले में अलग–अलग सरकारी कृषि बैठकों में जाती हैं। खेती की नई तकनीक सीख रही हैं। उनकी फसल अब पहले की तरह खराब नहीं होती। यही नहीं वो इन जानकारियों को अन्य महिला किसानों और गांववालों से बांटती हैं। यहां तक कि पुरुष किसान भी अब उनके ज्ञान से फायदा उठाते हैं।

उत्तर प्रदेश में सरदारनगर, अवधपुर गांव की भूमिहीन महिला किसान श्रीमती धनेसरी देवी ने अपनी तकदीर की इबारत खुद लिख डाली। वह जैविक खाद बनाकर बेचती हैं। दूसरों को भी ये हुनर सिखाती हैं। करीब 15 साल पहले घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था। उसके पास न खेत था और न ही परिवार में कमाई का कोई जरिया। इसी समय गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप ने उनको जैविक खाद के बारे में बताया, प्रशिक्षित किया। उसके बाद वह खुद खाद बनाने लगीं। आज धनेसरी देवी को जैविक खाद बनाने में महारत हासिल है। वह करीब एक दर्जन तरह की खाद बनाती हैं। उनकी खाद आसपास के जिलों में भी बिकती है। वह हर महीने इससे 65 हजार से 70 हजार रुपये कमाती हैं।

बिहार के कटिहार जिले के फलका के गांधी ग्राम बरेटा की मधुलिका चौधरी ने तीन साल पहले लंदन यूनिविर्सटी में प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर गांव के लिए कुछ करने का सपना देखा। सपना पूरा करने के लिए मधुलिका ने गांव वापस आकर रेशम के पौधे की खेती शुरू की। उनके साथ उनके पति भी हैं, जो दिल्ली के गुड़गांव में रह रहे थे। तीन साल पहले मधुलिका फलका स्थित अपने गांव आई। यहां की हरियाली और खेती ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वह यहीं रम गईं। पिता नवल किशोर चौधरी का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उसने साढ़े पांच एकड़ जमीन पर रेशम के पौधे की खेती की शुरुआत की है। यह ज़मीन बंजर थी। आज उसमें हरे–भरे पौधे लहलहा रहे हैं। मधुलिका ने रेशम के पौधे की खेती को दिन दुनी, रात चौगुनी तरक्की दी।

राजकुमारी उर्फ किसान चाची

मधुलिका ने कहा कि अपने देश की मिट्टी की खुशबू के कारण वो भारत वापस आई। भारत में बुनकरों सहित महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना उनका मकसद है। इस काम में उनके माता–पिता और परिजनों के साथ उनके विदेशी वैज्ञानिक पति डॉ. डेविट टोनेंटो का सहयोग मिल रहा है। मधुलिका का कहना है कि वह अपने प्रयास से गांव की बाकी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही अपने गांव गांधी ग्राम में रेशम उद्योग लगाएंगी।

बुंदेलखंड के ललितपुर की महिला किसान नन्नी राजा यहां फायदे की फसल काट रही हैं। ललितपुर जनपद से पूर्व उत्तर में 54 किमी. बार ब्लॉक के बानपुर गांव की नन्नी राजा (28 वर्ष) के पिता की मृत्यु चार वर्ष पहले हो गई थी। उन्होंने अपने परिवार को संभाला। खेती और घर की देखरेख की जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई तो उन्होंने उसको ही रोजगार बना लिया। वह अब ललितपुर में संपन्न किसानों की श्रेणी में आती हैं। खुद कई महिलाओं को खेती से जोड़ चुकी हैं। वह खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के बेहतर प्रयोग के लिए अन्य किसानों को भी जागरूक कर रही हैं।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाने के आनंदपुर गांव की 57 वर्षीय राजकुमारी देवी लोगों के बीच 'किसान चाची' नाम से मशहूर हैं। वह पिछले 20 सालों से बिहार समेत पूरे देश की महिलाओं को उच्चतम कृषि तकनीक के बारे में जानकारी दे रही हैं। गांव की पगडंडियों पर मीलों साइकिल चलाकर किसानों को उच्चतम कृषि तकनीक के बारे में जानकारी देने वाली किसान चाची को केन्द्र व राज्य सरकार दोनों ने सम्मानित किया है। 57 वर्षीय किसान चाची दिनभर में 30 से 40 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं और विभिन्न गांवों में घूमकर किसानों के बीच अपने कृषि के बेहतरीन अनुभवों को बांटती हैं। उनकी वजह से हजारों महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है। वह बताती हैं कि कैसे खेती करके अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। वह सरैया कृषि विज्ञान केन्द्र की सलाहकार समिति की सदस्य होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की भी सदस्य हैं।

महाराष्ट्र की महिला किसान वनिता बालभीम मनशेट्टी एक साल में 15 फसलें उगाती हैं। उन्होंने 2014 में 'एक एकड़ में खेती' का फार्मूला अपनाया। इस फार्मूले ने उन्हें आत्मनिर्भर किसान बना दिया है।

कम किया जाए तो स्थिति सुधर सकती है। अगर कृषि में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए तो खाद्य और पोषण की समस्या को खत्म किया जा सकता है।

भारतीय जनगणना 2011 के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में छह करोड़ से ज्यादा महिलाएं खेती–बागवानी के व्यवसाय से जुड़ी हैं। जब केंद्र सरकार ने दो साल पहले 15 अक्तूबर को महिला किसान दिवस मनाने की शुरुआत की तो उसके पीछे उद्देश्य साफ था कि इसके जरिए न केवल महिलाओं के योगदान को मान्यता दी जाए बल्कि उनका सशक्तीकरण भी किया जाए। इस दिन महिलाओं के लिए पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। जिला प्रशासन को खासतौर पर महिला किसानों को आगे बढ़ाने के साथ मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला किसान भी इस कदम की सराहना करती हैं। बजट में इसी सबको ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

ऐसी महिलाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो खेतों में हल चलाती हैं या ट्रैक्टर से खेती का काम करती हैं। बीज बोती है, फसल काटती हैं, पुरुषों की मदद के बगैर अपने घर भी चलाती हैं। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के पास कृषि भूमि का स्वामित्व बहुत कम है। कुछ हद तक हमारी कुछ परंपराएं भी आड़े आती हैं। हालांकि वो बातें भी अब धीरे–धीरे टूट रही हैं।

राजस्थान के कोटा जिले की रिप्पी और करमवीर अपने गांव का जाना–माना चेहरा हैं, उनको अपनी 80 बीघा (32 एकड़) भूमि पर ट्रैक्टर पर घुमते देखा जा सकता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो दोनों बहनें फसल काटती हैं और फिर खुद ही मंडी तक ले जाती हैं। दोनों के पास जमीन काफी थी। जब उन्होंने पिता के निधन के बाद अपने खेतों पर काम शुरू किया तो इसका विरोध हुआ लेकिन उन्होंने बखूबी इसका सामना किया। एक बार उन्हें जिला प्रशासन और पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी। अब वो खुद गांव की ही अपनी कई महिलाओं को अपने खेतों पर रोजगार देती हैं। मंडियों में भी कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है लेकिन वो इससे भी बखूबी निपटती हैं।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की लल्लादेवी हल जोतती हैं। पति की मौत के बाद खेत में काम करने वाला कोई नहीं था। गांव वालों के डर से वह रात को हल चलाती थीं। आरोह नाम की संस्था ने उन्हें बढ़ावा दिया। धीरे–धीरे उन्होंने दिन में हल जोतना शुरू किया। अपने खेत में कई तरह की सब्जियां उगाईं। उन्हें देखकर गांव की दूसरी औरतों का भी हौंसला बढ़ा। उत्तर भारत में एक दकियानूसी मान्यता है कि अगर महिला खेतों में हल चलाएगी तो सूखा पड़ेगा लेकिन लल्ला के गांव में न तो सूखा पड़ा और न ही कोई नुकसान हुआ। हां, लल्ला को किसान का दर्जा जरूर मिल गया।

राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉ पंकज कहते हैं कि पहले पुरुष किसान तय करते थे कि इस साल खेतों में कौन–सी फसल लगेगी. कौन–सी वरायटी का बीज प्रयोग करेंगे. पर, जब से महिलाओं ने किसानी करना शुरू किया है, तस्वीर बदल गई है। इनके पति उनसे पूछते हैं कि कौन–सी तकनीक, बीज की वरायटी व फसल लगाना ठीक रहेगा। गांव में महिलाओं का महत्व बढ़ा है।

देश के शीर्ष वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन कहते हैं कि अगर सरकार महिला किसानों के लिए कोई नीति बना दे तो करोड़ों महिलाओं को मदद मिलेगी और इसमें काम कर रही महिलाओं को हक मिलेगा। साथ ही, रोजगार की संभावनाओं को नए तरीके से पारिभाषित भी किया जा सकेगा। बागवानी और कृषि में यकीनन हर साल महिलाओं की संख्या बढ़ रही है लेकिन चूंकि ये संगठित किस्म का रोजगार नहीं है, लिहाजा महिलाओं को जितना फायदा होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा है।

लिहाजा ये जरूरी हो चला है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को मान्यता ही नहीं दी जाए बल्कि इसके लिए खास नीतियां और लाभकारी योजनाएं भी बनें। महिलाओं को जानकारियों से लैस किया जाए। चूंकि कृषि क्षेत्र विशेष तौर से बागवानी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की मजबूत रीढ़ है, ये देश को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भी दिला सकती है, लिहाजा यहां संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाए। ज्यों–ज्यों ऐसा होगा और ये क्षेत्र संगठित रूप धारण करते हुए तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम होगा, ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। कुशल महिला कामगारों और किसानों के बहुलता से बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और ज्यादा उत्पादन का मतलब होगा ग्रामीण महिलाओं की खुशहाली और ज्यादा रोजगार।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
इ–मेल : ratana.srivastava74@gmail.com

शेष कवर 2

- वर्ष 2016–17 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 2.24 करोड़ टन, चावल का 10.88 करोड़ टन; गेहूं का 9.66 करोड़ टन; तिलहन का 3.36 करोड़ टन और मोटे अनाज का 4.43 करोड़ टन अनुमानित है जो अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन होगा।
- फसल उत्पादन भी बढ़ा है। धान की पैदावार में 5.79 प्रतिशत की वृद्धि; गन्ना उत्पादन में 17.5 प्रतिशत, मक्का उत्पादन में 7.14 प्रतिशत की वृद्धि; सोयाबीन उत्पादन में 7.4 प्रतिशत और तुरलाल चना उत्पादन में 16.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- 16 मई, 2017 तक 725 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। नमूनों की जांच और कार्ड छपाई का काम जारी है। आगामी तीन महीनों में शेष बचे किसानों को भी कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- वर्ष 2011–14 के दौरान जैविक खेती के तहत संचयी क्षेत्र 7.23 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2014–17 के दौरान 20 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- अब तक राष्ट्रीय कृषि बाजार से 13 राज्यों की 417 मंडियां जुड़ चुकी हैं। 15 मई, 2017 तक 20,000 करोड़ रुपये के 84 लाख टन कृषि उत्पाद का कारोबार ई–नाम पर हो चुका है। और 46 लाख किसानों, 90 हजार व्यापारियों और 46,411 कमीशन एजेंटों को ई–नाम प्लेटफार्म पर पंजीकृत किया जा चुका है।
- दूध का उत्पादन 2011–14 के दौरान 39.80 करोड़ टन हुआ था, जोकि 2014–17 के दौरान बढ़कर 46.55 करोड़ टन हो गया है। तीन वर्षों में उत्पादन की वृद्धि दर 16.9 प्रतिशत रही है।
- वर्ष 2011–14 के दौरान अंडा उत्पादन 210.93 बिलियन था जोकि 2014–17 में बढ़कर 248.73 बिलियन हो गया। तीन वर्षों में उत्पादन की वृद्धि दर 17.92 प्रतिशत रही है।
- वर्ष 2011–14 के दौरान मछली उत्पादन 272.88 लाख टन था, जोकि 2014–17 के दौरान बढ़कर 327.74 लाख टन हो गया है। तीन वर्षों में उत्पादन की वृद्धि दर 20.1 प्रतिशत रही है।
- वर्ष 2011–14 तक 223 किसान उत्पादक संगठन बने, जबकि 2014–17 तक 383 बनाए गए।
- वर्ष 2007–14 तक 6.7 लाख ज्वॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बनाकर 7 वर्षों में 6630 करोड़ राशि दी गई जबकि 2014–17 इन तीन वर्षों में 15.85 लाख समूह बनाकर 16,268 करोड़ रुपये की राशि दी गई।
- मधुमक्खी पालन में 2011–14 में 5.94 करोड़ खर्च किए गए जबकि 2014–17 में 18.14 करोड़ खर्च किए गए; इस तरह 205 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।
- वर्तमान सरकार ने राज्य आपात राहत कोष से राज्यों को 5 वर्षों के लिए 61,260 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जोकि यूपीए सरकार के समय 33,3580 करोड़ रुपये थे।
- 2011–12 से 2013–14 के तीन साल के बीच राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष में राज्यों को 9,099 करोड़ रुपये दिए गए थे। वर्तमान सरकार ने 2014–15 से 2016–17 के तीन वर्षों में राज्यों को 29,194 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि अभी इसके अलावा कर्नाटक, केरल एवं पुडूचेरी हेतु सहायता विचाराधीन हैं।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 8 लाख 40 हजार हेक्टेयर का रिकॉर्ड कवरेज सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–17 के बीच 3 वर्ष में सिर्फ खरीफ मौसम में 9 करोड़ 47 लाख किसानों ने बीमा कराया जिसमें 2 करोड़ 61 लाख गैर–ऋणी किसान हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आकर्षण के कारण खरीफ फसल में गैर–ऋणी किसानों की संख्या में 238.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा इसी तीन वर्ष में इसके पूर्व के तीन वर्षों की तुलना में रबी फसलों में भी गैर–ऋणी किसानों की संख्या में 128.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

संक्षेप में, प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों की मुस्तैदी, राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग एवं किसानों की कड़ी मेहनत के बल पर कृषि क्षेत्र में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का विगत वर्षों में न सिर्फ सामना किया है, बल्कि विजय प्राप्त करते हुए सकारात्मक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए हैं।

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2015-17
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2015-17
1 जून 2017 को प्रकाशित एवं 5-6 जून 2017 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिन्दू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 59

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

प्रकाशक और मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, संपादक: ललिता खुराना